खण्ड-292, अंक-5
बुधवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(15 सितम्बर, 1971 ई0)

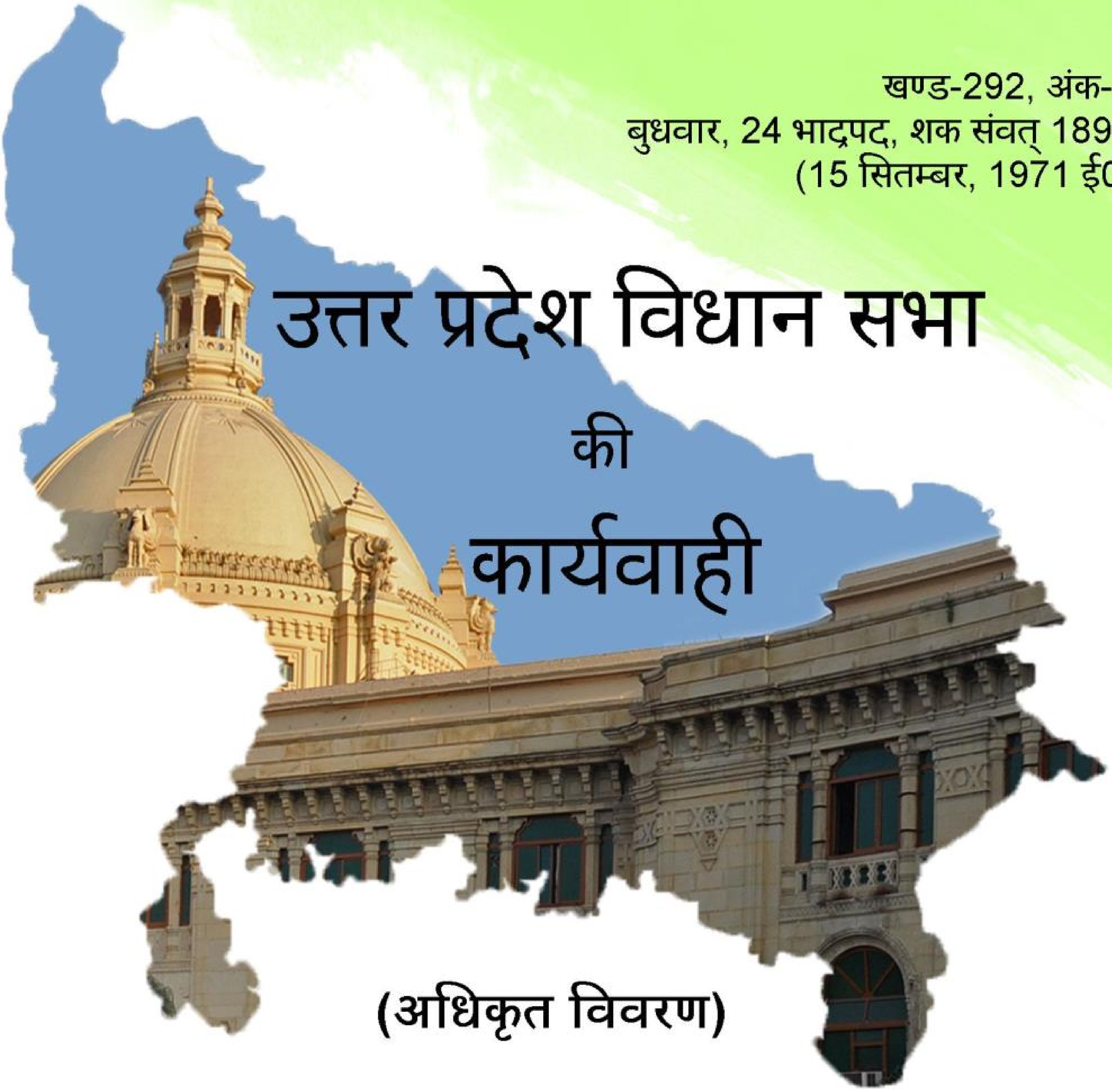

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	485–489
प्रश्नोत्तर	489–528
श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न	528
सभापति, विधान परिषद् के नैपाल से लौटते समय उनके डिब्बे की कथित तलाशी से संबंधित प्रश्न के विषय में जानकारी	529
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां	529–530
प्रदेश में दूध की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान शर्मा द्वारा दी गयी सूचना	530
देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की घटना के संबंध में श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना ..	531–532
विविध प्रश्न	532
1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुतीकरण जारी) ..	532
संविधान की धारा 275 की प्रक्रिया पूर्ण हुये बिना अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने के संबंध में वैधानिक आपत्ति	532–534
1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदान	535–539
स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, में मजदूरों द्वारा हड़ताल के संबंध में वक्तव्य	539–544
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	544
वाराणसी विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिये बन्द हो जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	544–546
नक्सलवादियों की गतिविधियों के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय में जानकारी की मांग	546–548
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य तथा 1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	548–593
1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	593
अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	593
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते है (स्वीकृत)	593

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 15 सितम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—378

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह, विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्सा राम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद श्री,
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहबाद)
राम जियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम वचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री

श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंस राज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 15 सितम्बर, 1971

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के जी० ए० डी० (आर०) के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर प्रति वर्ष खर्च तथा उस विभाग को समाप्त करने का सुझाव

**1—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के जी० ए० डी० (आर) में कुल कितने अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक तथा अन्य अधिकारीगण कार्य करते हैं और इन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है? क्या यह सत्य है कि सचिवालय के विभिन्न विभागों का श्री के० के० दास, आई० सी० एस० की "रीआरगनाइजेशन स्कीम" के अन्तर्गत पुनर्गठन करके उनके खर्चों में मितव्ययिता लाने और सभी विभागों के कार्य कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस विभाग की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विभाग को समाप्त करके इसका कार्य इन्सपेक्टर आफ आफिसेज उत्तर प्रदेश को पुनः सौंप दिये जाने पर विचार करेगी?

नियोजन उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)--

सचिवालय के सामान्य प्रशासन (पुनर्संगठन) विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गत वर्ष जो संख्या थी और उन पर उस वर्ष में जो कुल व्यय हुआ उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है। सचिवालय के विभिन्न विभागों के साथ-साथ राज्य की सभी कलेक्ट्रेट्स व समस्त विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के लिए भी यह सभी कार्य किये जाने थे। परन्तु श्री दास केवल कलेक्टरेट तथा ट्रेजरी के बारे में ही पूर्ण रिपोर्ट दे सके थे।

जी हां। कलेक्टरेट व कोषागार में तथा कुछ हद तक सचिवालय में भी उनके प्रस्ताव लागू किये गये।

प्रश्न नहीं उठता, और न ऐसा करने की आवश्यकता भी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 605 पर)

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुये कि जब श्री के० के० दास, मुख्य सचिव के जमाने में तमाम चीजों के ऊपर एक फैसला लिया जा चुका था, जैसा कि उन्होंने उत्तर में भी कहा है कि यह कार्य किया जाना था लेकिन वह सिर्फ कलक्ट्रेट और ट्रेजरी की ही रिपोर्ट पेश कर पाये और केवल दो तीन विभागों में ही वह स्कीम लागू करा पाये और उसके बाद वह चले गये, तो इसको आधार मान कर कि 62,000 रुपये का व्यय बढ़ गया इस आथरिटी के जमाने में और इस बाढ़ और एमर्जेन्सी के जमाने में पूरी तस्वीर को सामने रखते हुये क्या सरकार फिर से विचार करेगी कि इस जी० ए० डी० को समाप्त किया जाय और यह कार्य पुनः इन्सपेक्टर आफ आफिसेज को ही दिया जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

बाढ़ की जो एमर्जेन्सी है उसके लिये दूसरे तरीके होंगे जिन के अनुसार अन्य खर्चों में एकनामी बर्ती जायगी लेकिन सरकार का विचार अभी इस विभाग को तोड़ने का नहीं है बल्कि विभाग का कार्य ठीक से चले और उसको और अधिक एफिशेन्ट बनाने की पद्धति पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जब एक चीज का फैसला ले लिया गया था तो यह जो उत्तर के अन्तिम भाग में अब कह दिया गया कि उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी इशू के बारे में जिसका कि फैसला पहले हो चुका था उस के बारे में अब कहा जा रहा है कि अब उस को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका कारण क्या है कि उस पहले फैसले के बाद.....

श्री अध्यक्ष--

वह फैसला कब हुआ था ?

श्री रियासत हुसैन--

उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि यह निर्णय किया जा चुका था। सभी कार्य किये जाने थे। यह इन्होंने स्वयं कहा है। इसके माने यह हैं कि किसी ने लिया जा चुका था कि ये सभी कार्य किये जाने हैं। उसके बाद यह तोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

तोड़ने का तो जवाब में कहीं नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्री के० के० दास द्वारा कलेक्ट्रेट व समस्त विभागों के कार्यालयों के लिये भी ये सभी कार्य किये जाने थे रिआर्गेनाईजेशन के सिलसिले में। परन्तु सिर्फ कलेक्ट्रेट और ट्रेजरी की ही रिपोर्ट वे दे पाये और दो तीन जगहों पर वह लागू भी कर दी गई। बाद में जब वे चले गये तो यह फैसला बदल दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप आर्गुमेन्ट तो यहां नहीं कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय रिआर्गेनाईजेशन कमेटी बनाई गई थी जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया कि जिले में रिआर्गेनाईजेशन का कुछ कार्य हुआ। तो क्या के० के० दास जी ने सचिवालय के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी। कमेटी निरन्तर फिर भी कार्य करती रही क्या बाद में इस सिलसिले में कोई प्रगति हुई है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, थोड़ी बहुत प्रगति हुई है। 1958 में के० के० दास चले गये उसके बाद उतनी प्रगति तो नहीं की जितनी वांछित थी लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि उन सब चीजों पर विचार करते हुये एक्टीवाइज कर रहे हैं सब चीजें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सचिवालय के सम्बन्ध में 1958 से लेकर आज तक क्या कोई प्रगति हुई है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इस विभाग ने सचिवालय के सम्बन्ध में भी कुछ कार्य किया है और उसमें से मुख्य यह है। उसमें रेफरेन्स क्लार्क की व्यवस्था में परिवर्तन किया है। इसने दूसरा काम सुपरिन्टेन्डेन्ट और असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के काडर का एकीकरण किया है। उसने सहायक सचिव तथा अनुसचिव के पदों का एकीकरण किया है। उसने दूसरे विभागों की स्टडी की है और इस विभाग ने परिवहन विभाग का जो रिआर्गेनाईजेशन हो रहा है उसमें योगदान दिया है। बहुत से कार्य हैं जो यह विभाग कर रहा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इस विभाग से क्या किफायतशारी हुई है जिसके लिये यह बनाया गया है। 1958 से अब तक?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह अरिथमैटिक का हिसाब लगाकर फिर किसी वक्त बतायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी एक बार फिर श्री के० के० दास जी सेक्रेटरी के उस नोट को मंगाकर कि उन्होंने क्या कार्यवाही की थी सुझाव दिये थे, उस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि उससे आस्टेरिटी और एफीशियेंसी बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

विचारों का क्रम जारी है लगातार। आपका और कोई सुझाव होगा तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री आश्वासन देंगे कि रिआर्गेनाईजेशन की स्कीम के मातहत कोई छंटनी नहीं होगी?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह सभी प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं । सभी बातों पर विचार कर रहे हैं इसलिये इस्टेंटअवे जवाब नहीं दिया जा सकता है।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं के स्थायी पदों हेत लोक सेवा आयोग से परीक्षा

** 2—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं के कुछ स्थायी पदों के लिये लोक सेवा आयोग की परीक्षा अगस्त, 1971 में होने जा रही है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त जगहों में अस्थायी से स्थायी में परिवर्तित किये गये कुछ ऐसे पद भी शामिल हैं जिन पर पहले से ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक अभियंता काम कर रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां । अगस्त 71 में होने वाली परीक्षा में 29 सहायक अभियंता सिविल तथा 6 सहायक यांत्रिक अभियंताओं के स्थायी पदों के लिये भी चुनाव किया जाना प्रस्तावित है।

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी किसी पद विशेष के लिये अनुमोदित नहीं होते तथा पूरे विभाग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरती किये जाते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी क्षमा करेंगे, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है । क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उत्तर दिया गया है वह सवाल के अनुसार है ?

श्री अध्यक्ष—

हां, सवाल के अनुसार समझकर ही दिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा सवाल कुछ है और जवाब कुछ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप फर्क बतला दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मने यह पूछा था अपने सवाल में कि कुछ पदों के लिये परीक्षा होने जा रही है, यदि हां, तो क्या उपर्युक्त जगहों में अस्थायी से स्थायी में परिवर्तित किये गये कुछ ऐसे पद भी शामिल हैं जिन पर पहले से ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक अभियंता काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल आपने समझ लिया ।

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

जो सवाल था उसी के अनुसार उत्तर दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

सेकिंड पार्ट का उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—

यदि हां, तो क्या उपर्युक्त जगहों में अस्थायी से स्थायी में परिवर्तित किये गये कुछ ऐसे पद भी शामिल हैं जिन पर पहले से ही लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक अभियंता काम कर रहे हैं, इसके लिये क्या उत्तर है ?

श्री रामलखन—

अब तक जो भरतियां हुई हैं उन पर अभ्यर्थियों का पी०एस० सी० द्वारा टेम्परेरी तौर पर चुनाव होता रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उन पर क्या असर पड़ेगा यह जो चुनाव हो रहा है उसके कारण.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सवाल समझकर जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह समझा है कि उन जगहों....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह क्या समझते हैं और दूसरे क्या समझते हैं ।

एक सदस्य—

मंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह कह रहा था कि यह जो भरती करने आप जा रहे हैं स्थायी पदों की, इसमें क्या ऐसे अस्थायी पद भी कन्वर्ट करके शामिल हैं जिन पर पहले से टेम्परेरी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनका जवाब यह है कि यह लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी किसी पद विशेष के लिये अनुमोदित होते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह जवाब नहीं है, मैं यह पूछ रहा हूं कि यह जो परमानेंट पदों पर भरती करने जा रहे हैं तो क्या परमानेंट पद में टेम्परेरी पद भी कन्वट कर दिये गये हैं जिन पर पहले से लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह आपकी तरफ से उत्तर आ रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अस्थायी पद नहीं हैं तो पी०एस०सी० द्वारा अनुमोदित लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय सिंचाई मंत्री को यह नोट किया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा परमानेंट पोस्ट्स के लिये ही अनुमोदन होता है और अस्थायी पदों के लिये जो अनुमोदित हैं वे पद खाली हैं। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा टेम्परेरी पोस्ट के लिये भी अनुमोदन होता है।

श्री रामलखन—

मान्यवर, अस्थायी पदों पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अनुमोदन होता है यह तो ठीक है लेकिन जो स्थायी पद हैं उन पर वे लोग स्थायी नहीं किये जा सकते हैं। उसके लिये उनको पुनः पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठना होता है। इस परीक्षा में 50 प्रतिशत तो डाइरेक्ट सेलेक्शन होता है और 30 प्रतिशत अस्थायी अभियन्ताओं में से होता है। इन दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में बैठने का उनको अवसर दिया जाता है। 50 परसेंट तो डाइरेक्ट कम्पटीटिव इक्जामिनेशन के द्वारा और 30 परसेंट टेम्परेरी अभियन्ताओं को वह चान्स दिया जाता है जिसका उपयोग वे कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मुझको अफसोस है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका या कर पा रहा हूं चूंकि कन्फ्यूजन बहुत बराबर हुआ करता है इसलिये लगातार उनको लिया जाता रहा है। कुछ टेम्परेरी पोस्ट परमानेंट में कन्वर्ट कर दी जाया करती है। तो यह जो टेम्परेरी पोस्ट्स हैं उसमें वे कन्वर्टेट पोस्ट भी शामिल हैं कि जब पहले से ही आयोग के द्वारा अनुमोदित अभियन्ता काम कर रहे हैं?

श्री रामलखन—

जी हां, इसमें वे भी शामिल हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

जिन व्यक्तियों के बारे में पहले से ही पब्लिक सर्विस कमीशन की रेकमेंडेशन है तो पुनः उनको उसकी परीक्षा में बैठने की क्या जरूरत पड़ी है। उनको पुनः भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक वे टेम्परेरी रहेंगे तब तक वे परीक्षा में बैठेंगे। बिना बैठे तो परमानेंट नहीं हो सकते हैं।

श्री धर्मवीर—

यही तो कन्फ्यूजन है। जिसका एक बार आयोग के द्वारा अनुमोदन हो चुका है तो उसको फिर क्यों भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो सहायक अभियन्ता पद के लिये आदमी उपयुक्त समझा जायगा और जो उसके द्वारा लिया गया, उसकी ट्रेनिंग भी हो गई। फिर कौन सी आवश्यकता वह समझते हैं कि पुनः उसको सेलेक्शन के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजा जाय?

श्री रामलखन—

हमारे प्रदेश में निर्माण की बहुत सी योजनायें चल रही हैं और उनको पूरा करने के लिये सहायक अभियन्ताओं की आवश्यकता होती रहती है। पी० एस० सी० का जो नियम है उसको पूरा करने में बहुत अधिक विलम्ब होता है। इस कारण पी०एस०सी० के द्वारा उनको टेम्पोरेरीली नियुक्त कर दिया जाता है और पुनः उनको स्थायी करने समय पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठना होता है। इसमें डाइरेक्ट 50 परसेंट और 30 परसेंट विभागीय अभियन्ताओं को बैठने का अवसर रहता है इस तरह से उनके कंफरमेशन के लिये यह दो अपारट्यूनिटीज मिलती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी क्या बतायेंगे कि अस्थायी अभियन्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे, वित्त मन्त्री से तथा मुख्य मन्त्री से जो मिला था कालागढ़ में। उस प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया था कि ऐसा नहीं होगा ?

श्री राम लखन—

प्रतिनिधि मंडल मिला था। जो जगहें आयोग से ऐडवर्टाइज हो चुकी हैं उस पर तो विचार नहीं किया जा सकता है। पुनः जब पी० एस० सी० से होगी तो टेम्पोरेरी वेकेन्सीज जो हैं उनका भी चुनाव करेंगे।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, प्रश्न में लिखा है कि कुछ स्थायी पदों के लिये तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "कुछ" में उनका क्या मतलब है ? एक-दो है या कोई लम्बी चौड़ी तादाद है ?

श्री रामलखन—

उत्तर में बता दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को देखते हुए कि इस विभाग में बहुत से सहायक अभियन्ता अस्थायी हैं, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि तीन साल की सरविस के बाद कोई भी सहायक अभियन्ता अस्थायी न रहे ?

श्री रामलखन—

इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अस्थायी कर्मचारियों के स्थायी किये जाने के लिये उच्चस्तरीय समिति का गठन

**3—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

स्वतन्त्रता दिवस 1971 को सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश समाजवाद के पथ पर नामक सरकारी पुस्तिका के पृष्ठ 9, अनुच्छेद 3 में लिखा है कि "राज्य सरकार के अनेक विभागों में अधिकांश कर्मचारी वर्षों से अस्थायी पड़े हुए हैं। इनकी समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने उदारनीति अपना कर यह निश्चय किया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने लगातार तीन वर्ष या इससे अधिक की सेवा कर ली है, शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कर दिया जाय" के सन्दर्भ में सरकार बतायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में राज्यादेश प्रसारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

किसी कर्मचारी को सेवा में स्थाई करने के लिये यह आवश्यक है कि स्थाई रिक्ति उपलब्ध हो, उसकी नियुक्ति नियमानुसार हुई हो, उसने परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक

पूरी कर ली हो, वैभागिक परीक्षा, यदि कोई हो, पास कर ली हो उसका कार्य व आचरण सन्तोषजनक रहा हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो। इसके अतिरिक्त जहां पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हो, यहां उनका परामर्श भी आवश्यक होता है।

शासन ने समस्त अस्थाई पदों का मूल्यांकन करने तथा उन्हें स्थाई करने की सम्भावना की जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जिसमें मुख्य सचिव, नियुक्ति सचिव तथा वित्त सचिव सम्मिलित हैं। मामले में छानबीन करने के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसमें चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों पर भी विचार करेंगे?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

श्री प्यारे लाल—

श्रीमन, जो जवाब दिया गया है वह तो वर्तमान नीति है। लेकिन पुस्तिका के नवें पृष्ठ पर जिस उदार नीति का जिक्र किया गया है, वह क्या है?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

पुस्तिका में जो छपा है उसी नीति पर कार्य हो रहा है। एक कमेटी तीन सचिवों की बैठा दी गयी है। वह छानबीन कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर रही है।

श्री प्यारे लाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिना छानबीन कराए इस पुस्तिका में यह सब क्यों छापा गया कि सभी स्थायी कर दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

कहां छपा है?

श्री प्यारे लाल—

सरकार की नीति के बारे में यह लिखा है :—

"राज्य सरकार के अनेक विभागों में अधिकांश कर्मचारी वर्षों से अस्थायी पड़े हुये हैं। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने उदार नीति अपना कर यह निश्चय किया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने लगातार तीन वर्ष या इससे अधिक की सेवा कर ली है शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कर दिया जायगा। सरकार के इन निर्णयों से कर्मचारी वर्ग में एक नया विश्वास उत्पन्न हुआ है।"

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह अगस्त में छपा है। पुस्तिका में छपा और एक कमेटी बना दी गयी ताकि अस्थायी पदों के स्थायीकरण की सम्भावना पर विचार हो। मान्यवर, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जितने अस्थायी पद वर्षों से पड़े हुए हैं उनका स्थायीकरण किया जाये। यही उदार नीति है जिस पर कि सरकार चलना चाहती है।

श्री कृष्णानन्द राय—

जो पुस्तिका छपी है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं। यह संकेत मिलता है कि अस्थायी कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कर दिया

जायेगा। मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कैसे किया जाता है। जो पिछले 20–25 साल पुराना पिटा पिटाया फार्मूला है उसी को उन्होंने इस सदन के सम्मुख रख दिया है। कैबिनेट ने जो निर्णय लिये होंगे वे तो उस फार्मूले से अलग होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैबिनेट ने जो फैसले लिये हैं और उदारनीति अपनायी है वह उदारनीति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा अभी निवेदन किया है कि एक कमेटी बना दी गयी है जिसमें 3 सचिव हैं। वह कमेटी विचार कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह तो सीधा 420 है। समिति से क्या मतलब है ? गवर्नमेंट का स्पष्ट एलान क्या है ? कितनी सेवा के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा ? वह फार्मूला क्या है समिति तो बना दी गयी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, पुस्तिका में उदार नीति का उल्लेख किया गया है। क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कैबिनेट का क्या निश्चित डिसीजन हुआ है और अभी तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ? 4 अप्रैल से यह गवर्नमेंट बनी है। तब से क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मंत्रि मंडल का यह निर्णय है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाये और इसके लिये एक कमेटी बना दी गयी है जो सारे विभागों से आंकड़े एकत्रित कर रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितनी सेवा के, 2 साल के, 3 साल के, कर्मचारियों को स्थायी किया जायगा ? गवर्नमेंट का कोई निश्चित निर्णय तो हुआ होगा ? वह निर्णय क्या है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में 3 साल लिखा हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो लिखा है वह तो प्रश्नकर्ता ने लिखा है। केबिनेट का डिसीजन क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मंत्रि मंडल की गोपनीयता का प्रश्न पैदा हो सकता है। मैं तो भयभीत भी हूं और आतंकित भी हूं। नीति तो स्पष्ट है, इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मचारी कई वर्षों से अस्थायी पड़े हुए हैं उनको स्थायी करने का इस शासन का ध्येय है और लक्ष्य है और इसको कार्यान्वित करने के लिये एक हाई पावर कमेटी की स्थापना कर दी गयी है जो कि सारे मामलों पर विचार कर रही है। वह आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और तत्पश्चात् कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।

ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कौन्सिल की संस्तुतियां

**4—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी महीने में श्रीनगर में जो ट्रान्सपोर्ट डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई थी उसमें प्रान्तीय सरकार की ओर से किस-किस ने भाग लिया और इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिये गये और क्या-क्या सिफारिशें प्रान्तीय सरकार को की गई ? क्या सरकार इनकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

परिवहन उप मन्त्री (श्री आबिद अली)—

केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से निम्न ने भाग लिया—

1—मन्त्री, परिवहन।

2—उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज),

3—उप मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सम्मेलन में जो निर्णय लिये गये और उनके आधार पर काउंसिल राज्य सरकारों को जो संस्तुतियां भेजेगी, उनकी प्राप्ति अभी भारत सरकार से नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मन्त्री जी ने और उनके साथ जो गये थे उन सभी ने वहां होने वाली सभी बैठकों में भाग लिया था या केवल एक या दो में ?

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव—)—

सभी मीटिंगों में हम लोगों ने भाग लिया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तो मन्त्री जी क्या बतलायेंगे कि वहां मुख्य मुख्य क्या निर्णय लिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एजेंडे में पचीसों आइटम्स थे। अब अधिकारिक रूप से तो सदन के अन्दर कोई बात बताना उपयुक्त नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से संस्तुतियां प्राप्त भी नहीं हुयी हैं। जब वहां से वह आ जायेंगी तो माननीय सदस्यों को बतला दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या वहां पर जो निर्णय लिये गये वे गोपनीय हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, प्रश्न गोपनीयता का नहीं है और न ही निर्णय गोपनीय हैं, लेकिन चूंकि एजेंडे में कई आइटम्स थे, करीब 25—30 मामलों में निर्णय लिया गया, वह लिखित रूप में हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे बता दें। हम लोग तो इसलिये गये थे कि हम अपनी सरकार का दृष्टिकोण सामने रख सकें। वह सब लिखित में मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या वह सब गोपनीय है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोपनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

गोपनीय नहीं है तो आप बताइये कि वह क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोपनीय नहीं है, लेकिन उसमें 25–30 आईटम्स थे, जिन्हें...

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, समझ गया, आप ज्यादा होने के कारण नहीं बता सकते हैं, तो आप सूचना मांग लीजिये ।

श्री बलराम सिंह यादव—

अच्छा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हम कहते हैं कि 25 में से आप 2, 3, 4 ही बता दें ? नहीं तो वहां पर सरकार के जाने का फायदा ही क्या हुआ है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसका उत्तर हमें मूल प्रश्न के उत्तर में लिखकर मिल जाना चाहिये था, सबका जवाब यहां क्यों नहीं दिया गया, यह बड़ी गड़बड़ बात है । इतनी ढिलाई से यह लोग काम करते हैं, इस पर आप व्यवस्था दें कि यह शायद कोई चीज छिपाना चाह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना ठीक है, आगे के लिए उन्हें करना चाहिए । यहां पढ़ने से सदन का समय जाता, तो आप उसकी लिस्ट बना दें कि अमुक-अमुक यह फैसले हुए हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस प्रश्न में पूछा गया है—क्या सरकार इसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ? स्पष्टतया प्रतिलिपि टेबेल पर रखने की मांग की गई है, फिर भी क्यों नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने बताया है कि संस्तुतियां अभी भारत सरकार से नहीं आई हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सवाल यह नहीं है । कान्फ्रेन्स ने जो सिफारिशें की थीं, उनको ही सदन की मेज पर मांगा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

संस्तुतियों की प्रति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु पूछा यह गया है कि क्या सरकार इनकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ? इस दृष्टि से आप लिस्ट बनाकर कि अमुक अमुक संस्तुति की है आप दे सकते थे । मतलब यह है कि अब वे सूचना मांग रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्री असरार अहमद के प्रश्न से सम्बन्धित जो 25 सिफारिशें की हैं, तो क्या कृपा करके अगस्त के आखिरी हफ्ते में यह मीटिंग हुई है और स्वयं आपने उसमें हिस्सा लिया है, 1-2-3 मुख्य मुख्य बातों पर आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जैसे ही यह प्रश्न आया सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, वहां से मंगा रहे हैं, उनमें से 1-2-3 सिफारिशों को किसको बताया जाय और किसको न बताया जाय, यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप ऐसे पद पर बैठे हैं कि हम आपकी सभी आज्ञा का पालन करते हैं आप इसमें हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप के पास यहां कोई संस्तुति मौजूद है ? हो तो बता दीजिये।

श्री बलराम सिंह यादव—

केवल एजेंडा हमारे पास आया था, उस पर डिस्कशन हुआ। संस्तुतियां हमारे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो आप सूचना मांग लीजिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जो 25–30 सिफारिशें थीं, उसमें से उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किसी एक में भी हमारे प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपनी राय दी या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे प्रतिनिधियों ने बहुत सारे मामले में हिस्सा लिया और बहुत सारे मामले में राय भी दी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि यह राय किन-किन निर्णयों के बारे में है ? यदि यह नहीं बतलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह पहाड़ों पर सिर्फ सोते रहे हैं। मन्त्री जी के साथ उप आयुक्त गये थे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के गये थे, आप उनसे ही बुलाकर पूछ सकते थे कि किन-किन पर, क्या क्या वहां बात हुई, और उन्होंने क्या-क्या नोट किया है ? तो हमें बता दें। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन व्यक्तियों ने इन 25 में से किस-किस में अपनी राय दी ?

श्री अध्यक्ष—

उनके पास नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

बिलकुल सिफर है। न बोलने में हिस्सा है न बैठने में हिस्सा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार के प्रतिनिधि गये, सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ। इस राज्य के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं पर बहस हुई और इस सम्बन्ध में क्वाइन्टली यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, मन्त्री जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया जाता। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

उनके पास यहां नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ताकि मन्त्री जी तैयार हो कर आयें।

श्री धर्मवीर---

क्या यह सही है कि मीटिंग में मोटर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होना चाहिये इस प्रकार का कोई विषय वहां आया था ?

श्री अध्यक्ष---

आप थे उसमें ?

श्री धर्मवीर---

मैं नहीं था। मैं जानकारी देना चाहता हूं वह बतायें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष जी, चार ही प्रश्न लिये जायेंगे और सारे प्रश्न पड़े रह जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मोटर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा ऐसा कोई मामला मीटिंग में नहीं आया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

चूंकि इत्तिला इस पर नहीं आई है मैं चाहूंगा कि आइंदा के लिए आप रख दें।

श्री अध्यक्ष---

आप डिस्कशन नहीं कर सकते।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष---

नहीं है व्यवस्था का सवाल। आप बैठिये।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का सवाल कर रहा हूं। मैं व्यवस्था चाहता हूं। मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप यदि बोलना बन्द नहीं करते हैं तो आप सदन से बाहर चले जाइये।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---

अगर आप जाने को कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे व्यवस्था नहीं देंगे और दूसरों को व्यवस्था देंगे तो कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह--

क्या व्यवस्था दे दी? आपने बात ही नहीं सुनी मेरी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आयरन कास्ट फाउन्डरी रुड़की को चालू करने की मांग

*1--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर, तथा श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की में स्थित आयरन कास्ट फाउन्डरी को किन कारणों से अभी तक चालू नहीं किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन के साझे में इस कास्ट फाउन्ड्री को चलाने का निर्णय लिया गया था किन्तु उक्त कमीशन ने बाद में साझा लेने का विचार त्याग दिया और केवल राज्य सरकार द्वारा इसे चलाना लाभप्रद नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि फाउंड्री को इसके साज-सज्जा एवं सामान सहित बेच दिया जाय। तदनुसार कार्यवाही हो रही है। इस बीच इस्पात की मांग एवं दाम बढ़ जाने के फलस्वरूप यह भी विचार किया जा रहा है कि क्या अब इसे चलाने का औचित्य है।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चलाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया था और उन्होंने कहा कि फिर विचार हो रहा है तो क्या इस बात को देखते हुए वहां काफी पैसा सरकार का लगा, कारखाना कायम हो गया, मशीनें विदेशों से आ गयीं, सब काम हुआ है उसको न चला करके सरकार ने लाखों रुपये का घाटा किया है, उस भूल को सुधार कर तुरन्त उसको चलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोई घाटा नहीं हुआ है। मुख्य मन्त्री जी ने लिखा है कि इस पर विचार किया जाय तो उस पर विचार हो रहा है।

श्री राम सिंह--

एक बार तो इस फाउन्डरी को बेचने का निर्णय लिया गया और उसकी कार्यवाही प्रारम्भ भी कर दी। अब पुनः सरकार उसको स्थापित करने पर विचार कर रही है तो अन्तिम निर्णय चलाने का लिया है अथवा बेचने का ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय उसके चलाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गालिबन यह प्लान्ट पिछले 7, 8 वर्ष से बेकार पड़ा है तो यह निर्णय किस तारीख को लिया गया था कि यह लाभप्रद नहीं होगा और इसे बेच दिया जाय और दुबारा निर्णय लिया गया कि न बेचा जाय तो इस बीच में क्या प्रगति हुई जो निर्णय लिया गया इसको चलाने के बारे में ?

श्री राम लखन---

सन् 65 में नैचुरल गैस कमीशन ने कहा कि वह साझेदारी में शामिल नहीं होगा क्योंकि इस भट्ठी को चलाना लाभप्रद नहीं होगा। लिहाजा उस समय निर्णय लिया गया इसको न चलाने का।

श्री मैनेजर सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि लोक लेखा समिति ने इस प्लांट का मौके पर निरीक्षण करके यह संस्तुति की है कि इसको सरकार चलावे ?

श्री राम लखन---

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट तो नहीं मालूम है लेकिन इसको चलाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

इस फैक्टरी में अब तक कितनी लागत लगी है ?

श्री राम लखन---

करीब 14 लाख रुपया लगा होगा।

श्री छोगुर राम (जिला आजमगढ़)---

एक बार इस फाउन्डरी को न चलाने का फैसला लिया गया और दुबारा चलाने पर विचार किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसकी वजह से सरकार ने फैसला ले लिया कि इसको चलाया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब दिया जा चुका है कि अब महंगा हो गया है इसलिये वह सोचते हैं कि फायदा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

नैचुरल गैस कमीशन ने अपने समझौते को कब तोड़ा और क्यों तोड़ा ?

श्री रामलखन---

सन् 67-68 में घाटे का अन्देशा था इसलिये नैचुरल गैस कमीशन ने समझौता तोड़ दिया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जैसा फैसला लिया गया है कि इस फाउन्डरी को फिर से चलाया जाय तो कितनी रकम से वह इस फाउन्डरी को चलाने की तजवीज रखते हैं ?

श्री राम लखन---

इसको चलाने के लिये 10 लाख रुपये की और आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार कोई निश्चित तिथि बतलाएगी कि कब तक यह फाउन्डरी चालू हो जायेगी ?

श्री राम लखन---

जल्दी से जल्दी चलाने की व्यवस्था की जाएगी।

*2—सर्वश्री अमरनाथ, सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय तथा कृष्णानन्द राय—
[30 अगस्त, 1971 को उत्तरित]

घाघरा नदी के कटाव से बरहज नगर को खतरा

*3—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बरहज (देवरिया जिला) में घाघरा नदी के भीषण कटाव के कारण नगर का अस्तित्व खतरे में है तथा इसकी सुरक्षा हेतु जिलाधीश देवरिया एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 54,000 रु० की एक योजना बरहज गौरा को बचाने के लिये भेजी थी वह अस्वीकृत हो गई है, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

घाघरा नदी के कटाव से बरहज नगर के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। केवल वार्ड नं० 1 में कुछ मकानों को खतरा था जिसके लिये सुरक्षा की कार्यवाही कर दी गई है और वह पर्याप्त है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

जो उत्तर मिला है उसको देख कर सरकार की अक्लमन्दी पर तरस आता है । सवाल क्या किया गया था और उत्तर क्या दिया गया है ? उत्तर यह दिया गया है "घाघरा नदी के कटाव से बरहज नगर के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है । केवल वार्ड नं० 1 में कुछ मकानों को खतरा था जिसके लिये सुरक्षा की कार्यवाही कर दी गयी है और वह पर्याप्त है ।" मेरा प्रश्न यह था कि क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बरहज (देवरिया जिला) में घाघरा नदी के भीषण कटाव के कारण नगर का अस्तित्व खतरे में है तथा इसकी सुरक्षा हेतु जिलाधीश देवरिया एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 54 हजार रुपये की योजना बरहज गौरा को बचाने के लिये भेजी थी वह अस्वीकृत हो गई है तो क्यों ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी हां या नहीं दें । आखिरी पोरशन का उत्तर साफ हो जाना चाहिये । तभी मैं आगे सप्ली-मेन्टरी क्वैश्चन करूंगा ।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैं फिर यह कह रहा हूं कि शहर को कोई खतरा नहीं है । उसके पानी के बहाव से केवल एक मोहल्ले को खतरा था और उसे दूर कर दिया गया है । ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसे सरकार ने नामंजूर किया हो।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप प्रश्न देखें । देवरिया जिले में बरहज शहर के कटाव की सुरक्षा हेतु जिलाधीश, पी० डब्लू० डी० एवं सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने एक योजना बनाकर शासन को भेजी थी । मुझे कलेक्टर ने बताया कि वह योजना सरकार ने स्वीकार नहीं की अतः कटान का कार्य बन्द कर दिया गया। अतः आप मुझे स्पष्ट बताएं कि वह योजना भेजी गयी थी या नहीं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, यह कहना सरासर सत्य से परे है । यह बात सही है कि 17 जुलाई को कटाव शुरू हुआ और 17 जुलाई से 27 जुलाई तक इस कटाव पर काम किया गया और वह बन्द कर दिया गया। यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो खत लिखा था कि उस बन्ध्रे पर तत्काल काम

करने के लिये 15 हजार रुपया चाहिये किन्तु इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पत्र भेजने के पहले ही काम पूरा कर दिया था और इसलिये 38 हजार रुपये की और मांग की। वह काम बाढ़ के समाप्त होने के बाद किया जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो योजना सरकार ने तय की है उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि बाढ़ के बाद वह कार्य हाथ में लिया जायेगा, तो उस योजना का कुल कितना प्राक्कलन है और किस विभाग---सार्वजनिक निर्माण अथवा सिंचाई विभाग ने यह योजना बनायी ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, जितनी बाढ़ की समस्या शहरों में है उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देखता है सन् 1960 से। किन्तु जहां तक बरहज का सवाल है इस मसले पर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने दोनों ने मिलकर इस स्कीम को देखा और कहा कि इस खतरे को दूर करने के लिये 15 हजार रुपये की आवश्यकता है। अभी इस कार्य को 9,800 रु० में पूरा कर दिया गया है। तत्काल कार्य करने के लिये किसी पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरी स्कीम में 38 हजार रुपये की लागत आती है जिसको समय आने पर पूरा किया जायेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

अभी तीन-चार दिन पहले सिंचाई उप-मंत्री और डा० सीताराम देवरिया गये थे। मुझे मालूम है कि उन्होंने कहा है कि इसमें बरहज गौरा योजना को बचाने के लिये 38 हजार रुपये और खर्च करेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वहां पर स्था ी रूप से सुरक्षा हेतु बाढ़ घटने के बाद कोई योजना कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, इस बाढ़ से शहर को स्थायी रूप से बचाने के लिये 1956 में ही सिंचाई विभाग ने एक स्कीम बनाई थी और उस समय सरकार द्वारा कुछ पैसा भी मंजूर हो गया था किन्तु वहां के नागरिकों के प्रबल विरोध के बावजूद वह कार्य नहीं किया गया। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनः इस योजना के लिये 38 हजार रुपये की लागत से बल्लियां और कंक्रीट लगाकर काम करना चाहता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बाद में पूरा होगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा है कि शहर को कोई खतरा नहीं है, केवल एक मोहल्ले को खतरा है तो क्या यह मोहल्ला शहर से अलग है। दूसरा पार्ट मेरे प्रश्न का यह है कि क्या वह खतरा दूर किया गया अथवा नहीं ? और इस खतरे को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये और किस प्रकार वह खतरा दूर किया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि तत्काल उस खतरे को दूर कर दिया गया। जिस समय बाढ़ का खतरा पैदा हुआ तो बोरे बालू के डाल करके उस कटाव को रोक दिया गया। इस समय उस मोहल्ले को कोई खतरा है नहीं। यह सही है कि शहर में खतरा है या मोहल्ले में खतरा है, इसमें फर्क है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

देवरिया में घाघरा और राप्ती जहां मिलती हैं परसिया में वहां से 13 मील की पट्टी है जिसमें हर साल कटाव होता है। तो क्या शासन की कोई ऐसी योजना है कि इस पूरी बेल्ट को योजना बना करके कटाव से बचाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायं ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जो बांध की स्कीम बनायी गयी थी वह तो विरोध की वजह से स्थगित कर दी गयी। अब लोगों की राय है कि वहां ठोकरें लगायी जायं, लेकिन ठोकरें लगाने की स्कीम बहुत महंगी है क्योंकि 13 मील तक लगेंगी, तो हाल में उसको करना असंभव है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता था कि बरहज नगर से पश्चिम की तरफ जहां राप्ती नदी मिलती है वहां से पूर्व परसिया, कठलवा और दूसरे गांवों को बरहज नगर के साथ बचाने की कोई व्यवस्था है क्योंकि उस धारा से मिल कर इन गांवों को खतरा पैदा हो गया है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

रायबरेली जिले में डलमऊ पम्पिंग स्टेशन पर पाइप फटने से नुकसान की शिकायत

*4--श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जिले में डलमऊ पम्पिंग स्टेशन पर जो पाइप लाइन बिछाई गई थी वह बिना पूर्व टेस्ट किये ही लगा दी गयी थी तथा कार्य के समय फट भी गयी ? इसके फलस्वरूप पूरी पाइप लाइन बदलनी पड़ी और सरकार को 80 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ? शायद यह कार्य भी इसी अधिशासी अभियन्ता जो अब पदोन्नत होकर डल विभाग के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हीं की असावधानी के कारण हुआ है परन्तु फिर भी वही अधिकारी इस केस को पुनः दबवा कर पुनः पदोन्नति हेतु मुख्य अभियन्ता पद के लिये प्रयास कर रहे हैं ? क्या ऐसे अधिकारी को पदोन्नति देना जनहित में होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रथम भाग--

पाइपों को टेस्ट किया गया था और सभी पाइप ठीक पाये गये। एक भी पाइप कार्य के समय नहीं फटा। कोई पाइप लाइन बदली नहीं गई और न सरकार को 80.00 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

द्वितीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता है। डलमऊ पम्प नहर पर नियुक्त किसी भी अधिशासी अभियन्ता की पदोन्नति नहीं हुई है और न कोई मुख्य अभियन्ता पद के लिये प्रयास कर रहा है।

श्री राम करन सिंह--

सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस पाइप लाइन के बैठाने पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और जो अधिशासी अभियन्ता थे उनके अतिरिक्त जो अधीक्षण अभियन्ता थे क्या उनको प्रोमोशन दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

पाइप लाइन की कीमत 4 लाख रुपया रही है और उस समय जो अधीक्षण अभियन्ता थे वह अलग-अलग रहे अलग-अलग समय में। एक जिन्दल थे और एक महेश्वरी प्रसाद थे।

श्री राम करन सिंह---

अधीक्षण अभियन्ता कौन थे और क्या उनको प्रोमोशन दिया गया डाइरेक्टर पद के लिये ? उनका क्या नाम है ?

श्री राम लखन---

वह तो बतला दिया कि अधीक्षण अभियन्ता जिन्दल थे और उनके बाद महेश्वरी प्रसाद हुए। उनमें से कोई डाइरेक्टर के पद पर नहीं हुआ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 80 लाख रुपये की हानि नहीं हुई तो कितने रुपये की हुई ?

श्री राम लखन---

यह तो बतला दिया गया है कि कुछ भी हानि नहीं हुई।

श्री राम करन सिंह---

ये पाइप लाइन बनाने में उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपया खर्च हुआ तो यह कब खर्च हुआ और उसके साथ और कितना खर्चा हुआ बाद में ?

श्री राम लखन---

पाइप लाइन पर बताया गया कि कितना हुआ और दूसरे के लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी---

आपने बताया कि पाइप लाइन में 4 लाख रुपया खर्च हुआ तो जब पहली बार लाइन बिछाई गई तब कितना खर्च हुआ और दूसरी बार लगाई गई तो कितना खर्च हुआ ?

श्री राम लखन---

पाइप लाइन तो एक ही बार बिछाई गयी, दूसरी बार का प्रश्न नहीं होता।

*5---श्री चेतराम गंगवार---

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]।

*6---श्री त्रिवेणी सहाय---

[7 वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बुलन्दशहर में नीम नदी की बाढ़ से फसलों को क्षति

*7---श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्षा ऋतु में नीम नदी की बाढ़ से केवल जिला बुलन्दशहर में ही हजारों एकड़ भूमि की फसलें उजड़ जाती हैं और अत्यन्त क्षति पहुंचती है ? तो क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नीम नदी को गहरा और चौड़ा करने की जो योजना सरकार ने बनायी थी उसको इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया और उस योजना का क्या हुआ ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम लखन---

जी हां, नीम नदी की बाढ़ से जिला बुलन्दशहर में फसलें जल डुबाव से नष्ट होती है। नीम नदी को गहरा व चौड़ा करने की कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ का कथित पत्र और उस पर कार्यवाही

*8---श्री लालसा (जिला आजमगढ़) तथा श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला आजमगढ़ के पत्र संख्या 4272/5, मार्ग, दिनांक 28 अगस्त, 1970 का जो सड़क संबंधी था, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किया गया था, के संबंध में अब तक शासन की ओर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)---

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ का कथित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शारदा नहर हरदोई ब्रांच के सीपेज को समाप्त करने के लिये साइफन योजना का कार्यान्वयन

*1---श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर हरदोई ब्रांच की 13 मील से 21 मील तक के सीपेज को समाप्त करने के लिये जो साइफन की योजना है उसे कब तक बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राम लखन---

इस योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसे राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। अनुमोदन के पश्चात् इसकी स्वीकृति दी जायेगी तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य सम्पन्न करने की व्यवस्था की जायेगी।

चन्द्र प्रभा व नौगढ़ बांधों में झिराव

*2---श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि चन्द्र प्रभा व नौगढ़ डैम में जिला वाराणसी जिसका निर्माण सन् 1953-56 में हुआ था, के पक्के भागों में लगातार पानी का भारी झिराव चल रहा है ? डैमों की आयु पर उसका क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राम लखन--

चन्द्र प्रभा व नौगढ़ बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था तथा सन् 1955-56 से पानी देना शुरू कर दिया गया था। बान्धों के स्केप से मामूली झिराव (Seepage) होता है तथा प्रेशर पाइप से भी पानी बहता है ताकि पक्के काम पर दबाव घट जाय। इससे बांध की आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

बलिया जिले के नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण

*3--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार ने कुछ नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वे नये मार्ग कौन-कौन हैं और बलिया जिला का कौन मार्ग इसमें सम्मिलित है तथा सरकार के मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दोहरी घाट-बड़हलगंज में इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग पुल निर्माण कार्य

*4---सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा कृष्णानन्द राय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि दोहरी घाट-बड़हलगंज में इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग पर बनने वाले पुल का काम कब शुरु हुआ है और इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री महमूद अली खां--

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य 13 मार्च, 1967 को आरम्भ हुआ और 1971 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

सीतापुर के महोली-हरगांव मार्ग पर महोली वाया हरगांव-लखीमपुर पर अधिक बसें चलाना

*5--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत महोली-हरगांव मार्ग पर महोली वाया हरगांव-लखीमपुर को केवल एक ही बस अर्से से चल रही है इस पर अधिक बसें चलाये जाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

1970-71 वर्ष में सीतापुर जिलें में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

*6---श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सन् 1970-71 के बजट में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई थीं तथा उनमें से कितनी सड़कों पर कार्य किया गया और जिन सड़कों पर कार्य नहीं हुआ उसका क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां--

6 सड़कों के निर्माण के लिये प्राविधान किया गया था । इनमें से किसी सड़क पर निर्माण का आरम्भ नहीं किया गया है । इनका आगणन तैयार कराने, इनका प्रशासकीय अनुमोदन तथा इनकी वित्तीय एवं प्राविधिक स्वीकृति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सीतापुर जिले में केवानी तथा ककरहिया नदियों पर पुलों के निर्माण की प्रार्थना

*7—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर से बहराइच जाने वाली सड़क पर केवानी तथा ककरहिया नदियों पर पुलों के न होने से इस सड़क का यातायात बरसात में बन्द हो जाता है ? क्या सरकार इन पुलों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत पुलों के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जिला बराबंकी में 1971–72 में सड़कों के लिये निर्माण योजना

*8—श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971–72 में सड़कों के लिये बाराबंकी जिले हेतु कितना रुपया स्वीकृत हुआ है और किन-किन सड़कों के लिये अलग-अलग कितना रुपया स्वीकृत हुआ है ? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह भी ज्ञात है कि जिला बाराबंकी के भेटरिया से टिकैतनगर-बदोसराय, टिकैतनगर से सुआगंज, बदोसराय से सफदरगंज की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो सरकार ने इन सड़कों के लिये कितना धन इस वर्ष बजट में स्वीकृत किया है तथा इन सड़कों को तुरन्त ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जिला बाराबंकी में 1971–72 के आय व्ययक में हैदरगढ़-सुबैहा, बाराबंकी-सतरिख और पटरंगा–भोवई मार्ग के एक भाग का निर्माण सम्मिलित किया गया है । जिले में सड़कों की खराब हालत को देखते हुए रामनगर-बदोसराय-टिकैतनगर मार्ग पर काम कराया जा रहा है तथा टिकैतनगर- राम सनेही घाट और बदोसराय- सफदरगंज मार्ग को भी ठीक करने के संबंध में कार्यवाही चल रही है । टिकैतनगर से सुआगंज मार्ग जिला परिषद् के अधीन है । इसके निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गोंडा के नवाबगंज से परसपुर की सड़क का आधुनीकरण

*9—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के नवाबगंज से परसपुर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से प्रारंभ हुआ है और कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्री महमूद अली खां—

जनपद गोंडा में नवाबगंज से परसपुर की सड़क के मील 1 से मील 19 तक का आधुनीकरण किया जा रहा है । यह कार्य दिसम्बर, 1970 से प्रारंभ हुआ है और इसके मार्च, 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

नवाबगंज-परसपुर सड़क का अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा निरीक्षण तथा ठेकेदार का भुगतान

*10—श्री सूरज लाल—

क्या यह सच है कि फैजाबाद सर्किल के सुपरवाइजर इंजीनियर ने उक्त सड़क पर सप्लाई किये गये ईटें की गिट्टी की जांच करने के बाद नियमानुकूल नहीं प्राप्त किया था तथा इसी आधार पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया था ?

श्री महमूद अली खां—

इस सड़क पर सप्लाई की जाने वाली ईंट की गिट्टी का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद ने अप्रैल, 1971 में किया था। उन्होंने कुछ त्रुटियां बतायीं थी जिनका निवारण कर दिया गया। अतएव ठेकेदार का भुगतान रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें

*11—सर्वश्री प्रियदर्शी जैतली (जिला फैजाबाद), त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद), धर्मवीर सिंह, तेजपाल सिंह (जिला मथुरा), डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ), लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी) तथा मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970 में फैजाबाद जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई थी और उन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब क्यों है ?

श्री महमूद अली खां—

1970–71 के आय व्ययक में सम्मिलित सड़कों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से बसखारी-जहांगीर गंज मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति पर है शेष मार्गों का निर्माण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर आरम्भ किया जायगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 606 पर)

जिला पीलीभीत व शाहजहांपुर में मार्गों को पक्का करना

*12—श्री हरनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में यू० पी० रोड फन्ड एवं वर्ष 1970–71 के बजट से किन-किन मार्गों को पक्का करने का निर्णय हुआ है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पीलीभीत, मैरनिया गौढ़ी कबीरगंज, तहसील पूरनपुर के पुल की मरम्मत

*13—श्री हरनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैरनिया गौढ़ी कबीरगंज, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत का पुल जो वर्ष 1969–70 में वर्षा से टूट गया था उसका पुनःनिर्माण कब तक हो जाएगा ?

श्री महमूद अली खां—

1969–70 की वर्षा से केवल पुल की विंग वाल टूट गई थी। उसकी मरम्मत दिसम्बर, 1971 तक पूर्ण हो जायेगी।

गोन्डा जनपद में पुलों का निर्माण कार्य तथा खम्भों में लगे पत्थर का भुगतान

*14—श्री सूरज लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में चौधरीडीह से टढ़नी मार्ग पर कितने पुलों का निर्माण कार्य पुल निर्माण विभाग द्वारा हो रहा है तथा यह निर्माण कार्य कब पूरा हो जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग पर 12 पुल स्वीकृत हुए थे उनमें से दो पूरे होकर यातायात के लिये खोल दिये गये हैं और अन्य दो तैयार हैं और उनके पहुंच मार्गों का निर्माण चल रहा है। शेष आठ पुलों का निर्माण 1973–74 तक पूर्ण होने की संभावना है।

*15—श्री सूरज लाल—

क्या यह सच है कि उक्त पुलों में किनारे की ओर प्रथम और अंतिम खम्भों के पास जो पत्थर लगाये जा रहे हैं वे शासन द्वारा निर्धारित वजन से काफी कम तथा छोटे हैं ? परन्तु ठेकेदारों को बड़े वजन के पत्थरों के दर से ही भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महमूद अली खां—

पत्थर विभागीय निर्दिष्टियों के अनुसार हैं इसलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

*16—श्री राम सिंह—

[9 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला आजमगढ़ में टोंस नदी का पुल

*17—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुबारकपुर से गुजरपार होते हुये बेरमा जाने वाली सड़क पर पड़ने वाली नदी टोंस पर गुजरपार के पास कोई योजना पुल बनाने की सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब शुरू किया जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

जिला एटा में सड़कों के आधुनीकरण का एस्टीमेट

*18—श्री सिया राम (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में अमापुर-कासगंज "जिसकी दशा बहुत ही सोचनीय है" का आधुनिकीकरण करने के वास्ते सड़क का एस्टीमेट बनकर सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने 1971–72 के बजट में आधुनिकीकरण करने के वास्ते शामिल किया या नहीं ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

*19—श्री सियाराम—

क्या जिला एटा में काली नदी पर किन-किन घाटों पर पक्के पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री महमूद अली खां—

जिला एटा में कासगंज के निकट बरेली-मथुरा मार्ग के मील .65 फर्लांग 6 में काली नदी पर पुल बनाया जा रहा है ।

सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के स्टेशन के निकट के बाई पास के स्केप का पानी

*20—श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुमेरपुर, जिला हमीरपुर में स्टेशन वाली सरकारी बन्धी का खारिजा पानी जो किसानों के खेतों और फिर बस्ती के अन्दर रास्ते से जाता है, यह पानी खेतों को बड़े नाले के रूप में करता जा रहा है और बस्ती के अन्दर जहां से पानी जाता है उसके किनारे के मकानों की जड़ें काटता जा रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री रामलखन—

सुमेरपुर बन्धी नं० 2—जो सुमेरपुर जिला हमीरपुर में रेलवे स्टेशन के निकट है, के वाईपास के स्केप का पानी अधिकतर रेलवे पुलियों से होकर टेढ़ा ग्राम की तरफ चला जाता है । अधिक वर्षा के समय जब कुल पानी रेलवे लाइन के पुलों से नहीं निकल पाता तो वह बन्धी और रेलवे लाइन के बीच से होता हुआ स्लूस से निकलने वाले पानी से मिल जाता है । स्लूस से निकलने वाले पानी के नाले पर पघरी रोड और स्टेशन रोड पर पुल भी बने हुए है जिसके कारण पानी के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती है । इस नाले के किनारे बने हुये पुराने मकान काफी ऊंचे लेविल पर बने हुये है और उनको नाले के बहते हुये पानी से कोई हानि नहीं होती । परन्तु कुछ लोगों ने नाले के पास नीचे लेविल में मकान बना लिये हैं । वे अधिक बाढ़ के समय पानी में डूब जाते हैं । विभाग इस तरह बनाये गये मकानों की हानि के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

ग्राम पिपरोदर, ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा में लिफ्ट योजना

*21—श्री प्रतापनारायण तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिपरोदर, ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा में लिफ्ट सिंचाई योजना कब तक प्रारम्भ करेंगे ?

श्री रामलखन—

ग्राम पिपरोदर, ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा में कोई लिफ्ट योजना स्वीकृत नहीं है, अतः इसके प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*22—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[8वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल से उतरने वाले यात्रियों को यातायात की सुविधा

*23—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल से उतरने वाले यात्रियों को पुरानी पक्की सड़क तक लगभग 5 फर्लांग रास्ता खराब होने तथा

पानी भरे रहने के कारण विशेष कठिनाई हो रही है और बाढ़ के पानी को उसी स्थान से गंगा पार क्षेत्र में पचासों गांव की बाढ़ से क्षति हो चुकी है तथा अब भी फसलों के समाप्त हो जाने का खतरा मौजूद है ? क्या सरकार तुरन्त उसकी व्यवस्था करनें हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*24--श्री महराम सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल से पैदल यात्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य सवारी को उतरने पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तुरन्त आवश्यक व्यवस्था कर यातायात की सुविधा के लिये आदेश जारी करेगी ?

श्री महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद सर्किट हाउस में पदाधिकारियों का किराये पर रहना तथा खाली भूमि पर खेती

*25--श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद सर्किट हाउस में कुल कितने सूट हैं और कितने सूट किन-किन सरकारी पदाधिकारियों के कब्जे में कितने समय से हैं ? क्या सरकारी पदाधिकारी उक्त सूटों का किराया सरकार को देते हैं ? यदि हां, तो प्रति माह कितना किराया देते हैं ?

श्री महमूद अली खां--

इलाहाबाद सर्किट हाउस में कुल 8 सूट हैं । उनमें से एक में श्री बी0 के0 मिश्रा, न्याय सदस्य, राजस्व परिषद् 12-4-70 से समय-समय पर और एक दूसरे सूट में श्री सी0 एम0 भाटिया, उप कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 22-4-71 से रह रहे हैं । ये दोनों पदाधिकारी अपने-अपने सूट का 3 रु0 प्रतिदिन की दर से किराया देते हैं ।

*26--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या यह सही है कि सर्किट हाउस में जो पदाधिकारी रहते हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर निजी खेती कर ली है और उसका इस्तेमाल स्वयं करते हैं ? यदि हां, तो क्या इन पदाधिकारियों ने सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां--

सर्किट हाऊस में रहने वाले पदाधिकारियों में से किसी ने सरकारी जमीन में कोई निजी खेती नहीं की है । परन्तु सर्किट हाउस के ऐनेक्सी में रहने वाले एक सहायक अभियन्ता और एक अधिदर्शक ने शासन की अनुमति के बिना सर्किट हाउस की कुछ खाली भूमि पर इस वर्षा काल में अपने उपयोग के लिये कुछ सब्जी और अपने पशुओं के लिये कुछ चरी बोली है । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*27--श्री सन्तूराम--

[10 वें बुधवार के लिये स्थगित]

[दिनांक 15 सिम्तबर, 1971 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला पीलीभीत के कबीरगंज, हजारा, तहसील पूरनपुर के कृषकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था

*1—श्री हरनारायण—

सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरगंज, हजारा, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में राज्य की ओर से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी किसानों से सिंचाई कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामलखन—

सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों से किसी प्रकार का सिंचाई कर नहीं वसूल किया जा रहा है ।

पीलीभीत के हजारा, कबीरगंज, तहसील पूरनपुर में शारदा नदी के कटाव से क्षति

*2—श्री हरनारायण—

सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हजारा, कबीरगंज, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में शारदा नदी के कटाव से वर्ष 1969–70 एवं 1970–71 में करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है ? यदि हां, तो उससे बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग :

जी हां, कटाव हो रहा है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

बचाव हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*3–4—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

[13वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 23–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*5—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*6—श्री सूरजलाल—

[10वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली की तहसील नवाबगंज में ट्यूबवेल की मांग

*7—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में वर्ष 1968–69 व 1969–70 और 1970–71 में कुल कितने ट्यूबवेल उनके विभाग द्वारा बनवाये गये तथा वर्ष 1971–72 के कितने ट्यूबवेल बनवाने की योजना है तथा कहां-कहां ?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग :

एक भी राजकीय नलकूप नहीं बनाया गया ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

वर्ष 1971–72 में भी तहसील नवाबगंज में राजकीय नलकूप बनाने की अब तक कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

*8—श्री चेतराम गंगवार—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*9–10—श्री महराम सिंह—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

मेरठ के कादराबाद नाले का पुर्ननिर्माण

*11—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नाला कादराबाद अशोक नदी पर ग्राम ब्रजनाथपुर हरसिंह पुर, तहसील हापुड़, जिला मेरठ के मध्य पुल बनाने की योजना स्वीकार हुई थी ? उसकी क्या प्रगति है तथा कब तक बनने वाला है ?

श्री रामलखन—

कादराबाद नाले के मील 3 फर्लांग 4 पर ग्राम हरिसिंहपुर तथा ब्रजनाथपुर के मध्य पुल निर्माण के कार्य का प्राविधान कादराबाद नाले के पुर्ननिर्माण के प्राक्कलन में किया गया है । कादराबाद नाले के पुर्ननिर्माण के प्राक्कलन की रूप-रेखा तैयार की जा रही है जिसकी स्वीकृति होने तथा धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण करना सम्भव हो सकेगा ।

नैनीताल जिले में पहाड़ा पानी से मोरनौला जाने वाली सड़क को पक्का करने का विचार

*12—श्री इन्द्र लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में स्थित रामगढ़ मार्ग के पहाड़ा पानी से मोरनौला तक जाने वाली सड़क अभी तक पक्की नहीं की गई है जिसके कारण बरसात में कीचड़ हो जाने के कारण पहाड़ा पानी से आगे बसें तथा ठेले नहीं जा सकने के फलस्वरूप वहां की जनता को बड़ी कठिनाई तथा हानि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क को शीघ्र से शीघ्र कब तक पक्की बना देगी ?

श्री महमूद अली खां—

पहाड़ापानी से मोरनाला जाने वाली सड़क अभी कच्ची है । इसे पक्का करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*13—श्री राम प्यारे—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*14–15—श्री जय नारायण सिंह—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*16—श्री लालसा—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

*17—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में कुछ बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों का एवं कब से कार्यान्वित होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है वे निम्नलिखित हैं :—

1—अलीगढ़–खैर-टप्पल,
2—अलीगढ़–अनूपशहर-वाया दिबई,
3—बरेली–कासगंज वाया बदायूं,
4—सीतापुर–हरदोई तथा उसके संबंधित मार्ग,
5—उन्नाव–हरदोई तथा उसके संबंधित मार्ग,
6—बाराबंकी–फैजाबाद,
7—मेरठ–बुलन्दशहर तथा उसके संबंधित मार्ग,
8—कैराना–देहली वाया शासली,
9—अल्मोड़ा–पिथौरागढ़,
10—अल्मोड़ा–बागेश्वर,
11—लखनऊ–हरदोई–शाहजहांपुर तथा संबंधित मार्ग,
12—बिजनौर–नजीबाबाद वाया कीरतपुर,
13—मुरादाबाद–काशीपुर–रामनगर,
14—इटावा–मैनपुरी–वाया करहल,
15—पीलीभीत–बीसलपुर–बिलसंडा,
16—कालपी–झांसी,
17—वाराणसी–सैदपुर,
18—बांदा–बबेरू,
19—नगीना–धामपुर–कालागढ़,
20—हल्दवानी–टांडा–रुद्रपुर,
21—शाहजहांपुर–निगोही–बीसलपुर,
22—सहारनपुर–दिल्ली,
23—एटा–फर्रुखाबाद तथा सम्बन्धित मार्ग,
24—जौनपुर–कैराकत–सैदपुर–मिन्हाजपुर,
25—बदायूं–बबराला–सहसवां,
26—हमीरपुर–कालपी,
27—एटा–मथुरा–सादाबाद,
28—मिर्जापुर–गाजीपुर वाया वाराणसी,

29—हल्द्वानी–खैरना अलमोड़ा वाया गरमपानी,

30—जलालपुर–तारुन।

इन मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना कब से लागू करना संभव हो सकेगा यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

एटा जिलान्तर्गत ब्लाकों की संख्या तथा विभिन्न साधनों से सिंचित - असिंचित भूमि का क्षेत्रफल

*18—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत कितने ब्लाक हैं और हर ब्लाक में नलकूप तथा नहर से कितनी सिंचाई होती है और उनका ब्लाकवार सिंचित तथा असिंचित भूमि का कितना रकबा है ?

श्री रामलखन—

जिला एटा के अन्तर्गत कुल ग्यारह ब्लाक हैं। विभिन्न साधनों से ब्लाकवार सिंचित क्षेत्र तथा असिंचित क्षेत्र का विवरण सन्लग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 607 पर)

*19—श्री तिरमल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन ब्लाकों का असिंचित रकबा अन्य ब्लाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा है उसके रकबा की सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है तथा कब तक प्रबन्ध करेगी ?

श्री राम लखन—

असिंचित क्षेत्र में नलकूपों, नहरों आदि से सिंचाई व्यवस्था के प्रसार का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा परन्तु कोई निश्चित अवधि बता सकना इस समय सम्भव नहीं है।

*20—श्री मोहम्मद नबी खां—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*21—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*22—श्रीमती मसाली देवी—

[13वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*23—श्रीमती मसाली देवी—

[13वें मंगलावर के लिये प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के अभियन्ता संघ का प्रतिनिधि मंडल का मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री को ज्ञापन पत्र

*24—श्री रामलाल राही तथा श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अभियन्ता संघ का प्रतिनिधि मंडल श्री कृष्ण मुरारी महेश्वरी, मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कालागढ़, दिनांक 29 जून,

1971 को माननीय मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री आदि से मिला था ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रतिनिधि मन्डल को उनकी मांगों के सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दिये थे ?

श्री रामलखन---

जी हां, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कराये जाने का आश्वासन दिया था ।

*25---श्री रामलाल राही तथा श्री कृष्ण कान्त अवस्थी---

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री को कोई ज्ञापन-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो ज्ञापन-पत्र में कौन कौन सी मुख्य मांगें हैं ?

श्री राम लखन---

जी हां, मुख्य मांगे इस प्रकार हैं---

1---संवा नियमावली की संरचना,
2---सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण,
3---उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति,
4---वरिष्ठता निर्धारण,
5---बोनस की स्वीकृति तथा
6---लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी पदों के निमित्त सीधी भर्ती का पूर्णतया बन्द किया जाना ।

*26-27---श्री राम करन सिंह---

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*28-29---श्री बासुदेव सिंह वैद्य, श्री पारसनाथ सिंह तथा श्री भगौती---

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद जिले के ग्रामीण निर्माण कार्य-क्रम को स्वीकृति प्रदान करना

*30---श्री सर्वसुख सिंह---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद में जमुना नदी पर प्रताबपुर नामक स्थान पर जिस लिफ्ट सिंचाई योजना पर कार्य हुआ है उसका अनुमानित व्यय किया है ? उपर्युक्त योजना में कितना काम हो चुका है और वह कितने समय में पूरी की जायगी ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग :

यह योजना इलाहाबाद जिले के ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजना पर अभी न तो भारत सरकार की स्वीकृति ही मिली है और न अभी इस पर काय ही प्रारम्भ किया गया है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

प्रश्न नहीं उठता ।

*31---श्री शिवराज सिंह---

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*32—श्री लालसा—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

तिलहनहारी नदी पर पुल का निर्माण

*33—श्री धर्मवीर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में सराय अकिल से कौशाम्बी तक जाने वाली सड़क पर तिल्हनहारी नदी के वर्षा ऋतु में बढ़ जाने से सड़क अवरुद्ध हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर पुल बनाने का विचार कर रही है ? तथा यह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। तिल्हनहारी नदी पर पुल के निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

रामगंगा परियोजना के निर्माण के लिये स्वीकृत धनराशि तथा उसका व्यय

*34—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा परियोजना के निर्माण की प्रारम्भिक अनुदान व्यय की धनराशि क्या थी ?

श्री रामलखन—

सर्व प्रथम रामगंगा परियोजना के निर्माण के लिये शासन द्वारा वर्ष 1961 में स्वीकृत परियोजना प्राक्कलन की धनराशि 6.98 करोड़ रु0 थी।

*35—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कितनी बार सरकार द्वारा उसके निर्माण पर होने वाले व्यय के अनुमान को संशोधित किया गया तथा पूर्ण होने की तिथियों की घोषणा की गई ? अन्तिम व्यय का अनुमान क्या है और परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग :

परियोजना प्राक्कलन को नीचे दी हुई स्थिति के अनुसार संशोधित किया गया :—

वर्ष 1961	रु0	67.98 करोड़
वर्ष 1965	रु0	96.86 करोड़
वर्ष 1969	रु0	119.05 करोड़
वर्ष 1971	रु0	127.90 करोड़

रामगंगा परियोजना के विभिन्न कार्यों के पूर्ण होने के लक्ष्य समय-समय पर रामगंगा नियंत्रण परिषद् की विभिन्न बैठकों एवं प्राविधिक परामर्शदात्री समिति की बैठकों में बताये जाते रहे हैं। उक्त योजना के पूर्ण होने की तिथियों में अब तक चार दफे संशोधन (Revision) करना पड़ा है।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

अब ऐसा अनुमान है कि मुख्य बांध जून, 1974 में तथा विद्युत् गृह मार्च 1975 में कुल 127.90 करोड़ रु0 में पूरा कर लिया जायगा।

*36—श्री त्रिलोक चन्द—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*37--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

टिहरी बांध से प्रभावित ग्रामवासियों के लिये पुनर्वास की व्यवस्था

*38--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टिहरी बांध से कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री रामलखन--

टिहरी बांध के बन जाने पर टिहरी नगर के अतिरिक्त 22 गांव पूर्ण रूप से तथा 70 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो जायेंगे। उक्त बांध से प्रभावित होने वाले ग्रामवासियों के पुनर्वास का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*39--श्री रियासत हुसैन--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*40--श्री के० एस० मोहरिया--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

बन्धी डिवीजन राबर्ट्सगंज के निर्माण-कार्यों का अनुबन्ध

*41--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्धी डिवीजन, रावर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के निर्माण के कार्यों में अनुबन्ध किये गये थे ? यदि हां, तो अनुबन्ध के अनुसार क्या सभी कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो कार्यों की प्रगति कितनी हुई ?

श्री रामलखन--

जी हां। अनुबन्ध के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। कुछ कठिनाइयों के कारण कार्यों की प्रगति अनुबंध के हिसाब से पूरी नहीं हुई है, परन्तु इस प्रखंड को 1970-71 में हुई 14.75 लाख रुपये की प्रविष्टि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया गया है।

*42--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अनुबन्ध के अनुसार कार्यों के परिपूर्ण न होने के कारण बन्धियों में कमजोरी हो जाने के कारण कई एक बन्धियां टूट-फूट गई ?

श्री रामलखन--

जी नहीं। बन्धी प्रखंड, राबर्ट्सगंज में अनुबन्धों के अनुसार 18 बन्धियों पर कार्य चल रहा है। केवल दो बन्धियों पर वर्षा के कारण कुछ मिट्टी बह गई है, जिसको पूरा करने का उत्तरदायित्व अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों पर है। इसके कारण शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

*43--श्री धर्मबीर--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*44--श्री शिव शंकर सिंह--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*45—श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि—

[9वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् सीतापुर की निर्माण हेतु सड़कें

*46—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निमाण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, सीतापुर में कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी लम्बाई की निर्माण कराने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष हेतु संस्तुति की थी ?

श्री महमूद अली खां—

तम्बौर-लहरपुर-कसरैला-खैराबाद-नीमसार मार्ग (87 किलोमीटर), बाड़ी-मिसरिख-कुतुबनगर-बन्डरा मार्ग (68 किलोमीटर), लहरपुर-बिसवां मार्ग (26 किलोमीटर), सीतापुर-गोला मार्ग (63 किलोमीटर), मेंहमूदाबाद-तम्बौर मार्ग (53 किलोमीटर), तथा कुन्दनी-मानपुर महराजनगर-गजनीपुर (29 किलोमीटर) मार्गों के निर्माण की संस्तुति की थी।

*47—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिला परिषद्, सीतापुर द्वारा संस्तुत सड़कों में से कौन-कौन सी स्वीकार की गईं और कौन-कौन सी स्वीकार नहीं की गईं ?

श्री महमूद अली खां—

उपरोक्त मार्गों में से तम्बौर-लहरपुर (19.6 किलोमीटर), लहरपुर-खैराबाद (26 किलोमीटर), मिसरिख-कुतुबनगर (12.8 किलोमीटर), लहरपुर-बिसवां का छूटा भाग (6.5 किलोमीटर), महमूदाबाद-तम्बौर में से 33 किलोमीटर मार्गों का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

नलकूप खंड, अलीगढ़ के नलकूप चालकों का निलम्बन

*48—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि नलकूप खन्ड, अलीगढ़ द्वितीय के अन्तर्गत नलकूप उपखंड कासगंज द्वितीय के राजकीय कूप संख्या 20 कासगंज द्वितीय के तत्कालीन कूप चालक क्रमशः माह मार्च, 1969 और माह मार्च, 1970 में निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे तथा निलम्बित करने वाले अधिकारी कौन थे और उक्त निलम्बित कूप चालकों को क्या दन्ड दिया गया ?

श्री रामलखन—

नलकूप खंड द्वितीय अलीगढ़ के अन्तर्गत राजकीय कूप सं0 20 कासगंज में नियुक्त श्री चन्दा लाल गुप्ता, कूप चालक दिनांक 7-4-70 से निलम्बित किये गये थे।

इस कूप के चालक को मार्च, 1969 में निलम्बित नहीं किया गया था।

उक्त कूप चालक को जिलेदार को परताल करने के लिये रिकार्ड न दिखाने के आरोप में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री सहदेव प्रसाद द्वारा निलम्बित किया गया था। दन्ड के फलस्वरूप कूप चालक को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी दी गई, साथ ही निलम्बित अवधि में 1/2 वेतन स्वीकृत किया गया।

*49—श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त कूप चालकों को कितने-कितने दिन निलम्बित रखा गया और उन्हें कब बहाल किया गया तथा बहाल करने वाले अधिकारी कौन थे और बहाली के क्या कारण थे ?

श्री रामलखन—

उपरोक्त कूप चालक दिनांक 4 अप्रैल, 1970 से 128 दिन तक निलम्बित रहे तथा जांच उपरान्त अन्तिम निर्णय के अनुसार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता द्वारा उनको 12 अगस्त, 1970 से निलम्बन से मुक्त किया गया ।

मार्टीनगंज-फूलपुर सड़क का निर्माण

*50—श्री श्यामलाल कनौजिया तथा श्री बनारसी राम (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मार्टीनगंज से सिकरौर होते हुये फूलपुर वाली सड़क का निर्माण-कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री महमूदअली खां—

जी नहीं । इस मार्ग के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

घाघरा नदी की बाढ़ से क्षति

*51—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि घाघरा नदी की बाढ़ खत्म हो जाने के बाद भी पिपरपाती व वैसिया वगैरह दस-बारह गांव में पानी महीनों भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या पिपरपाती ग्राम जो कुदरहा ब्लाक, जिला बस्ती में है रेगुलेटर के लगने से पानी दूसरी तरफ निकाल कर उपरोक्त गांवों की बचत की जा सकती है ?

श्री रामलखन—

प्रश्न का पहला भाग :

जी हां, बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बुदरता में ग्राम पिपरपाती को सम्मिलित करके लगभग 8 ग्रामों में घाघरा नदी की बाढ़ के पश्चात् भी पानी जमा रह जाता है ।

प्रश्न का दूसरा भाग :

जी नहीं ।

*52-53—श्री गजेन्द्र सिंह—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*54—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*55—श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

मेरठ, बरेली, झांसी तथा रुड़की इरीगेशन वर्कशाप में एक ही स्थान पर काम करने वाले टेक्नीशियन फोरमैन, असिस्टेन्ट फोरमैन का स्थानान्तरण न होना

*56—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ, बरेली, झांसी तथा रुड़की इरीगेशन वर्कशाप में 10 साल के टेक्नीशियन, फोरमैन, असिस्टेन्ट फोरमैन तथा क्लर्क एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं ? उनके तबादले दूसरे सर्किल में न होने का क्या कारण है ?

श्री रामलखन—

प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर :

जी हां ।

प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर :

प्रश्न में उल्लिखित वर्कशाप सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर के अन्तर्गत आती हैं जिनका संवर्ग सिंचाई विभाग के शेष मंडलों के संवर्ग से अलग हैं । भिन्न संवर्ग होने के कारण साधारणतया सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के कर्मचारी मंडल के बाहर स्थानान्तरित नहीं किये जाते हैं ।

*57—श्री सूरज लाल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*58—श्री मनोहर लाल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*59—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*60—श्री जयराम यादव—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

नानक सागर बांध टूटने से जन व धन की क्षति

*61—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में स्थित जो नानक सागर बांध सन् 1967 अगस्त में टूट गया था उसमें कितने ग्राम बह गये थे ? कितने जन व धन की हानि हुई ? क्या बांध के टूटने के कारणों की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच के बाद कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और बांध में क्या खराबी थी ? यह भी बताया जाय कि नानक सागर बांध टूटने से प्रभावित पीड़ित ग्राम समूहों का पुनर्वास तथा व्यक्तियों को क्या सहायता पहुंचायी गई ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शोहरतगढ़ के पास शेमरा सागर में मछली मारने का ठेका

*62—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में शोहरतगढ़ के पास शेमरा सागर में पिछले 3 वर्षों में मछली मारने का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का ?

श्री रामलखन—

प्रथम भाग :

जी हां ।

द्वितीय भाग :

पिछले तीन वर्षों में कुल 4,955 रु० का ठेका दिया गया था । प्रत्येक वर्ष का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष		ठेके की धनराशि (रु० में)
1968–69	..	.. 1,700
1969–70	..	.. 1,125
1970–71	..	.. 2,130

अतारांकित प्रश्न

मेहदावल जाने वाली पी० डब्लू० डी० की सड़क को डामर की पक्की सड़क बनाने की मांग

1—श्री मुहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बस्ती से मेंहदावल जाने वाली पी० डब्लू० डी० की सड़क को इस वर्ष डामर की पक्की सड़क बनवाने की कृपा करेंगें ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत मार्ग को डामर की पक्की सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर-बरहलगंज मार्ग पर आम के पेड़ों के नीलाम से आय

2—श्रीमती मसाली देवी —

क्या सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत गोरखपुर–बरहलगंज मार्ग एवं कौड़ीराम–बांसगांव–खजनी मार्ग पर 1 अक्तूबर, 1970 से लेकर 20 जून, 1971 तक कितने पेड़ नीलाम किये गये हैं ? उन पेड़ों से कितनी धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है ?

श्री महमूद अली खां—

गोरखपुर-बड़हलगंज मार्ग पर 93 पेड़ों का नीलाम हुआ है और 5,420 रुपये की आय हुई । बांसगांव–कौड़ीराम मार्ग पर कोई सरकारी पेड़ नहीं है ।

3—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1972 में आम के कितने पेड़ों के फल को कौड़ीराम-बांसगांव रोड एवं गोरखपुर-बरहलगंज रोड पर नीलाम किया गया है उनसे कितनी आय हुई ?

श्री महमूद अली खां—

गोरखपुर-बरहलगंज मार्ग पर 129 आम के पेड़ों के फलों की नीलामी से 516 रुपये की आय हुई है। बांसगांव-कौड़ीराम मार्ग पर कोई सरकारी पेड़ नहीं है।

उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज अलीगढ़ रीजन में बसों से लाभ

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 में गवर्नमेन्ट रोडवेज, अलीगढ़ रीजन में कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट रोडवेज अलीगढ़ रीजन में 1968-69 तथा 1969-70 में निम्नलिखित शुद्ध लाभ हुआ :—

वर्ष	लाभ
1968-69	49,09,552.00
1969-70	45,55,617.00

5—श्री रामलाल राही—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद के देवघाट पुल पर टोल टैक्स से आय

6—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद के देवघाट पुल पर रख-रखाव में कितना व्यय प्रतिवर्ष होता है और उससे प्रतिवर्ष टोल टैक्स से कितनी आय है ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत पुल के रख रखाव पर कोई व्यय अभी तक नहीं हुआ है। जब से टोल लागू हुआ है तब से टोल की वसूली निम्नवत् है :—

	रु०
दिनांक 20-2-69 से 31-3-69	702.34
दिनांक 1-4-69 से 31-3-70	7,388.06
दिनांक 1-4-70 से 31-3-71	7,443.77
दिनांक 1-4-71 से 30-6-71	3,159.39
कुल ..	18,693.56

जिला देवरिया के श्री ठाकुर धनुषधारी रघुनाथ जी मंदिर स्थित ग्राम हैतिमपुर की अधिग्रहीत की गई आराजी के मुआवजें का भुगतान

7—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को पता है कि श्री ठाकुर धनुषधारी रघुनाथ जी मन्दिर स्थित ग्राम हैतिमपुर, तहसील व जिला देवरिया की आराजी खाता नं० 71, रकबा 3, 52 एकड़ लगभग 5 वर्ष पूर्व नेशनल हाईवे के बनाने के सिलसिले में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहीत की और उसके मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त मुआवजे के भुगतान के आदेश जारी करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। मुआवजे के तुरन्त भुगतान करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

8—श्री मनोहर लाल—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

9—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[8वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

10—श्री गंगा सिंह यादव—

[9वें बुधवार के प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हसनगंज-बांगरमऊ सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय का अनुमान

11—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में हसनगंज—बांगरमऊ सड़क व मोहान-औरास सड़क को निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधीन ले लिया है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1971–72 में इन सड़कों पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया व्यय किया जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

यह दोनों मार्ग अभी जिला परिषद् के अधीन है। परन्तु हसनगंज—बांगरमऊ सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के बाद इस वर्ष लगभग 50,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

मोहान—औरास मार्ग के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

सुमेरपुर, जिला हमीरपुर में सिंचाई विभाग के लिये विश्रामालय बनाने हेतु किसानों से ली गयी भूमि को वापस देने की मांग

12—श्री प्रताप नारायण तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुमेरपुर, जिला हमीरपुर में सिंचाई विभाग की ओर से एक विश्रामालय बनाने के लिये रेलवे स्टेशन के पास दो किसानों—श्री मन्गी पुत्र कालीदीन व लल्ली पुत्र रामाधीन के खेत लिये गये किन्तु विश्रामालय वहां न बनकर दूसरी जगह बन गया है किन्तु उपर्युक्त किसानों के खेत अभी तक नहीं छोड़े गये ? क्या मन्त्री जी उन्हें किसानों को उनके खेत वापस दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

दुर्गागंज, जिला वाराणसी व बारी, जिला इलाहाबाद रोड को पक्का करने की मांग

13—श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि दुर्गागंज (जिला वाराणसी), बारी जिला इलाहाबाद रोड को पक्का कराने की शासन योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को पक्का कराने का कार्य सरकार कब से प्रारम्भ करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं है।

आर० टी० ओ०, बरेली द्वारा दिये गये स्थाई तथा अस्थाई परमिट

14—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ओ०, बरेली ने 1 मई, 1971 से 30 जून, 1971 तक कितने स्थाई एवं कितने अस्थाई परमिट एवं किन-किन मार्गों पर दिये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आर० टी० ओ० बरेली ने एक मई, 1971 से 30 जून 1971 तक 21 स्थाई तथा 470 अस्थाई परमिट दिये हैं। किन-किन मार्गों पर यह परमिट दिये गये हैं यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं एक व्यवस्था उठाना चाहता हूं। जितने भी उत्तर यहां दिये जाते हैं, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि जितने भी उत्तर माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से दिये गये, ओम प्रकाश सिंह जी और कृष्णचन्द्र जी शर्मा ने, कल भी आपने करेक्ट किया और आज भी हुआ वैसे ही कि वे ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं और हमारे साथ न्याय नहीं हो पाता है। दूसरे, अभी परिवहन मंत्री जी जिस प्रकार के उत्तर दे रहे थे यह भी आपने देखा। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के उत्तर मिलने चाहिये मंत्रियों से उनके लिये उसको तैयार होकर आना चाहिये। कृपया आप हमारी इस भावना को मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें जिससे हमारे प्रश्नों का ठीक उत्तर मिल सके। मुख्य मंत्री अगर किसी कारण से नहीं आ सकें तो दूसरे मंत्री उनकी सहायता कर दें नये मंत्री अगर सीख ही रहे हैं तो हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह करना है कि 7 प्रश्न आज हो सके हैं कुल। वैसे तो अगर एक ही प्रश्न पर आप मौका देते रहेंगे तो एक ही हो पायेगा, लेकिन अगर जैसा कि निर्णय भी है आपका कि अहमियत को देखते हुये 6–7 अनुपूरक प्रश्न हो जायं, तो कम से कम कोई व्यवस्था आप कर दें जिससे सदस्यों के और प्रश्नों के उत्तर भी आ जायं—ये मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें, पहले इसे पेश हो जाने दें।

सभापति, विधान परिषद् के नैपाल से लौटते समय डिब्बे की कथित तालाशी से संबंधित प्रश्न के विषय में जानकारी

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

हमारे विधान परिषद् के अध्यक्ष जी जून में नैपाल गये थे। वहां से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी ट्रेन रोक ली गयी, उनके डिब्बे की तलाशी ली गई उसमें कुछ माल मिला है। करीब 2 घंटे उनको डिटेन किया गया है, उस संबंध में मैंने प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष—

वह विधान परिषद् में आयेगा, यहां नहीं।

श्री सुखपाल पांडेय—

उनकी तलाशी ली गयी, उनका चालान किया गया और विदेशी माल डिब्बे में मिला, उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

एक अध्यक्ष के सम्मान का प्रश्न था। वे हमारे अपर हाउस के अध्यक्ष हैं। आप व्यवस्था दीजिये, क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर निर्णय यह है कि विधान परिषद् के अध्यक्ष के संबंध में विधान परिषद् में प्रश्न पूछ। यहां नहीं पूछा जा सकता, वहीं पूछा जा सकता है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्तियां

कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह (जिला बस्ती)—

प्रश्न संख्या 4 पर मैं शुरू में खड़ा हो गया था और खड़ा होता रहा लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। यही चीज रोज होती आ रही है कि कुछ लोगों को 5–5 और 6–6 प्रश्न करने की आज्ञा हो जाती है और कुछ लोगों को एक प्रश्न करने के लिये भी इजाजत नहीं दी जाती। तो अब हम लोग शोर मचायें तभी पूछ सकते हैं, वही रास्ता अख्तियार करना होगा। तो यही निवेदन करूंगा कि एक ही दृष्टि से देखें। नेता लोग सभी हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि भी सब यहां हैं, तो सबको एक निगाह से देखने की कृपा करें तभी काम अच्छी तरह से चल पायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोशिश यही करता हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रश्न प्रश्नों के समय में आ जाते हैं तो अधिकार होता है सदस्यों को कि सप्लीमेंटरी करके अपने प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन जो एजेंडे से दूर होते हैं उनका लिखित उत्तर मिलता है पर वह इस प्रकार का होना चाहिये कि जो माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहता है उसके बारे में पूरा विवरण उसमें आ जाय। मेरा एक प्रश्न था पृष्ठ 12 में

श्री अध्यक्ष--

12वें पृष्ठ तक हम पहुंचे नहीं। यह तो आप मुझसे कमरे में पूछ सकते हैं।

श्री धर्मवीर--

कहां पूछ सकते हैं हम ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जिस प्रश्न का उत्तर यहां नहीं दिया गया है उसका उत्तर अब नहीं दिया जा सकता है।

श्री धर्मवीर--

उत्तर तो दिया है लेकिन वह सम्पूर्ण उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर वह पढ़कर नहीं सुनाया गया है सिर्फ आपको मिल गया है। इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर,मैंने एक प्रश्न मई में दिया था। आपने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखा जायेगा। फिर अगस्त में मैंने एक पत्र दिया तो आपने लिखा कि इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसमें दो लाख रुपये का घोटाला है। हाउस समाप्त हो जायेगा तो हम क्या करें।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो उत्तर नहीं आ सकता है। आपको उत्तर मिल गया होगा।

श्री महातम प्रसाद तिवारी--

कुछ नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--

आप कमरे में आकर बात कर लें। मैं आपको फाइल दिखा दूंगा।

प्रदेश में दूध की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान शर्मा द्वारा दी गयी सूचना

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल निवेदन किया था 301 नियम के मातहत मैंने एक प्रश्न भेजा था जो लोक महत्व का प्रश्न है। दूध बनाने की फैक्टरी खुल गई है जिससे दूध का अभाव हो गया है और जो चीजें दूध से पैदा होती हैं उनको गरीब आदमी खरीद नहीं सकता है जिससे बच्चों की तन्दुरुस्ती खराब हो गई है। 30 प्रतिशत जो दूध बचता है उसको हलवाई लोग खोया बनाकर मिठाई बना लेते हैं जिससे दूध के अभाव में बच्चे और बीमार लोग तड़प रहे हैं। लखनऊ की हालत देख लीजिये। देहात की हालत न जाने कैसी होगी। मैंने निवेदन किया था कि इस प्रदेश में हरियाणा और पंजाब तथा अन्य प्रदेशों की तरह से पाबन्दी लगनी चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि इस प्रदेश की जेनरेशन बिगड़ने से बचे और ये लोग अच्छे सैनिक, अच्छे मजदूर तथा अच्छे स्कालर बनें।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दिया होता तो आपको दो रोज में उत्तर मिल जाता। लिहाजा अच्छा हो कि आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दें।

देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की घटना के संबंध में श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं उठा रहा हूं और उससे सदन के समस्त लोग सहमत होंगे। देहरादून में 15 अगस्त को राष्ट्र ध्वज पैर में बांधकर ऊपर चढ़ा गया। जब ध्वज रस्सी कटने से नीचे गिर गया, जिस ध्वज के लिये आपने अपना सारा जीवन लगाया है तथा जिसके लिये सारे लोगों ने तपस्या की, वह राष्ट्र ध्वज नीचे गिर गया। यह घटना हो सकती है कि वह नीचे गिर गया। लेकिन उप मंत्री माननीय गुलाबसिंह जी जब राष्ट्रीय ध्वज नीचे गिर गया तो हंस रहे थे। पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आप क्यों हंस रहे हैं ? इतना ही नहीं इसको पैर में बांध कर ऊपर ले जाया गया जो कंधे पर रखा जा सकता था। जिस समय राष्ट्रीय ध्वज की सलामी हो रही थी उस समय सब लोग खड़े थे लेकिन मंत्री जी का परिवार बैठा था। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन उनके सम्मान से बड़ा सम्मान राष्ट्रीय ध्वज का है इसलिये इस सवाल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिये। इसको एक महीना हो गया लेकिन खेद प्रकाशन तक नहीं हुआ। इसके ऊपर सारे अखबारों ने टिप्पणी लिखी हैं और समाचार-पत्रों में फ्रंट पेज पर देहरादून में आर्टीकिल्स लिखे गये हैं। और उनसे तथा सरकार से यह मांग की गयी थी कि वह खेद प्रकाशन करें। लेकिन दुःख का विषय है कि न तो मंत्रीजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न उन्होंने कोई खेद प्रकाश किया। इस प्रकार से राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कल इसके लिये आधा घंटे का समय कार्य समाप्त हो जाने के बाद दे दूंगा। कहा जाता है कि ध्वज को पैर से उठाया गया है। उसके ऊपर चर्चा हो जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह तो इनके लिये रोजमर्रा की मखौल की चीज हो गयी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने समय देने की बात कह दी। बड़ी कृपा की आपने। लेकिन कल भी आपने लखनऊ के बारे में चर्चा करने के लिये समय दिया था। लेकिन कल कोई समय नहीं दिया गया। आपके वचनों की कोई सैंक्टिटी होनी चाहिये। आपने यह भी कहा था कि दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी, वह भी नहीं हुई, कल लखनऊ के बारे में होनी थी वह भी नहीं हुई। आज आपने इसके बारे में कहा है, इस पर भी इन्तजार करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

कल शाम को उस वक्त मैं खुद आ जाऊंगा। एक तो यह है और एक गाजीपुर के बारे में है। इन दोनों पर कल शाम को चर्चा हो जायगी। आधा घंटा इस पर होगी और एक घंटा उस पर होगी। इस प्रकार से कुल डेढ़ घंटा ज्यादा बैठेंगे।

विविध प्रश्न

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

और प्रश्नों का उत्तर तो आपने दिलवाया लेकिन जो अन्त में अतारांकित है उसका उत्तर नहीं मिला। न मौका दिया, कैसे काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर वह आखीर में पड़ गया है और उसका जो उत्तर आपको मिला है उसमें कोई नुक्स है तो आप अनुपूरक प्रश्न की भांति दूसरा प्रश्न भेज सकते हैं। वह आ जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

तिवारी जी का बजट आ गया है और एजेन्डे पर भी छप गया है। उसके बारे में कार्य-मंत्रणा समिति ने भी तय कर दिया है। यह काम सरकार का है। वह तो होना ही है लेकिन मैं लगातार निवेदन करता चला आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का क्या होने वाला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात की घोषणा करें कि क्या अगले सीजन में गन्ने के किसानों का दाम बढ़ाया जा रहा है और जो किसानों का बकाया है, यह देख कर कि लोग बाढ़ पीड़ित हैं, उनका बकाया सितम्बर में दिला दिया जायगा। उनका पैसा तो कम से कम दिलवा दें। जब कि सरकार ने स्वयं 12 मिलों को ले लिये हैं वह अपने लिये तो घोषणा कर ही सकते हैं कि अगले सीजन में वे किसानों का गन्ना किस भाव पर ले रहे हैं।

1971-72 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1971-72 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं। यह अनुपूरक अनुदान एक असाधारण परिस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी 15 दिन ही हुए मूल आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया था और कृपा करके आपने उसको स्वीकृत किया था। जिस समय उसको प्रस्तुत किया गया था उस समय इस बात की आशंका नहीं थी और कोई संभावना भी नहीं थी कि ऐसी अप्रत्याशित घटना प्रदेश में हो जायगी जिसमें सारा प्रदेश और प्रदेश की जनता डूब जायगी।

संविधान की धारा 275 की प्रक्रिया पूर्ण हुये बिना अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने के संबंध में वैधानिक आपत्ति

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप हमें इजाजत दें। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जिन्होंने सप्लीमेंटरी बजट को प्रस्तुत कर दिया है उसके कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट पर थोड़ा प्रकाश डालें। आप देखें कि इन्होंने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है उसमें इन्होंने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार से 75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की गयी है और केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की दयनीय दशा को देखते हुये कुछ वित्तीय सहायता दी है और आशा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी पूरी की पूरी धनराशि केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध हो जायगी। इसी आशा में 75 करोड़ रुपये की धनराशि इस अनुपूरक अनुदान में मांगी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् आपको मालूम है कि इस सरकार ने अभी कुछ दिन पहले बजट पास कराया है जिसमें 48 करोड़ का घाटा था और उस बार भी वित्त मंत्री जी ने कहा था जब हमने पूछा कि इस घाटा को पूरा करने के लिये आप टैक्स लगायेंगे या नहीं कि केन्द्रीय सरकार से हम साधनों को ले आयेंगे और 48 करोड़ के घाटे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज 75 करोड़ का सप्लीमेंटरी ग्रांट हाउस के सामने रखा है और कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करेंगे। मैं कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 275 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र से जो भी सहायता प्राप्त होती है वह आर्टिकल 275 के अन्तर्गत प्राप्त होती है चाहे नेचुरल कैलामिटी के ऊपर हो या ग्रांट के रूप में हों और केन्द्र राज्यों को किस प्रकार अनुदान दे इसके लिये एक फाइनेन्स कमीशन है जो रिपोर्ट करता है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न बताइये।

श्री कृष्णानन्द राय--

हमारी कांस्टीट्यूशनल आपत्ति यह है कि इन्होंने यह कह दिया है कि 75 करोड़ का अनुपूरक अनुदान पेश कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से यह सहायता प्राप्त हो जायगी। मैं यह कहता हूं कि ये गलत सूचना दे रहे हैं सदन को। जो कांस्टीट्यूशनल पोजीशन है अगर उसमें परिवर्तन हो गया है तो दूसरी बात है, मुख्य मंत्री जी बतायेंगे लेकिन आज कांस्टीट्यूशनल पोजीशन यह है कि फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन ने आर्टिकल 275 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष नेचुरल कैलामिटी के लिये केवल 94 लाख रुपया इस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश की गयी है वह गलत पेश की गयी है, सदन को गुमराह कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

भाषण में कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप रोक कैसे सकते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरी कांस्टीट्यूशनल आपत्ति यह है कि इन्होंने इस अनुदान को पेश करके यह लिखा है कि इनको आशा है कि केन्द्रीय सरकार से यह 75 करोड़ रुपया मिल जायगा। यह लिखने की जरूरत नहीं थी। यह तो सप्लीमेंटरी ग्रांट मांग सकते हैं लेकिन जो यह लिख दिया कि 75 करोड़ मिल जायगा तभी कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट उठता है कि केन्द्रीय सरकार आर्टिकिल 275 के अन्तर्गत ग्रांट देती है, उसमें नैचुरल कैलेमिटी के ऊपर भी ग्रांट देने की व्यवस्था है। उस आर्टिकिल के अन्तर्गत जो फाइनेन्स कमीशन मुकर्रर है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार इस मद में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ पैसा देती है। फाइनेन्स

[श्री कृष्णानन्द राय]

कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है कि आनेवाले वर्षों में 5 वर्ष तक वेस्ट बंगाल को 261 लाख रुपया प्रतिवर्ष नेचुरल कैलेमिटीज के लिये दिया जायगा। राजस्थान को 108 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जायगा। उड़ीसा को 125 लाख रुपया प्रतिवर्ष दिया जायगा। हरियाणा को 155 लाख रुपया हर वर्ष दिया जायगा....

श्री अध्यक्ष—

आप यू० पी० को बतलायें ?

श्री कृष्णानन्द राय—

बिहार को 150 लाख रुपया नेचुरल कैलेमिटीज के लिये दिया जायगा लेकिन फाइनेन्स कमीशन ने इस प्रान्त के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया है कि इस स्टेट को नेचुरल कैलेमिटीज के लिये केवल 94 लाख रुपया प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक दिया जायगा यानी 470 लाख रुपया इसको कुल दिया जायगा। वित्त मंत्री जी ने कोई रिप्रिजेन्टेशन केन्द्रीय सरकार को भेजा होगा कि हमारे यहां ऐसी अप्रत्याशित बाढ़ आ गई है और जो जनरल रूप में 94 लाख देते हैं वह कम पड़ेगा ....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

इन्होंने इस बात को लिखा गलत है कि केन्द्रीय सरकार से जो वित्तीय सहायता मांगी गई है वह सही है। इनको आशा है कि केन्द्रीय सरकार से और अधिक मिलेगा। हमारा कहना यह है कि संवैधानिक रूप से फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट केवल 94 लाख रुपये की है तो यह गलत बात कह रहे हैं कि इनको 75 करोड़ रुपया उनसे मिलने की आशा है। यह केवल गलत रूप से 75 करोड़ रुपया अनुपूरक मांग में पास करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात पर अपनी रूलिंग देता हूं कि यह बिलकुल संवैधानिक है, कांस्टीट्यूशनल है क्योंकि यह परिस्थिति तो बाढ़ के आने के बाद ही बनी है। अगर वह 25 करोड़ या 50 करोड़ या 75 करोड़ की आशा करते हैं तो यह नई चीज पैदा हो गई है। वह यह आशा करते हैं कि इसबाढ़ की वजह से उनको इतना मिलेगा। वह 5 वर्ष के लिये बात थी। यह चीज जो आप कह रहे हैं यह तब की है जब यहां पर बाढ़ नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना कि उनकी यह आशा करना अनकांस्टीट्यूशनल है कोई महत्व नहीं रखता है। वह यह आशा करते हैं कि वह इस तरह से केन्द्र से प्राप्त होगा। आशा तो कर ही सकते हैं। वह आशा फेल हो जाती है। इसलिये वह उनका कहना कांस्टीट्यूशनल है और वित्त मंत्री जी इसको पेश कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

हम तो यह जानना चाहते हैं कि इस आशा का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप कृपया बैठें। अपने भाषण में आप इन सब बातों को कह सकते हैं।

1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदान—(क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हमने अपना मूल बजट पेश किया उस समय इस बात की प्रत्याशा नहीं थी और न अन्दाजा ही था कि इस प्रकार की भयंकर बाढ़ हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व वर्षा के रूप में आयेगी या इतने बड़े प्रदेश के भू-भाग में आयेगी और उससे इतना ज्यादा नुकसान होगा। तो इस बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसने बजट के खर्चे को और बजट के लक्ष्य को बहुत प्रभावित किया और यह सदन इससे सहमत होगा, कल भी यहां इस बाढ़ के विषय पर चर्चा हुई है और जो सम्मानित सदस्यों की राय सामान्यतया है, चाहे वे विरोधी दल के हों या सरकारी पक्ष के हों, कि बहुत बड़े पैमाने पर सहायता कार्यों की इस प्रदेश में आवश्यकता पैदा हो गयी है। सदन के माननीय सदस्यों की इस अभिलाषा को और प्रदेश की जनता की इच्छा को यह अनुपूरक बजट प्रतिबिम्बित करता है। अनुपूरक बजट होता ही इसलिये है कि मूल बजट में जिस खर्च की कल्पना नहीं की जा सकती थी उस खर्च के लिये ही यह अनुपूरक बजट की व्यवस्था की जाती है।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य इस बाढ़ के विषय पर करीब-करीब सभी बोलने का अवसर चाहते थे लेकिन समय इसके लिये केवल 2 दिन का ही रखा गया है और वह सारा समय मंत्रियों के वक्तव्य में और फजूल के कार्य में खत्म किया जाता है और सारे सदस्य जो बाढ़ की अपने यहां की स्थिति यहां रखना चाहते हैं वे बोल नहीं पाते। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह आश्वासन दिलाया जाय कि जब तक सभी सदस्य जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं न बोल लें तब तक और कोई व्यर्थ में समय न लिया जाय। आप मंत्री जी का यह भाषण अब न सुनें बल्कि जो प्रदेश में बाढ़ के कारण स्थिति पैदा हुई है, जो संकट जनता पर आया है और जो जनता के प्रतिनिधि यहां कहना चाहते हैं उसको सुनने का पहले आप आश्वासन दें और जब तक सब सन्तुष्ट न हो जायं तब तक यह बाढ़ की बहस चले।

श्री अध्यक्ष—

यह फैसला कल कार्य-मंत्रणा समिति की तरफ से हो चुका है कि आज बाढ़ पर भी चर्चा चलेगी और उसके साथ ही यह अनुपूरक बजट जो प्रस्तुत हुआ है उस पर भी चर्चा होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी, हमारे माननीय तिवारी जी जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, वह आज की विशेष परिस्थिति के अनुसार उसको पेश कर रहे हैं उस पर जो कुछ हमें कहना होगा वह कहेंगे नहीं तो नहीं कहेंगे लेकिन उनकी (श्री राम बचन यादव की) भावना दूसरी है। यहां जितने माननीय सदस्य हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं कि जिनके क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए ह और वे सभी यहां अपनी समस्या रखना चाहते ह उसके लिये आज भी यदि समय बढ़ाकर ही हो उनको बोलने का अवसर अवश्य आप दे दें तो बहुत कृपा होगी, उनका कहने का यही आशय है।

श्री अध्यक्ष —

(वित्त मंत्री जी से) आप कृपया संक्षेप में कहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने तो अभी श्रीमन्, केवल 3 मिनट ही लिये है। मैं यह कह रहा था कि यह जो अनुपूरक बजट मांगा जा रहा है वह केवल 76 करोड़, 98 लाख 75 हजार रुपये का है और इसकी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जो मदें हैं उनके विषय में माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये संक्षेप में मैं बता दूं । अहेतुक सहायता ग्रेचुट्स रिलीफ के लिये 5 करोड़ की धनराशि रखी गई है, मकान बनाने के लिये सब्सीडी में 5 करोड़ रुपया, रियायती दर से या मुफ्त खाना देने के लिये 2 करोड़ रुपया, पशुओं के लिये रियायती दर से या मुफ्त चारा देने के लिये 2 करोड़ रुपया, दवाओं के लिये 50 लाख रुपया, विद्यार्थियों की फीस माफी के लिये 50 लाख रुपया, टेस्ट वर्क्स के लिये 2 करोड़ रुपया, मुफ्त या रियायती दर से बीज वितरण के वास्ते 5 करोड़ रुपया, सामग्री के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का खर्च 1 करोड़ रुपया इस तरह से इसका पूरा योग 23 करोड़ रुपया हो जाता है ।

इसके साथ ही एक दूसरी मद 14 करोड़ 50 लाख की है जिसमें बीज या उर्वरकों की खरीद के लिये ऋण की व्यवस्था हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपया रखा गया है और फसल पर दवाओं के छिड़काव के लिये 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

इसी अनुपूरक अनुदान में एक और मद 18 करोड़ 50 लाख की है जिसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपया आपद्कालीन तकावी के लिये है, उर्वरक और बीज के लिये तकावी देने के लिये साढ़े 8 करोड़ रुपया रखा गया है मकान बनाने के लिये ऋण देने के वास्ते 5 करोड़ रुपया रखा गया है ।

इसके अतिरिक्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिये 7 करोड़ रुपये का प्राविधान है, सिंचाई योजना से संबंधित मरम्मत के लिये 4 करोड़ रुपये का प्राविधान है और स्थानीय निकायों तथा अन्य विभागों को अनुदान देने हेतु 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस तरह से इन तीन मदों का योग 19 करोड़ हो जाता है ।

इसके साथ ही जिनका नुकसान हुआ है उनको आगे कार्य देने के लिये क्रैश प्रोग्राम में 1 करोड़ 68 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, जो भारत सरकार से लिया गया है और तीस लाख रुपया बरसाती पानी को निकालने के लिये यह जो कान्टीन्जेन्सी फंड दे दिया गया था उसके लिये है । इस प्रकार कुल मिलाकर 76 करोड़ 98 लाख रुपये की धन-राशि मांगी गई है । अब जहां तक सवाल श्रीमन्, इसमें भारत सरकार से सहायता का है जिसको सम्मानित उपनेता विरोधी दल ने पूछा, मैं उसमें केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 21 सितम्बर, 1966 का एक आदेश निकाला सभी सरकारों के लिये उसमें सूचना दी है जिसमें कि फिफ्थ फाइनेन्स कमीशन द्वारा जो सीलिंग लगाई है उसके अलावा जो रिलीफ कार्य होगा उनके लिये पूरा विवरण दिया गया है । मैं वह पैराग्राफ पढ़ देता हूं वह अंग्रेजी में है--भारत सरकार की टीम आयेगी हर बार और सीलिंग जो फिक्स वह करेगी वह होगा । इस वर्ष भी दो टीमें आ चुकी हैं और दूसरी टीम यहां आकर सीलिंग फिक्स करे इसका आग्रह किया है--

"Subject to the ceiling of expenditure fixed on each occasion as indicated in paragraph 3 above, the Government of India will provide financial assistance to the State Governments concerned of 75 per cent of the expenditure incurred in excess of the emergence of expenditure allowed by the Finance Commission in para..... of their report.

यानी फाइनेन्स कमीशन ने जो 94 लाख रुपया प्रति वर्ष दिया है इसके अलावा भारत सरकार सहायता देती है उन टीमों के आधार पर जो लेखाजोखा करती हैं । इस वर्ष इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और हमें पूरी आशा है । भारत सरकार की दो टीमें आ चुकी हैं । जो पहली टीम आयी थी उसकी सिफारिशें 21 करोड़ पचास लाख रुपये सहायता देने की रही है। कोई कारण नहीं है कि.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इनका बोलना कितना अप्रासंगिक है । ये अप्रासंगिक भाषण न करें । मेरा यही व्यवस्था का प्वाइन्ट है । आप इनका बजट उठा लें । ये तो भाषण करते चले जा रहे हैं कि बाढ़ में यह खर्च किया और वह खर्च किया....

श्री अध्यक्ष--

श्री कृष्णानन्द राय जी ने भी तो भाषण किया है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा प्रश्न यह है कि इनका पूरा भाषण पढ़ लीजिये । जो प्रस्तावनिक टिप्पणी की है और फिर सारा भाषण छपा हुआ है । सब बाढ़ पीड़ितों के लिये पैसा दे रहे हैं । पैसा खर्च कहां हो रहा है । इनका बजट देखिए तब मालूम होगा । बजट में "नियोजन और समन्वय" में क्या कर रहे हैं, "कर्मचारियों" का वेतन, अधिकारियों का वेतन, यात्रिक भत्ता आवर्तक अनुदान, अनावर्तक अनुदान, यह सारा दे रक्खा है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप भाषण में कह सकते हैं । आप डिटेल में बात करते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इनसे यह कहिए कि ये कहना बन्द करें । यह बाढ़ पीड़ितों के लिये है । यह कहें कि सरकार को दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आपको नहीं रोक सकते हैं, न उनको रोक सकते हैं । गवर्नमेन्ट...चाहे जो कुछ कहे, आप क्लैरिफाई कीजिये । किन्तु यह ठीक नहीं है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाकर भाषण शुरू कर दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि भारत सरकार का जो इतना नुकसान हुआ है, जो मदें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और जो वास्तविक व्यय होगा उसको रिइम्बर्स न करें । इसका कोई कारण नहीं दिखायी देता और यह जो बजट है वह हमारी मांग को मजबूत करता है । जो प्रदेश की स्थिति है उसको प्रतिबिम्बित करता है । श्रीमन्, मैं यह आग्रह करूंगा कि यह जो बजट है, जो आज की स्थिति है उसको यह प्रतिबिम्बित करता है और जो बजट का लक्ष्य है, जो डायनैमिक इन्स्ट्रूमेन्ट है उसके अनुसार प्रयोग किया है और जो पुरानी मदें हैं उसमें बचत करने की कोशिश करेंगे । लेकिन जो व्यय करना अपरिहार्य है उसको करेंगे । बाढ़ पीड़ितों के लिये सहायता, रिलीफ कार्यों के लिये, सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये जो कुछ संभव होगा वह हम करेंगे सदन के इस निर्णय को सरकार के इस निर्णय को परिलक्षित करता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह बजट नहीं कहता है कि यह केवल बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिये है ।

श्री कृष्णानन्द राय --

इस पर जनरल डिस्कशन हो जावे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

तिवारी जी ने तो भाषण किया है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो इन्होंने इसको प्रस्तुत करने को कहा है, इसके बाद बहस चलेगी। आप नं० 9 को देख लें। प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और यह साथ-साथ चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

भाषण दिया गया है इसलिये जनरल डिस्कशन के लिये आप 5, 5 मिनट का समय दे दें और शाम को इस ग्रान्ट पर मतदान करा लें। बाढ़ के लिये इसमें 23 करोड़ है और बाकी 52 करोड़ की इसमें फर्जी मांग है।

श्री अध्यक्ष--

आप डिवीजन करना चाहते हैं कि बाढ़ के लिये जो समय दिया गया है उसमें जनरल डिस्कशन भी हो, तो आप उसके लिये कितना समय चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

बाढ़ का समय न घटाया जाय क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आज दो चीजे होंगी। कल यह प्रस्ताव हो चुका है कि बाढ़ और यह साथ-साथ चलेगा। अब आप चाहते हैं कि साथ-साथ न हो तो पहले यह बहस हो जाय कि जनरल डिस्कशन में कितना समय लगेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है कि पहले इस पर विचार करने से कि इस मसले पर बहस हो, बाढ़ वाला मसला रह जावेगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

बाढ़ पर बहस हो लेकिन जो समय है उसको बढ़ा दें क्योंकि 75 करोड़ रुपये का मामला है। इस पर सभी दो-दो, चार-चार मिनट बोलना चाहेंगे। यदि 23 करोड़ की ही मांग होती तो दूसरी बात थी लेकिन 52 करोड़ और भी है जिस पर डिस्कशन करने दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

विभाग अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कितना समय चाहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

एक घंटा दे दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मैं उप नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ पर और सप्लीमेन्टरी बजट पर जो बहस हो वह एक साथ हो। आप एक घंटा मांग कर अपने को परिधि में बांध रहे हैं। आप जब तक समय है चाहे सप्लीमेन्टरी को क्रिटिसाइज करें या बाढ़ पर सुझाव दें। यह साथ साथ चलें तो अधिक अच्छा रहेगा और बाद में वोटिंग के समय पर वोटिंग हो जावे। तो इस पर आपको कई घंटे मिलते हैं एक घंटा क्यों मांग रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

त्रिपाठी जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक है लेकिन फिर भी इसमें फर्क हैं। जब हम बजट के बारे में कुछ कहेंगे तो जितने संबंधित विभाग हैं किस तरह से फंक्शन करे इस पर हम तो राय जाहिर कर सकें। मुमकिन है कि हम कुछ कह चुके हों परन्तु जो अन्तर है उसको तो स्पष्ट करने का मौका मिले। मेरे ख्याल में एक घंटे का समय बढ़ा दें ताकि बाढ़ को अपना पूरा समय मिले।

श्री अध्यक्ष—

परसों कार्य-मंत्रणा समिति में तय किया गया था वहां कृष्णानन्द राय जी भी थे और सभी की राय थी क्योंकि यह तो सर्वसम्मत से तय होता है कि बाढ़ पर भी चर्चा चले और अनुपूरक अनुदान भी चले। कोई सदस्य तो बाढ़ के बारे में बोलेंगे और कुछ लोग जनरल डिस्कशन में बोलेंगे। कुछ सदस्य बाढ़ ही बाढ़ के बारे में बोलेंगे। इसलिये अच्छा यही होगा कि दोनों पर साथ ही साथ बहस चले।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जहां तक कि हमको मालूम हुआ है सरकारी पक्ष से यह कहा गया था कि केवल बाढ़ से संबंधित अनुपूरक बजट पेश किया जायगा। इस बजट में सिंचाई विभाग के अनुदान में और नियोजन के सामान्य अनुदान में.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो मेरिट्स पर आ रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन आइटम्स में से जो बाढ़ से संबंधित आइटम्स हैं उन्हीं पर इस सदन में वोटिंग हो सकती है और अन्य पर यहां वोट नहीं हो। यह तो एक बड़ा भारी जालबट्टा है।

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ से सम्बंधित तो आदमी ही होते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है उससे मैं 100 प्रतिशत सहमत हूं। यह बजट जो है वह बाढ़ से संबंधित है। बिला वजह के समय नष्ट हो रहा है।

स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय मुख्य मंत्री का स्वदेशी काटन मिल के बारे में वक्तव्य होगा।

श्री राम विलास पांण्डेय (जिला आजमगढ़)—

पिछले दिनों मैंने स्वदेशी काटन मिल की हड़ताल के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। मंत्री जी ने कहा था कि मैं मऊ जा रहा हूं और बाद में वक्तव्य दूंगा। मुझे वक्तव्य की कापी नहीं मिली है और न तो उसमें मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं। पोस्टपोन कर दिया जाय ?

श्री राम विलास पाण्डेय—

मेरा नाम क्यों काट दिया गया है ? मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था 56 की सूचना पर । आज मेरा नाम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने आज दिया था ?

श्री राम विलास पांडेय—

नहीं, आज नहीं दिया था पहले दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य में किसी का नाम नहीं आता है ।

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन के श्रमिकों ने दिनांक 19 अगस्त, 1971 को प्रातः 10 बजे बिना किसी पूर्व सूचना अथवा लिखित मांग-पत्र के हड़ताल कर दी थी । इस प्रतिष्ठान में कुल श्रमिकों की संख्या लगभग 650 है और केवल वाच एन्ड वार्ड के श्रमिक इससे प्रभावित नहीं हुए थे ।

प्रादेशिक संराधन अधिकारी को सूचना मिलने पर वे दिनांक 21 अगस्त, 1971 को उपरोक्त प्रतिष्ठान पहुंचे थे और श्रमिकों से बात करने पर उनको मालूम हुआ कि हड़ताल का मुख्य कारण सेवायोजकों द्वारा एक श्रमिक श्री अच्युतानन्द उपाध्याय (उत्पादन क्लर्क) को तथाकथित अवैधानिक ढंग से दिनांक 17 अगस्त, 1971 से कार्य-मुक्त किया जाना था । क्षेत्रीय अधिकारियों के घटना स्थल पर पहुंचने पर श्रमिकों की ओर से एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रमिकों की 5 शिकायतें उल्लिखित थीं जो निम्न प्रकार से थीं :—

(1) उत्पादन क्लर्क श्री अच्युतानन्द उपाध्याय को बिना अपराध अपमानजनक ढंग से अलग कर देना ।

(2) मिल प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को गालियां देना तथा अपमानजनक व्यवहार करना ।

(3) प्रतिष्ठान में समान पद पर कार्य करने वाले श्रमिकों को विभिन्न वेतन दिया जाना ।

(4) वेतन मण्डल की सिफारिशों का प्रतिपालन न किया जाना ।

(5) श्रमिकों को स्थायी न किया जाना ।

दिनांक 24 अगस्त, 1971 को पुनः सहायक श्रमायुक्त, गोरखपुर तथा जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा उभय पक्षों से समझौता हेतु वार्ता की गयी परन्तु उसमें कोई सफलता नहीं मिल सकी । दिनांक 24 अगस्त, 1971 को सेवायोजकों ने अपने प्रतिष्ठान में नोटिस लगाकर तालाबन्दी की घोषणा कर दी ।

इस संबंध में श्रमायुक्त और मैं भी विवाद को सुलझाने हेतु मऊनाथ भंजन दिनांक 31 अगस्त, 1971 को गया तथा दोनों पक्षों से समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता की । वार्ता के क्रम में श्रमिक पक्ष की ओर से उनकी मांगें प्रस्तुत करते समय यह भी सूचित किया गया कि प्रतिष्ठान में सेवायोजकों द्वारा अधिक मात्रा में प्रशिक्षार्थी (अपरेन्टिस) रक्खे जा रहे हैं जिनको केवल 52 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है । जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रतिष्ठान में कुल 40 प्रशिक्षार्थी (अपरेन्टिस) नियोजित हैं जिन्हें सेवायोजक 2 रु० प्रति दिन अथवा 52 रु० प्रतिमाह के हिसाब से वेतन वितरित करते हैं ।

वेतन-मानों के सम्बन्ध में इस प्रतिष्ठान के श्रमिकों तथा सेवायोजकों के मध्य इसके पूर्व दिनांक 19-8-70 को एक समझौता हो चुका है । उभय पक्षों में आपसी बातचीत के उपरान्त सेवायोजकों ने यह मान लिया है कि तथाकथित प्रशिक्षार्थी श्रमिकों को जो एक वर्ष कार्य कर चुके हैं उन्हें वही वेतन दिया जायगा जो अन्य श्रमिकों को दिया जाता है ।

प्रतिष्ठान में अभी तक कोई प्रमाणित स्थाई आदेश नहीं हैं और इसके लिये प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों के विरुद्ध स्थायी आदेशों का आलेख्य न भेजने तथा माडल स्टैंडिंग आर्डर्स को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित न करने के लिये इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर कर दिया गया है । श्रमिकों को स्थायी न किये जाने पर सेवायोजकों को कारण दिखाओ नोटिस भेजा जा चुका है तथा प्राभियोजन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

उभय पक्षों में हुई वार्ता तथा मेरे हस्तक्षेप के उपरान्त प्रतिष्ठान में दिनांक 3 सितम्बर, 1971 से तालाबन्दी हटा ली गई है तथा प्रतिष्ठान में कार्य अब सुचारु रूप से चल रहा है । श्री अच्युतानन्द उपाध्याय का विवाद अभिनिर्णय हेतु भेजा जा चुका है ।

सेवायोजकों ने 8 सितम्बर, 1971 को एक नोटिस लगाकर यह सूचित किया है कि उनके वाइंडिंग एवं रीलिंग विभाग में 40 प्रतिशत तथा अन्य विभागों के 70 प्रतिशत श्रमिकों को स्थायी कर दिया जायेगा । सेवायोजक, स्थायी किये जाने वाले श्रमिकों की सूची तैयार कर रहे हैं और श्रमिक शीघ्रातिशीघ्र स्थाई कर दिये जायेंगे ।

सेवायोजकों ने इस हड़ताल के बीच जिन 40 श्रमिकों को चार्जशीट व निलम्बन आदेश दिया था उनमें से 29 श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया है और अब केवल 11 श्रमिक ही निलम्बित है । प्रतिष्ठान में हड़ताल से पूर्व के सभी श्रमिक काम पर वापस आ गये हैं, केवल 14 श्रमिक कार्य पर नहीं रखे गये हैं जिनमें 11 वे श्रमिक भी शामिल हैं जिन्हें निलम्बित किया गया है । शेष 3 श्रमिकों के संबंध में सेवायोजकों ने सूचित किया है कि वे जब काम पर आयेंगे उन्हें काम पर ले लिया जायेगा ।

जहां तक सस्पेंशन एलाउन्स दिये जाने का प्रश्न है सेवायोजकों ने सूचित किया है कि यह भुगतान कानूनन किया जायगा और इसका भुगतान अगले माह श्रमिकों को वेतन भुगतान करने के साथ 7 अक्टूबर तक कर दिया जायगा ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

11 श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया है । क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको अभी तक काम पर न लिये जाने का क्या कारण है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

उनको चार्ज शीट्स मिली हुयी है और डिपार्टमेंटल इनक्वायरी हो रही है । वे निलिम्बित हैं और ऐसी परिस्थिति में उनको निलम्बन भत्ता मिल रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जिस प्रकार से कि मंत्री जी ने सारे विवाद को निबटा दिया है क्या उसी प्रकार से वे मालिकों पर दबाव डाल कर और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से इन 11 श्रमिकों को भी काम दिलवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

अभी तक 40 में से 29 के बारे में सफल हो चुका हूं । इनके लिये भी मैं कोशिश कर रहा हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मंत्री जी मऊनाथ भंजन गये थे। क्या उनको इस प्रतिष्ठान के बारे में यह जानकारी हुयी थी कि श्रमिकों को श्रमिक कानून के अन्तर्गत जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो उसके बारे में उन्होंने क्या आदेश दिये थे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पद्मश्री मंगतू राम जयपुरिया के प्रतिष्ठान में कोई मुस्तकिल ही नहीं था, इसलिये उन पर मुकदमा चला दिया गया ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि स्वदेशी काटन मिल में जो श्रमिक यूनियन है वह गलत तरीके से बना दी है ? क्या वे उन्हें ठीक ढंग से बनवाने की कृपा करेंगे ताकि श्रमिकों को भी उसमें नुमाइन्दगी मिल सके ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित प्रश्न यह है कि स्टैन्डिंग आर्डर्स नहीं बने हैं और इसलिये सेवायोजकों को प्रोसीक्यूट किया जा रहा है । जब तक स्टैन्डिंग आर्डर्स नहीं बनते हैं तब तक डिपार्टमेंटल इनक्वायरी किस नियम के आधार पर की जा सकती है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जब तक स्टैन्डिंग आर्डर्स सर्टिफाई नहीं होते हैं तब तक माडल आर्डर्स एप्लीकेबिल होते हैं। उनको नोटिस बोर्ड पर डिसप्ले न करने के लिये उन पर दूसरा मुकदमा चला दिया गया है और परमानेंट न करने के लिये तीसरा मुकदमा चला दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

श्री अनन्तराम जायसवाल ।

श्री हबीबुर्रहमान--

वह यूनियन वहां पर काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री जायसवाल जी को बुलाया है।

श्री हबीबुर्रहमान--

मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष--

यदि जवाब नहीं आया तो मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

वहां पर केवल एक ही रजिस्टर्ड यूनियन है । जब तक की दूसरी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं होती है तब तक जो है वही मान्य है । अगर वह आपको पसन्द नहीं है तो यह हमारा, आपका और सब का कर्त्तव्य है कि वहां पर दूसरी यूनियन बनवायें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि स्टैंडिंग आर्डर्स को नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया और नियमानुसार श्रमिकों को स्थायी नहीं किया । इस कारण उनको हड़ताल पर जाना

पड़ा । इस बात को ध्यान में रख कर क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि जो 11 श्रमिक निलंबित हैं उनको तुरन्त काम मिल जाये ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट आदि देने का तो उनका काम है । 40 में से 29 को उन्होंने स्वयं काम पर ले लिया है । अब जो मुनासिब बात होगी उसके लिये उनको समझाया जायेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

पिछली बार जब यह प्रश्न किया गया था कि हड़ताल गैर-कानूनी थी या तालाबन्दी गैर-कानूनी थी, तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि मैं स्वयं वहां जाऊंगा और पता लगाऊंगा तथा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । माननीय मंत्री जी मऊ गये थे तो उन्होंने तालाबन्दी को वैध माना या अवैध माना यदि अवैध तो मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मैंने पहले ही जवाब दिया था कि बिना नोटिस दिये हड़ताल की गयी, इस कारण वह कानूनी नहीं थी हड़ताल गैर-कानूनी थी ।

श्री छोगुर राम (जिला आजमगढ़)--

मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसे आदेश दें कि जब मजदूर हड़ताल करे तो मिल मालिक उस वक्त तक तालाबन्दी न करें जब तक सरकार की स्वीकृति उसे प्राप्त न हो जाये ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

जब श्रमिकों ने गैर-कानूनी हड़ताल की तो 11 आदमियों को मोअत्तल कर दिया । किन्तु मिल मालिकान ने जब द्वितीय टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों को नहीं माना तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

यह श्रमिकों का आरोप है कि उन्होंने द्वितीय टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों को नहीं माना । अब इस प्रश्न पर हम अध्ययन कर रहे हैं । (व्यवधान) कुछ बातें मान ली हैं, पूर्णतया नहीं मानी हैं ।

श्री राम बिलास पांडेय--

मान्यवर, सन् 69 से यह मिल चल रहा है, तीन वर्ष हो गये । वह मिल आटोमेटिक सिस्टम से काम कर रही है । तो क्या फैक्टरी ऐक्ट को मजदूरों के लिये लागू करवा कर उनको उसी अनुसार डी० ए०, टी० ए० तथा बोनस आदि दिलवाने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

फैक्टरी ऐक्ट से डी०ए०, टी०ए० तथा बोनस आदि का कोई संबंध नहीं है ।

श्री हबीबुर्रहमान--

जब मंत्री जी मऊनाथ भंजन गये थे तो क्या पावरलूम के मजदूरों ने कोई मेमोरेंडम दिया था जिसमें यह कहा गया था कि जो रुई गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्वदेशी काटन मिल को दिया उससे उन्होंने तैयार शुदा माल को न किसी बुनकर को दिया न किसी सोसाइटी को दिया, बल्कि बड़े तिकड़म के जरिये एलाटमेंट महाराष्ट्र का कराया । नतीजा यह हुआ कि सारी रुई ब्लैक मारकेट में चली गई । तो आप बतायें कि ऐसा मेमोरेंडम पेश किया गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर आप इस आरोप पर विचार करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

ऐसा कोई मेमोरेंडम मिला भी नहीं और मेरा विभाग इस बात को देखता भी नहीं है ।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी के कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12 (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12(ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वाराणसी विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के अनिश्चित काल के लिये बन्द हो जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री कृष्णानन्द राय और श्री नित्यानन्द स्वामी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैंने और श्री नित्यानन्द स्वामी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है । माननीय कमलापति त्रिपाठी बनारस के हैं । यह आज एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाराणसी में जो दो विश्वविद्यालय हैं--काशी विश्वविद्यालय और संस्कृत यूनिवर्सिटी, दोनों में उनके मालिकों ने तालाबन्दी कर दी है । दोनों विश्वविद्यालयों के वाइसचांसलर्स ने अब अपने-अपने विश्वविद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिया है । यही नहीं, मुख्य मंत्री यह कह सकते हैं कि यह केंद्रीय सरकार का विषय है, किन्तु संस्कृत विश्वविद्यालय तो आपका ही है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी पुलिस ने सभी विद्यार्थी नेताओं को उठाकर जेल में बन्द कर दिया है । हमारी सरकार विद्यार्थियों के संबंध में काफी अच्छे-अच्छे नये-नये प्रयोग कर रही हैं और उन्हीं की समाजवादी विचारधारा के फलस्वरूप छात्र संघों का पुनः जीवन चालू हुआ था । जब आप इस विचारधारा के हैं और आपने इस सदन में कहा था कि विद्यार्थियों के साथ एक्सपेरीमेंट करने दिया जाये कि व्यवस्था में उनको हिस्सा मिले । उन छात्रों की केवल यही प्रमुख मांग है कि काशी विश्वविद्यालय का जो

वाइस चांसलर मुकर्रर किया जाये, उसमें उनकी भी राय ली जाया करे, और प्रबन्ध में उनका हिस्सा रहे । लेकिन आज क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में जितने वाइस-चांसलर नियुक्त किये जा रहे हैं वे रिजेक्टेड और बेकार किस्म के लोग हैं । जो भी रिटायर होता है उसे वहां का वाइस चांसलर बना दिया जाता है । आप यहां से रिटायर हों तो उसके वाइस चांसलर बन सकते हैं, लेकिन मूर्ख से मूर्ख आदमी जो पालिटिक्स में रहे हैं, जो भी रिटायर हुए हैं, उसे वाइस चांसलर बना दिया जाता है। आई० सी० एस० अधिकारियों और पालिटिशियन को बना दिया जाता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि यह केवल बनारस का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश का सवाल है । यदि इस मसले पर उचित समझौता नहीं किया गया--सरकार, विद्यार्थियों और अथारिटीज के बीच समझौता नहीं हुआ तो विद्यार्थी समाज में जोरों से आग भड़केगी । लखनऊ और इलाहाबाद के विद्यार्थियों ने भी नोटिस दे दी है । इस पर मुख्य मंत्री महोदय, तुरन्त हस्तक्षेप करें, वाइस चांसलर हमारे बैठें, सरकार बैठे और छात्र नेता बैठे और विश्वविद्यालय खुलवाया जाये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा इलाज किया है बनारस के अन्दर कि सर दर्द हो गया तो मरीज कर सर ही काट दिया, विश्वविद्यालय बन्द कर दिया, विद्यार्थियों को जेल में बन्द कर दिया । यह तो समाधान नहीं है समस्या का । उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखीं । आप उनको कान्फीडेंस में लेते, उन पर दबाव डालते, मिलजुल कर समस्या का हल होता है । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । यह इतना महत्वपूर्ण है, इसमें न केवल वाराणसी के विद्यार्थी बल्कि सारे प्रदेश के विद्यार्थी आन्दोलित हैं । इस चिनगारी को प्रदेश भर में भड़कने न दीजिये । इस पर आध घंटे की चर्चा दे दीजिये । आपने गोविन्द सिंह जी का नियम ५१ में स्वीकार किया है । हमने जो प्वाइंट्स उठाये हैं, उनको भी जोड़ दीजिये । जब गोविन्द सिंह जी वाले पर विचार होगा तो साथ में इस पर भी विचार हो जायगा । इसको भी उसके साथ जोड़ दिया जाय । आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन प्रेस वालों को ऐसा आदेश न दें कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में कि जो समाचारपत्र होते हैं प्रेस में न आने दें । कल मैंने लखनऊ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था । आपने स्वीकार नहीं किया लेकिन एक घंटे की बहस दे दी । नशनल हेराल्ड और पायनियर दोनों ब्लैंक आउट कर दिया । मालूम होता है लखनऊ में रहते ही न हों। यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है । कृपा करक आप व्यवस्था दे दें कि जो नियम ५१ का प्रश्न स्वीकार हुआ है उसमें यह भी चर्चा के अन्दर आ जायगा । यह बड़ा भारी सवाल है, विद्यार्थियों का मसला है इसे टैक्टफुली हैंडिल करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

बस इसके ऊपर फैसला मेरा यही है कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं आटोनामस बाडीज हैं । उनके कामों में कोई दखल हम को देना नहीं है इसलिये बहस इसके ऊपर नहीं चल सकती । उन्होंने जो काम किया है अपनी यूनिवर्सिटी के हित में किया है, लड़कों ने जो किया है अपनी यूनियन के हित में किया हो । इस तरह से जो दोनों का झगड़ा यह है, जो यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है और जो हिन्दू यूनिवर्सिटी है यह तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है ऐसी अवस्था में मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं। जो कुछ आपने कह दिया उसको मैंने रोका नहीं । जो आपने कहा कि नियम 51 में आ जायगा तो, वह दूसरा प्रश्न है, उसमें यह मिल नहीं सकता । इसलिये मैं उसकी भी इजाजत नहीं देता हूं नियम 51 में वह उतना ही सीमित रहेगा जितना 51 में आया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था को नहीं चैलेंज करता हूं । केंद्रीय संस्थायें जो राज्य में स्थित होती हैं, उनकी ला ऐंड आर्डर की जिम्मेदारी स्टेट की होती है । आज आप कह दें कि विश्वविद्यालय केन्द्रीय है, राज्य में स्थित है, उसकी ला ऐंड आर्डर की जिम्मेदारी स्टेट की है ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने, विश्वविद्यालय के जो अधिकार हैं, उनके अन्तर्गत मदद के लिये पुलिस को बुलाया । आप सेना को काम करने के लिये बुला लेते हैं । कैसे बुला लेते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

विश्वविद्यालय के अधिकारी तो तीन बातें कहते हैं । 1958 में उन्होंने कहा कि पुलिस की एंट्री अपवित्र है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष---

कहिये तो दो घंटे के लिये स्थगित कर दूं । बैठिये आप । कृपा करके बैठिये । अब श्री राजबहादुर चन्द जी बोलेंगे । बाढ़ पर कल बोल रहे थे ।

नक्सलवादियों की गतिविधियों के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय में जानकारी की मांग

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता था कि आपने सदन उठने के पूर्व यह आदेश दिया था और विश्वास दिलाया था कि नेक्सलाइट्स के विषय में जो प्रश्न दिया गया है उस पर दफा 52 के अन्तर्गत 14 तारीख को चर्चा होगी ।

श्री अध्यक्ष---

यादवेंद्र दत्त जी ने मुझे फोन किया कि अभी इसे न लिया जाय । जौनपुर में बाढ़ आई हुयी है । जब वह आये तब किसी वक्त लेने के लिये उन्होंने कहा है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

प्रस्तावकों में मैं भी हूं ।

श्री अध्यक्ष---

कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया है कि इस समय दो ही प्रश्न लिये जायं बाढ़ तथा बजट और बाकी टाल दिया जाय क्योंकि हमको जल्दी उठना है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

मैं इससे सहमत हूं लेकिन यह व्यवस्था चाहता हूं कि स्पीकर ने कुर्सी से अगर दफा 52 के अन्तर्गत चर्चा के विषय के संबंध में शासन को कोई आदेश पहले ही दे दिया हो और निर्देश दिया हो कि 14 तारीख को इस विषय पर चर्चा होगी तो कार्य-मंत्रणा समिति अथवा किसी सदस्य विशेष के कहने मात्र से उस विषय को क्या टाला जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

कार्य-मंत्रणा समिति के कहने से टाला गया है । कार्य-मंत्रणा समिति का कहना है कि कोई विषय इस समय नहीं लिया जायगा । सदन ने कल उसे स्वीकार कर लिया जब यह प्रस्ताव रखा गया तो फिर प्रश्न मेरा नहीं उठता कि मैंने कोई आज्ञा दी थी । अब इस समय बाढ़ पर केवल बहस होनी है, इसलिये उस विषय पर समय नहीं दिया गया ।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)---

425 सदस्यों में से बाढ़ के संबंध में 400 सदस्य बोलने वाले हैं । इसलिये आप ऐसा समय निश्चित कर दें जिससे सब सदस्य इस विषय पर बोल सकें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं 10 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को हड़ताल करते हुए 26 दिन हो गये, असेम्बली अब बन्द होने वाली है इसलिये उनका मसला भी हल कर दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मेरी विरोधी दल के अपने समस्त साथियों से तथा नेताओं से अपील है कि बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है और अनुपूरक बजट भी आपके सामने है । अब पहले बाढ़ पर बहस हो और समय की अधिक बरबादी न हो फिर जो समय आप लेना चाहेंगे अन्य प्रश्नों पर वह बाद में ले लीजियेगा । आज का समय बाढ़ में लगाइये । दूसरे प्रश्न उठा कर आप समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

श्री राज बहादुर चन्द अब अपना भाषण बाढ़ के विषय पर जारी रखेंगे ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय बाढ़ ने हमारे प्रदेश में जो भीषण रूप धारण कर लिया है

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

इस प्रकार अनुशासन भंग करना उचित नहीं है । इसे रोका जाना चाहिये ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथियों की गतिविधि बहुत बढ़ गयी हैं। मुख्य मंत्री जी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । बनारस में जो कांड हुआ है उससे साफ जाहिर है क्या हो रहा है ? वह उस मुकदमे को वापस लेने जा रहे हैं। बनारस में चकिया में नक्सलाइट्स की इतनी बड़ी.....(व्यवधान).....बाढ़ की समस्या प्रदेश में कही जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

समस्या तो आपकी है मेरे सामने। आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको इजाजत दे रहा हूं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

तब से इस प्रदेश में पानी, पानी, पानी हो गया है. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनः आपसे कहता हूं कि आप कृपा करके बैठ जायं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा।

(माननीय सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।)

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य तथा 1971–72 के प्रथम अनपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद †

*श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश में जो बाढ़ आई है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। पिछले कई सालों से सिंचाई विभाग द्वारा टेस्ट वर्क से या गांव सभाओं द्वारा हर एक जिले में कुछ बांध बांधे गये किन्तु उनका रख रखाव सरकार की तरफ से नहीं हुआ। सिंचाई विभाग ने उन बन्धों को अपने शासन में लिया जिनको उन्होंने खुद बनाया था। ये बांध बिना मरम्मत के और लापरवाही से कट गये और उसका नतीजा यह हुआ कि आज बाढ़ ने भीषण रूप धारण कर लिया है। इस बाढ़ में सबसे बड़ी भीषण बात यह हुई कि हमारे बस्ती जिले में चारों तरफ से पानी होने के कारण वह कट गया। उस जिले से सड़कों का सम्बन्ध विच्छेद हो गया। ट्रेन का ही केवल एक सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं रहा।

(इस समय 1 बजकर 16 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

इसी तरह से अभी-अभी मेरे पास एक तार आया है कि हरैया तहसील के 600 गांव बाढ़-ग्रस्त हो गये हैं। इस तार में लिखा है कि रेवेन्यू अधिकारी सहायता पहुंचाने में असमर्थ हैं इसलिये फौज की सहायता चाहिए। हरैया वाली सड़क बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो गई है। अतः मेरा आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन है कि जो क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त हो गये हैं और जिनकी सड़कें कट गई हैं उनको अतिशीघ्र बनवाने का प्रबन्ध करें।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस साल बाढ़ के बचाव का जो कार्य सरकार द्वारा किया गया वह बड़ी तत्परता के साथ किया गया जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है. . . (विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के हंसने पर) जो माननीय सदस्य सामने बैठकर हंस रहे हैं उनमें कितने ही माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा है कि बाढ़ सहायता कार्य इस साल बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वे सोचते हैं कि विरोध पक्ष में बैठने पर कुछ सरकार के बारे में तो कहना ही है। इस साल जो सबसे बड़ी बात हुई वह यह हुई कि जितने भी मंत्रीगण हैं उन्होंने. . . . . (व्यवधान) . . . . .आप अपने दिलों पर हाथ रखकर स्वयं पूछें बाढ़ सहायता कार्य में मंत्रीगणों ने कितने दौरे किये। क्या किसी मुख्य मन्त्री ने कभी अपने किसी मन्त्री को इस तरह से अधिकार देकर प्रदेश में भेजा था, मैं समझता हूं कि कभी नहीं भेजा था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कृषि मन्त्री को अधिकार मिला है कि वह अपने ही क्षेत्र का दौरा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†बाढ़ चर्चा, 14 सितम्बर, 1971 की कार्यवाही से।

श्री राज बहादुर चन्द—

यह सरासर असत्य है। श्रीमन्, आप देखें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्ट्रोल रूम में बैठकर बाढ़ से सहायता कार्य को देख रहे थे कि किस तरह से वह किया जा रहा है। इस प्रकार से जो बातें सत्य हुई हैं उनको कहने में संकोच नहीं होना चाहिये। बाढ़ से जो बंधे कट गये हैं उसकी मरम्मत हेतु सरकार शीघ्र प्रबन्ध करे।

श्रीमान जी, एक चीज मैं आपको बतलाऊं। हमने सुना है कि बटलर बांध के पास किसी वकील साहब ने बांध की मिट्टी काट कर अपने बगीचे में डाल दी और बराबर कर दिया और उसी रास्ते पर वह बन्ध ध्वस्त हो गया। एक वकील, प्रबुद्ध आदमी ने यह नहीं समझा कि सरकार ने इस लखनऊ नगर में बन्ध बनवाया था, उसको काट कर उसकी मिट्टी अपने बगीचे में ईंटा और गारा लगाया और उसको बराबर कराया और बांध कटवा दिया और सारा बटलर पैलेस पानी से भर गया और इस प्रकार लाखों रुपये की क्षति हुई। तो ऐसे आदमी के ऊपर जो जन-जीवन से इतना खिलवाड़ करता है उसके खिलाफ जो भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिये वह माननीय मुख्य मन्त्री जी को उठाना चाहिये।

दूसरी बात मान्यवर, यह निवेदन करनी है कि अपने बस्ती जिले में जितने बन्धे सरकार द्वारा बने हैं या टेस्ट वर्क में या सिंचाई विभाग द्वारा या ग्राम सभा द्वारा बने हैं उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। जब तक विभाग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला है।

तीसरी बात यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि हमारे यहां एक ढाई मील के एरिया रापती के दक्षिणी तट के ऊपर अगर बांध बना दिया जाय तो 40 मील दूर तथा बाढ़ का प्रकोप मिट जायगा। दक्खिनी डाट और पथरा ताल के बीच में इसको बनवा देना चाहिए। इसके अलावा जो 19 मील लम्बा बांध है वह बांधा नहीं गया और पूरा काम नहीं हुआ। अगर वह ठीक से बन्ध जाता तो 25-30 मील के एरिया में बाढ़ का प्रकोप हुआ वह कभी नहीं होता।

श्रीमान, जी, चने और दियासलाई और मिट्टी का तेल जो बंट रहा है इससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यहां मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है ऐसे भूमिहीन लोग जिनको बाढ़ की मजदूरी नहीं मिल रही है उनके लिए राशन कार्ड बनवाये जायं और उनको मुफ्त में राशन तब तक दिया जाय जब तक उनके लिये मजदूरी की व्यवस्था न हो और जब तक उनकी दशा खाने-पीने लायक न हो जाय। मकान की जो तकावी बांटी जा रही है उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना है कि जो ऐसे किसानों को दी जाय। तहसीलदार द्वारा या एस० डी० ओ० द्वारा तो उसकी एक प्रति क्षेत्रीय विधायक को भेजी जाय ताकि वह जानकारी प्राप्त कर सके कि किस किसको कितनी सहायता दी गयी और नहीं दी गयी तो क्यों नहीं दी गयी। क्षेत्रीय विधायक को अवश्य सूचना मिलनी चाहिये। हमारी गवर्नमेंट तो वह सब काम कर रही है जो आजतक अभी नहीं हुआ, उसके लिये हम सरकार के आभारी हैं। इसके साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आप क्यों नहीं बोले जब आपको समय दिया गया था। आप बैठिये, ... (व्यवधान) यह सब नहीं लिखा जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, 30 तारीख से बाढ़ के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। मेरे विचार में बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसका जन-जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ अंशों में अच्छा भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर बुरा पड़ता है। मान्यवर, आजादी के बाद जब सन् 52 के हमारी जनतांत्रिक सरकार आई और हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री श्रद्धेय पंडित जी सन् 52 में जब सिंचाई मन्त्री थे तो मैं भी उनके पीछे बैठा करता था और मुझे याद है कि सन् 54 में जो बाढ़ नियन्त्रण कार्यवाही की गयी और इस तरफ सरकार का ध्यान गया। लेकिन एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि बाढ़ तो पहले भी आया करती थी। मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन सन् 38 से अच्छी तरह से याद है।

सन् 38 में बाढ़ आयी और फिर भीषण रूप से सन् 48 में आयी और फिर उसके बाद छोटी-छोटी बाढ़ें आती रहीं सन् 56 में आयी जो भीषण थी। ऐसी बाढ़ें 8—10 वर्ष में आया करती थीं और ऐसी बाढ़ें आया करती थीं कि प्रदेश के किसी एक हिस्से में आ गयी। और विशेषकर पूर्वी अंचल में आया करती थी। लेकिन जब से बाढ़ नियंत्रण की तरफ ज्यादा ध्यान सरकार का गया तब से इस बाढ़ का भीषण रूप क्यों हो उठा, यह एक अहम प्रश्न है और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकारों की आलोचना करने से तो काम चलता नहीं। बाढ़ के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा। चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के, और आज तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि कभी हम उधर चले आते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी ऐसा हो रहा है। पर हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमें बड़े ध्यानपूर्वक और चिन्ता के साथ इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

80 नम्बर के कमरे में पूज्य पंडित जी जब वे सिंचाई मन्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में इंजीनियरों को बुलाया गया और विशेष कर जो पूर्वी अंचल के जिले बाढ़ से पीड़ित हैं उनके सम्बन्ध में वह मीटिंग की गयी थी। उस वक्त मैं पूज्य पंडित जी से हाथ जोड़ कर निवेदन किया था कि बंधों की जो स्कीम बता रहे हैं, हम तो बिलकुल लेमैन हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बनने से पानी सीमित हो जायगा और जब पानी एक सीमित क्षेत्र में रुकेगा तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैं बिलकुल अनिभिज्ञ था। लेकिन मुझे याद है, एक इंजीनियर ने खड़े होकर मुझे उनका नाम याद नहीं है, पंडित जी के सम्मुख ही जवाब दिया था और हमारे विधायकगण जो उस समय वहां थे वे इस बात से परिचित हैं, उन्होंने कहा कि बन्धों के बनने से नदियां और गहरी हो जायेंगी और पानी सीमित होकर उनकी तलहटी में जाकर उनको और सीमित बना देगा और बाढ़ का प्रकोप कम होगा। लेकिन मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 57 मील का लम्बा बांध है बेलहा से बेहड़ा तक और वहां से जरवल तक गया है। उसके बनने के ठीक दो साल के बाद सन् 56 में जो भयंकर बाढ़ आयी है उसके बाद आज तक का मेरा अनुभव है कि नदियां गहरी होने की बजाय उनमें ज्यादा मिट्टी भरती चली गयी और वे ऊंची हो गयी है। उसके परिणाम स्वरूप जगह-जगह पर जब बाढ़ आती है तो बन्धे कट जाते हैं और इधर-उधर का क्षेत्र नष्टभ्रष्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर विशेषज्ञों की एक ऐसी जांच समिति बना देनी चाहिये चाहे उसमें वहां के इंजीनियर हों या फारेन के हों जो इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें।

आज पूरे प्रदेश की ही नहीं यह देश भर की समस्या बन गयी है। पहले कहा जाता था कि पूरब में ही बाढ़ आती है, आज पूरब ही नहीं पश्चिमी जिलों में भी हम देखते हैं कि वे पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और इस वर्ष 54 में से 50—51 जिले प्रभावित हो चुके हैं। जैसे एक रोगी होता है तो डाक्टर उसका इलाज करता है उसके जीवन को बचाने की चेष्टा करता है, लेकिन जब वह मर जाता है तब उसके कफन, क्रिया-क्रम जलाने और तेहरी का इन्तजाम किया जाता है। ठीक उसी तरह से बाढ़ के विषय में भी हमारे दो विभाग हैं उनमें से एक डाक्टर की तरह इलाज करता है और दूसरा कफन का इन्तजाम करता

है। मान्यवर, 30 तारीख को मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस वक्त अधिष्ठाता महोदय ने कह दिया कि माल मन्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सिंचाई मन्त्री को ज्यादा सतर्क होकर बैठना चाहिए। सिंचाई के मन्त्री, उपमन्त्री सबको सतर्क होकर बैठना चाहिए। क्योंकि रोगी का उपचार करने वाला मान्यवर, वही विभाग है। लेकिन माल विभाग जो सरकार का है वह दुर्भाग्य से जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है उनकी अन्त्येष्टि करने के लिये हैं। जब बिलकुल मौत हो जाती है तभी यह सहायता देता है और कफन क्रिया-क्रम का काम करता है।

तो मेरा यह कहना है कि जो सिंचाई अधिकारी हैं और जिनका उनके ऊपर नियंत्रण हैं वे लोग ध्यान नहीं देते हैं, न बैठते हैं और न सुनते हैं, जब मन्त्री ही नदारद रहते हैं तो फिर अधिकारियों का क्या कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के विषय में हमारे यहां जिलों में भी यही स्थिति है कि अप्रैल और मई में मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें केवल तहसीलदार, एस० डी० एम० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रहते हैं, सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी नहीं रहता है। तमाम पैसा उनके द्वारा दिया जाता है और वे लोग ईमानदारी पर हैं। लखनऊ की दशा आप देख ही रहे हैं। 1960 की परिस्थिति के सम्बन्ध में हमें आलोचना करते हुये दुख होता है। इन 11 वर्षों में कभी कोई मुख्य मन्त्री रहा और कभी कोई, लेकिन पंडित जी जरूर मन्त्री के रूप में रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐलान किया है कि वे फाइलें मंगायेंगे और दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे। पता नहीं कि इसका कार्यान्वियन कहां तक होगा, यह तो वही जानें। लेकिन आप देखेंगे कि 11 वर्षों के अन्दर इस तरह शिथिलता और लापरवाही दिखाई गई कि जो बाढ़ आई उसमें सब से ज्यादा अधिकारी ही फंसे। अच्छा होता यदि ज्यादा अधिकारी मरते। उनको अपने पाप का फल भोगना पड़ा है।

माल विभाग जो सहायता देता है ठीक है। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि इस वर्ष विचित्र स्थिति रही है। 14 अप्रैल से बराबर पानी बरस रहा है और इधर 2–3 दिन तक गिरता रहा है, इस समय सदन में माल मन्त्री जी नहीं हैं, उप मन्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं क्या कहूं। वह स्वयं सुनते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन मुख्य मन्त्री जी सुनेंगे और ध्यान देंगे। सहायता के विषय में मुझे बड़ी शिकायत है जो दी जाती है। वह अधिक से अधिक दी जानी चाहिये क्योंकि जो क्षेत्र प्रभावित होता उसको सरकार सिवाय सहायता के और कुछ नहीं कर सकती है। बाढ़ का नियन्त्रण करने में अक्षम है। जो सहायता दी जाती है उसके सम्बन्ध में माल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता हूं। लेकिन यह बात जरूर है कि मनुष्य का जैसा चरित्र होता है वैसी ही उसकी झलक और प्रभाव होता है और वैसा ही परिणाम निकलता है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उनको केवल मन्त्री बने रहने से मलतब है बाकी जैसा भी हो। उल्टे सीधे रहना चाहिये। मैं उनकी ही रिपोर्ट से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आप देखेंगे कि जो सहायता दी गई वह ठीक है। मैं तो सनातन धर्मी हूं और हिन्दू माइथोलोजी में विश्वास करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे पापों का फल है जो बाढ मिल रही है, ऊपर से अनुशासनहीनता चली और थोथे नारों का विश्वासघात चला और जनता के साथ धोखादेही चल रही है, उसी का परिणाम है कि आज सारा प्रदेश 'पापों' में बहा जा रहा है पंडित जी बड़े दृढ़ व्यक्ति हैं मैंने उनको अपने भाषण में बधाई दे दी थी और वह आसन पर आये, इसके लिये मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि श्री मोहनलाल सुखाड़िया और ब्रह्मानन्द रेड्डी आदि चुन-चुन कर कत्ल किये जा रहे हैं इसलिये उनको सावधान रहना चाहिये, उन्हें डटे रहना चाहिये, वह बिलकुल न डरें, जो कुछ होना था। वह हो चुका है। अब तो अपने बल पर चलने वाला है। जो लोग केवल मन्त्री बनने के लिये डिफेक्ट किये हैं, उनसे सावधान रहें।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

मैं माननीय शर्मा जी के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वह पुराने कांग्रेसी रहे ह। पी० एस० पी० में आये फिर कांग्रेस में आये, फिर बी० के० डी० में चले गये। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको मन्त्री बनाया। दोबारा मन्त्री नहीं बनाया तो नाराज हो गये और फिर सिंडीकेट में जाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुये। अब वह इंडीकेट में चले गये हैं। यह खुशी है कि वह राजस्व मंत्री हो गये हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने इस चरित्र का ज्वलन्त उदाहरण इस बाढ-सहायता में न दें तो अच्छा है।

मैंने माल मंत्री, राज्यमाल मंत्री, उपमाल मंत्री, मुख्य मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री इनके 5 जिलों को ही मैंने लिया है। उनका मुकाबला मैं बहराइच से करना चाहता हूं। आप अगर आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि गांव जो बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वे हैं बहराइच में 1005, हमीरपुर में 94, रायबरेली में 857 और वाराणसी में 1445। इसके बाद अगर आप जनसंख्या की ओर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा वह इस प्रकार है· बहराइच 343 हजार, हमीरपुर 42 हजार, यानी गांव तो 94 और जनसंख्या 42 हजार, उनके आंकड़े हैं वे चाहे जो दें। रायबरेली में 857 गांव हैं और जनसंख्या 586 हजार, यह वह जनसंख्या है जो प्रभावित हुई है। माननीय मंत्री जी यद्यपि इन आंकड़ों के बारे में कह चुके हैं कि वे उनको सही नहीं मानते हैं लेकिन जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं, उन पर विचार तो करना ही पड़ेगा वाराणसी की भी जनसंख्या प्रभावित हुई है वह है 580 हजार इन्हीं जिलों में फसलों की जो हानि हुई है वह इस प्रकार है बहराइच 1205 लाख, हमीरपुर 100 लाख यानी बहराइच का 12 वां हिस्सा, रायबरेली 229 लाख यह भी बहराइच का छठा हिस्सा है और वाराणसी में 474 लाख, इससे भी बहराइच की हानि साढ़े तीन गुनी है।

अब मकान जो गिरे उनकी संख्या है—बहराइच में 510 लाख, हमीरपुर में 6 लाख, रायबरेली में 1 लाख, और वाराणसी में 29 लाख। अब सहायता की तरफ देख लीजिये। बहराइच में जहां 1 हजार गांव प्रभावित हुये हैं वहां सहायता दी गयी है 225 हजार और हमीरपुर में जहां केवल 94 गांव प्रभावित है वहां सहायता दी गयी है 740 हजार रुपये जहां गांव प्रभावित 1 हजार और सहायता 2 लाख और गांव प्रभावित 94 और सहायता 740 हजार। रायबरेली में 857 गांव प्रभावित हैं और 5 लाख की जनसंख्या प्रभावित है यानी बहराइच के मुकाबले में डेढ गुनी जनसंख्या हो गयी अब सहायता जो दी गयी वह बहराइच को 225 हजार और रायबरेली को 613 हजार और वाराणसी को 675 हजार। यह तो निःशुल्क सहायता हुई। उसके बाद गृह निर्माण तकावी को ले लीजिये बहराइच को 21 हजार, हमीरपुर को 189 हजार और वाराणसी को 315 हजार। यह मैं मोटी-मोटी बातें बतला रहा हूं। इस प्रकार से मान्यवर, आप देखेंगे कि जहां नुकसान कम है वहां तो ज्यादा सहायता दी गयी है और जहां नुकसान कई गुना है वहां बहुत सहायता दी गयी। मुझे यह शिकायत नहीं कि उन्होंने अपने जिलों को क्यों इतनी ज्यादा सहायता पहुंचाई मुझ शिकायत यह है कि जहां जरूरत थी वहां क्यों उपयुक्त सहायता नहीं दी गयी और माननीय पंडित जी को तो शर्मा जी ने धोखा दिया है। वाराणसी में तो उनकी ननिहाल है, वह तो देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया के साथ भी अन्याय किया गया है। "अंधा बांटे शीरनी घर ही घर के खायं।"

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमान् जी ने कैसे समझा कि मैं ननिहाल में रहता हूं। 300 वर्षों से हम बनारस में रह रहे हैं आपने कैसे समझ लिया कि मैं ननिहाल में रहता हूं?

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं पंडित जी को बिल्कुल बनारसवासी न मानता हूं। मुझे शिकायत नहीं है लेकिन कभी-कभी उनके दर्शन करने जाया करता रहा हूं अब भी चला जाता हूं, उन्हीं के मुखारबिन्द से सुना था कि कोई पिंडी स्थान है देवरिया जिले में वहां के उनके पूर्वज रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

300 वर्ष हो गये पूर्व पुरुखों को गये हुये ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

मैं कोई विवाद नहीं करता । मैं तो उनका शिष्य हूं, वह मेरे गुरू हैं । मैं तो यही कह रहा था कि आपके पूर्वज जहां के रहे हैं । वहां का आपको नहीं बताया गया । यह तो शर्मा जी का मायाजाल है । और जहां से चुन करके आये वहां से भी जाल किया है, केवल हमीरपुर को दिया है । अगर इस तरह से सहायता दी जायगी कि जहां हानि चौगुनी हो वहां सहायता केवल 4 आने भर दी जाय और जहां 4 आने हानि हो वहां चौगुनी सहायता दी जाय तो वह न्याय नहीं कहा जायगा ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाय । आजकल उनके परीक्षा के फार्म भरे जाने वाले हैं जिसमें अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है । उसको सरकार को माफ कर देना चाहिये । हम यहां पर जो बोलते हैं वह सब अरण्य रोदन हो जाता है । इसलिये मुख्य मंत्री जी यह मांग है कि जो भाषण यहां बाढ़ पर हुए हैं उनका जिस्ट विशेष रूप से तैयार करवा के जो-जो जानकारी हम दोनों ने दी है उस पर विचार करें । इसके अलावा अभी आपने अक्टूबर तक के लिये वसूली बन्द की है लेकिन मालगुजारी या लगान देने की स्थिति में किसान अब बिल्कुल नहीं है क्योंकि रबी की फसल खेतों में सड़ गयी, खरीफ बो नहीं मिली और आगे आने वाले रबी को बोने की समस्या बड़ी कठिन है । आपके अधिकारी आंकड़े देते रहेंगे और उस जाल में आप फंसे रहेंगे । समय पर बीज दे नहीं पायेंगे और फसल हो नहीं पायेगी और अगर होगी भी तो जाड़े में पानी नहीं मिलेगा । इसलिये सारा लगान माफ होना चाहिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

(श्री उदित नारायण शर्मा के बोलने के लिए खड़े होने पर।) श्रीमन्, क्या अब क्लोज कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं तो ।

श्री हरिनाथ तिवारी---

तो उनको समय आखिर में दे दें ।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मुझे तो सिर्फ दो मिनट लगेंगे । मान्यवर, मुझे पता नहीं है कि माननीय शर्मा जी को कौन सा मुझ से बुग्ज लिल्लाही है क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस भाषा का प्रयोग माननीय सदस्य करते हैं उससे पता चल जाता है कि किस भावना से वह कह रहे हैं । सिंडीकेटियों के पास जाने की बात मैंने कभी सोची भी नहीं । उनको अपने में मिलाने की बात तो कई मर्तबा सोची । दूसरे, अगर बी०के० डी० से कोई इख्तलाफ हुये तो उनके सिंडीकेटियों के नजदीक चले जाने की वजह से । उससे पहले अगर कांग्रेस में आने की बात सोची तो जो समाजवादी है, जो निश्चित रूप से आज साबित हो गया है, उनके पास मैं चला गया। मैं कभी सिंडीकेटियों के नजदीक नहीं गया । समय यही बतायेगा कि जो सिंडीकेटी हैं वह कभी उधर आ जायेंगे । थोड़ा धैर्य रखिये, कोई ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें दो चीजें आंकड़ों के रूप में आपके सामने आयी ह । एक तो वह है जो स्टेटमेंट बना हुआ है और एक वह आंकड़े हैं जो बड़ी पुस्तक छपी हुयी है और उसमें सब का दिया हुआ है । वह आंकड़े 7 तारीख तक के हैं । उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे····

श्री बसंतलाल शर्मा---

यह 12 तारीख तक के हैं ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह जो पुस्तक छपी है उसमें 7 तारीख तक के हैं और उन को आप क्षति के अनुपात से बिल्कुल ठीक पायेंगे । लेकिन 12 तारीख तक फिर बाढ़ का प्रकोप और क्षति इतनी तेजी से घटी बढ़ी है कि उसके लिये बाद में जो कुछ मांगा गया वह दिया गया और जहां कहीं से नहीं भी मांगा गया वहां से भी क्षति के अनुमान के अनुपात से जो हो सका वह दिया गया । हमीरपुर और बनारस को जो कुछ दिया गया है वह 7 तारीख तक के स्टेटमेंट के अनुसार ही दिया गया है, उस के बाद 12 तारीख तक के आंकड़े दूसरे हैं उन से उसका संबंध नहीं है । इसक अलावा शायद शर्मा जी को यह मालूम नहीं है कि हमीरपुर का एक गांव यहां के दस गांवों के बराबर रकबे के ख्याल से होता है । हमें फर्जी बनाने की क्या बात थी हम वैसे भी गांव संख्या और आबादी 5 लाख ज्यादा दिखा सकते थे लेकिन ऐसी बात नहीं है । जहां तक आंकड़ों की बात है वह 7 तारीख तक के जो थे उस के ऊपर ही बेस्ड हैं इस में हमीरपुर, वाराणसी और देवरिया का सवाल नहीं है । उसके बाद के आंकड़े एक एडहाक बेसिस पर ही बेस्ड हैं, मांग आ गई और जितना हुआ दे दिया गया, जहां के क्षति के आंकड़े आये और जहां देना जरूरी समझा दे दिया गया और जहां क्षति ज्यादा हो गई या ज्यादा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ वहां ज्यादा दे दिया गया ।

श्री बसंतलाल शर्मा---

वह जरा यह भी साफ कर दें कि मंत्री बी०के०डी० में रहकर नहीं बनाये गये तो बी०के० डी० छोड़ दी यह भी स्थिति जरा साफ कर दें ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

वह मैंने बता दिया, आप शायद सुन नहीं पाये ।

*श्री राज नाथ सिंह (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यों तो प्रदेश के 51 जिले इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और उन में काफी क्षति पहुंची है लेकिन इस समय जब यह सदन बाढ़ पर चर्चा कर रहा है तो हमारे प्रदेश के 4 जनपद बाढ़ से अभी भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हैं, वे हैं सुलतानपुर, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया । यह वह 4 जनपद हैं कि जहां पर बाढ़ एक बड़ा भीषण और भयंकर रूप धारण कर चुकी है । गाजीपुर जिल की बाढ की विकराल स्थिति को सदन इतने से समझ सकता है कि जिन नदियों का आज प्रदेश के बड़े भाग पर प्रकोप है वे सब हमारे गाजीपुर जनपद में बहती हैं। गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर की जो यह प्रलयकारी दशा हुई है वह इन नदियों के कारण ही हुई है । इन नदियों बाढ का इतना विकराल रूप हुआ कि जिस से जन धन और फसलों की अपार क्षति हुई है । यह गोमती नदी भी हमारे यहां गाजीपुर में बहती है और वह आगे जाकर बनारस के पास हमारे यहां की सीमा पर गंगा से मिलती है । वहां पर उसका बड़ा भयंकर रूप हो जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तमसा नदी से आजमगढ़ जिले को भी एक बड़ी भारी क्षति हुई है, वह भी गाजीपुर में ही होकर बहती है । गंगा की बाढ़ का प्रकोप गाजीपुर में ही शुरू हुआ, वहां पर उस का बड़ा भयंकर रूप हो गया है और खतरे के विन्दु से भी स्तर अब साढ़े 7 फुट ऊपर है और इस प्रकार गाजीपुर जनपद आज बाढ की भयंकर चपेट में है । उसका एक बड़ा संभाग जल से भरा हुआ है । हमारे जिले में 4 तहसीलें हैं, सैदपुर, जमानिया, महमूदाबाद और गाजीपुर और इनमें से कोई भी तहसील ऐसी नहीं है कि जहां बाढ से हानि न हुई हो । सैदपुर में गोमती और गंगा दोनों नदियों की बाढ़ का प्रकोप है जहां की पिछली बार भी बाढ आई थी । उसके भी आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किये गये थे और कहा गया था कि उससे 13 गांव प्रभावित हुए हैं लेकिन इस बार वहां 23 गांव पानी से घिरे हुये हैं, यह गोमती नदी की बाढ से ग्रस्त हैं और पानी से घिरे हुये है । साथ ही वहां गंगा की बाढ का भी प्रकोप है, गंगा के किनारे के सभी गाव जलमग्न हो चुके हैं, वह सड़कें जो वहां के आवागमन की साधन थीं, जिनके द्वारा सरकारी अधिकारी जा कर सहायता करते थे आज वह सारा भाग जल से भरा हुआ है ।

इन गांवों में जैसे देवचन्दपुर, घरवा, चकेरी, रामपुर माझा, मथुखन्ना, दुवेथा, पचदौरा आदि सब पानी से भरे हुए हैं । वहां पर नाव से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं । यह तो बाढ की दशा हुई । वर्षा से जो क्षति हुई उसके बारे में निवेदन करना है कि उससे भी उतनी ही क्षति हुई है जितनी कि इस समय बाढ़ से पहुंच रही है । जिस समय हमारे यहां माननीय राजस्व मंत्री जी गये थे उसी दिन बाढ के प्रकोप से मिक्केपुर (सैदपुर तहसील में) गांव में संस्कृत में वाराणसी मंडल के प्रशिद्ध विद्वान श्री पं० जिउतबन्धन दुबे का निधन उनके मकान गिरने से हुआ । साथ ही साथ उनके दो बैल मरे । इसके अलावा और गांवों में भी अनेक मकान गिरे हैं और फसलों की अपार क्षति हुई है । फसलों के विषय में तो आंकड़े प्रस्तुत हैं ही ।

गाजीपुर तहसील में एक करन्डा परगना है । तीनों ओर से गंगा की भयावह स्थिति है और उनसे प्रभावित मुख्य भाग करन्डा और जमनियां हैं । वहां के मध्य भाग से गंगा कई टेढी-मेढी धाराओं में बहती हैं । करन्डा सारा जलमग्न है । कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर बांढ का प्रकोप न हो । वह मार्ग जिनके द्वारा आने जाने का साधन था सब पर नाव चल रहीं हैं । महमूदाबाद तहसील में जब हमारे राजस्व मंत्री जी पधारे थे तो जो वहां सड़क बनी हुई थी उस पर पानी भरा हुआ है । ट्रांसपोर्ट और रेलवेज का वहां चलना बन्द हो गया है । कई जगह सड़कें टूट गई हैं । इस तहसील में जहां गंगा की बाढ का प्रकोप है वहां तमसा नदी का प्रकोप है । इन दोनों नदियों के कारण महमूदाबाद का एक बड़ा भूभाग जलमग्न है ।

बहादुरगंज कस्बे पानी भरा हुआ है उस कस्बे में अनेक नावें चलती हैं । उन नावों के द्वारा वहां के गांव के निवासी ऊंचे स्थानों पर तथा टीलों पर रह रहे हैं । वे भी खतरे में हैं । अगर वह टूट गया तो सारी तहसील जलमग्न हो जायेगी । महमूदाबाद का करई क्षेत्र सारा जल से भरा हुआ है । कोई ऐसा गांव नहीं जिसके अन्दर पानी न भरा हो । और जो भूभाग बड़ा उपजाऊ है उसमें तीन से साढे तीन फुट पानी भरा हुआ है । कोई पैदवार चाहे खरीफ हो, उसके पैदा होने की आशा कम है ।

जमनियां तहसील भी हमारे जिले की ऐसी तहसील है जहां पर बाढ़ का सबसे बड़ा प्रकोप होता है । टोरीघाट-जमनिया और टोरीघाट-नौरी, इन दोनों सड़कों का निरीक्षण माननीय राजस्व मंत्री ने किया था । उस समय वे टूटी फूटी सड़कें थीं लेकिन आज तो इन दोनों सड़कों पर पानी भरा हुआ है । वहां पर नावें चल रही हैं । जो सड़कें सूखी थी, आज उनके ऊपर तीन से साढे तीन फुट पानी भरा हुआ है और वहां नावें चलती हैं । जमानिया तहसील के बारे में जो पहले गांव प्रभावित होने के संबंध में आंकड़े आये थे कि साठ

[श्री राज नाथ सिंह]

प्रतिशत गांव प्रभावित हैं लेकिन आज वह संख्या 60 से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है। और तीन सौ से ऊपर गांव हैं जिनमें से दो सौ से ऊपर जलमग्न हैं। इस प्रकार से जो गाजीपुर का शहर है उस शहर में पानी घुस गया है और शहर क अन्दर नावें चल रही हैं और इस समय जब कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं अभी गंगा के बढ़ने का ही समाचार मिल रहा है। वहां गंगा का पानी बढ़ रहा है। गोमती और टोंस इन दोनो उपद्रवकारी नदियों का पानी बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जनपद बड़ी ही अपार क्षति में पड़ा हुआ है। जहां पर मकानों के गिरने की संख्या 860 दिखलाई गई है वहां पर गिरने वाल मकानों की संख्या डेढ़ हजार से कम नहीं है और जहां दो लाख एकड़ भूमि दिखलाई गई है आज वहां अढ़ाई लाख से तीन लाख तक एकड़ भूमि जल में डूबी हुई है।

इस प्रकार क्षति पहुंच रही है। इसके संबंध में मुझे सुझाव देना है कि सड़कें नष्ट हो गई हैं। हमारे जिले में 25 सड़कें पी० डवलू० डी० और जिला परिषद् की नष्ट हो गई हैं। इस समय पर चारे की कमी है। जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था की जानी चाहिये। बीज की व्यवस्था होनी चाहिये और यातायात का पुननिर्माण होना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि जो गरीब और मजदूर हैं उनको बचाने के लिये टेस्ट वर्क्स खोले जाने चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिले में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ जावेगी। साथ ही साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ज्यों ही बाढ़ का पानी घटना शुरू हो हैजा का प्रकोप होगा तो उसको बचाने के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना है। जहांतक तकावी और फीस माफी का प्रश्न है उसके लिये सरकार कार्य कर रही है। बाढ़ के कारण जो क्षति पहुंची है उसके लिये मैं बधाई देता हूं कि सरकार सतर्क रही है और अधिकारी भी प्रयत्नशील हैं। बाढ़ की भयंकरता को देखते हुये जो तकावी मुल्तवी की गई है उसकी अवधि बढ़ानी होगी।

श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बाढ़ सारे सूबे में आई हुई है इसमें दो रायें नहीं हैं। इसी से मेरा जिला मुरादाबाद भी जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद जिला की हसनपुर तहसील का मैं रहने वाला हूं। इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह तहसील मुरादाबाद जिले के पश्चिम की तरफ पड़ती है और 44 मील लम्बी और 10,12 मील चौड़ी है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक गंगा बहती है। इस तहसील का आधा भाग गंगा का खादर है और बाकी भाग भूड़ है। गंगा की बाढ़ से जिस प्रकार का अन्य जिलों में नुकसान हुआ है करीब करीब वैसा ही हमारे यहां भी हुआ है। वैसे हमारे यहां तो बाढ़ हर साल आती ही रहती है। वहां पर ऐसा होता है कि गंगा अपने क्षेत्र को बदलती रहती है। कभी पूरब की तरफ बढ़ती है और कभी पश्चिम की तरफ बढ़ती है। इस वर्ष लगभग 3 मील गंगा अपनी जगह छोड़कर पूर्व की तरफ बढ़ गई है और इस प्रकार हसनपुर तहसील की लाखों एकड़ भूमि कटकर गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंच गई है और अनेकों गांव कट गये हैं। इस प्रकार से अनेकों परिवार बिना जमीन के हो गये हैं, बिना मकान के हो गये हैं। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है कि हमारे यहां बाढ़ हर साल आती है और हर साल कटान होता है उसके साथ ही साथ हमारे यहां एक और नई आपत्ति घटने वाली है। वह है नहर के कारण जो कि कालागढ़ नहर के नाम से मशहूर है और इस जिले की अमरोहा तथा हसनपुर तहसील से गुजरती है और हसनपुर तहसील के उत्तरी भाग में गंगा में गिराई जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार की नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि मुरादाबाद जिले की अमरोहा तथा हसनपुर की तहसीलों की जमीन में भूड़ है जो कमजोर है। जब मामूली वर्षा भी होती है या किसी दूसरी तरह से पानी आ जाता है तो वहां की मिट्टी पानी के आगे

होकर बहने लगती है । जिस दिन यह नहर वहां पर चालू हो जायेगी तो निश्चित रूप से वह नहर जो 100 फीट चौड़ी है तथा 12,13 फुट तो पानी बहायेगी ही तो वहां की मिट्टी उसको रोक नहीं पायेगी । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें । इस नहर को यदि पक्का न किया गया तो उसमें न तो पानी ही चल सकेगा और हम लोगों को जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं सदा बरबादी सहनी पड़ेगी । इस नहर का पानी लगभग 20 मील तक गंगा में जायगा । आग चलकर वहां से एक नहर निकाली गई है जो जिला बुलन्द-शहर से होकर और अलीगढ़ में जाकर सिंचाई का काम करती है ।

आज जब गंगा में केवल वर्षा या फिर पहाड़ों का पानी ही आ रहा है तो उसमें बाढ़ आ रही है । और हमारा क्षेत्र उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है । करीब-करीब आधी तहसील तो पानी में डूबी हुई है और जब नहर का पानी उसमें और आने लगेगा तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति हो जायेगी । बांधों की जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं है । केवल वर्षा होने से जब यह हालत होती है तब बाढ़ आने से क्या हालत हो जायेगी । अक्सर बांध टूट जाते हैं और इसी कारण से आज इतनी तबाही पैदा हो गई है । हमारी तहसील हसनपुर को इसका बहुत बड़ा खतरा है । मैं इसी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस नहर को पक्का करने की कृपा की जाय ।

कल हमारे साथी श्री रियासत हुसेन साहब ने सुझाव रखा था कि गंगा के किनारे पर 25, 30 मील लम्बा बांध बना दिया जाय तो वहां की जनता भी इसमें पूरा सहयोग देगी । वह हर प्रकार से सहयोग देने के लिये तयार है । लोग श्रमदान करने के लिये भी तैयार हैं और कुछ आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है । इसी के साथ एक और निवेदन करना है कि मकान आदि जो बाढ़ में नष्ट हो गये हैं उनकी मरम्मत के लिये जो सहायता दी जा रही है वह 80 रुपया प्रति मकान से ज्यादा नहीं है इससे कुछ नहीं होगा । ऐसे क्षेत्रों में हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर उनको सरकारी अनुदान या ऋण दिया जाय और वे एक स्थान पर मकानों का निर्माण करवायें और किश्तों पर वह मकान उन लोगों को दे दिया जाय । सरकार कुछ समय में अपना पैसा वसूल कर ले । ऐसा करने से पैसा बरबाद नहीं होगा । साथ ही इन क्षेत्रों में औषधि वगैरा का भी प्रबन्ध करवाया जाय क्योंकि बीमारी होने का खतरा है । जिस स्थान पर अस्पताल है वहां पर दवायें नहीं हैं । इसको देखा जाय कि वहां पर दवायें पहुंच जायं ।

हमारे यहां हसनपुर तहसील में एक मोटर बोट है जो बहुत समय से बिगड़ी पड़ी है । उसका इंजिन खराब है । पता नहीं कि वह कब ठीक हो पायेगी । यह नहीं मालूम होता कि उसको बनाने वाले कारखाने बन्द हो गये या उसको ठीक करने वाले मिस्त्री कहीं चले गए । न जाने कितना रुपया उसकी मरम्मत में खर्च हो चुका है । जिस क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती है वहां पर एक छोटी सी मोटरबोट का प्रबन्ध आज तक नहीं हो सका ।

किसानों की जो गन्ने की कीमत पड़ी है उसका फौरन भुगतान कराया जाय ताकि उनका काम चल सके । पिछले वर्षों में सरकार ने कृपा की थी कि जो किसान अपना गन्ना खड़े कोल्हू को पावर से चलाकर पेरना चाहें उसके लिए आज्ञा दी गयी थी । अभी आर्य जी हमारे क्षेत्र में गये थे । उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद मिल एरिया में कुछ प्रतिबन्ध है । अभी पिछले गन्ने की कीमत फैक्टरी ने किसानों को नहीं दी है । इस साल जो गल्ला हुआ है और दुकानों में गया है उसका भी पेमेंट किसान को नहीं हो पाया है । अगर कोल्हू पर भी आपने प्रतिबन्ध लगा दिया तो किसान को बड़ी दिक्कत होगी । तो खड़े कोल्हू को चलाने की इजाजत किसान को मिलनी चाहिये ।

*डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बाढ़ के संबंध में बोलने का मौका दिया। अभी हमारे विरोधी पार्टी के श्री शर्मा जी ने कहा था कि यह जो बाढ़ आयी है, यह जो अतिवृष्टि हुई है, यह हमारे पापों का परिणाम है। मैं मानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सब केवल मेरे ही पापों का परिणाम है। परन्तु हर खराबी के अन्दर भी कुछ अच्छाइयां होती हैं। आप लोगों को याद होगा कि 25 मार्च को बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी श्री मुजीब साहब का श्री यहिया खां से निपटारा समाप्त हो गया था और उसके कुछ पहले ही एकाध बार वर्षा हो गयी थी। यह सिलसिला वर्षा का जो चालू हुआ, तब से आज छः महीने बीत गये, अनवरत वर्षा हो रही है। मुमकिन है कि यह वर्षा हमारे पाप का दुष्परिणाम हो, परन्तु जो हमारे लिए दुष्परिणाम साबित हुआ है वह किसी के लिये, हमारे ही भाई के लिये सुखद परिणाम लाने वाला है, यह भी कितनी सुन्दर और समीचीन चीज है।

छः महीने आप लोगों ने अनवरत वर्षा देखी है, उस अनवरत वर्षा के संबंध में यदि उपाध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो मैं एक प्राचीन हिन्दी कवि का छन्द सुनाने की धृष्टता करूं। घनानन्द जी हिन्दी के बड़े महान् कवि थे। वह किसी आदमी या स्त्री, ठीक पता नहीं है, उसके ऊपर आसक्त थे, जिसका नाम था सुजान। सुजान नाम के किसी लड़के या स्त्री पर आसक्त थे। घनानन्द जी उनका नाम था, आप जानते होंगे। मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी है कि अगर आज्ञा हो तो मैं उस छन्द को कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आज्ञा तो है, मगर समय समाप्त हो जायेगा।

डाक्टर श्याम किशोर--

बाढ़ के बारे में तो बहुत-सी बातें कह दी गयी हैं। मैं भी अपनी बात 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। क्षमा करें, यह जो छन्द था वह सामयिक था, इसलिये सुनाये दे रहा हूं। घनानन्द जी ने बादलों को संकेत करते हुए यह कहा था कि मेरा सन्देश उस सुजान के पास ले जाओ! सुजान के स्थान पर मैंने उस छन्द में मुजीब कर दिया है। छन्द तो वही है जो प्राचीन है और बादलों से संबंधित है। बादलों के द्वारा संदेश ले जायें जाने की बात कही गयी है:

पर कारज देह को धारे फिरो
परजन्य जथारथ है दरसौ,

निधि नीर सुधा के समान करो,
सबही विधि सज्जनता सरसौ

घन आनन्द जीवनदायिक हौ
जल मेरियो पीर हीय परसो।

कबहूं वा विसासी सुजान के आंगन
मों असुवान को लै बरसौ

श्री विजयबहादुर सिंह (मिर्जापुर)--

जमा नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर श्याम किशोर—

सवाल जमने का नहीं है । छः महीने से अनवरत वर्षा हो रही है । मेरे मित्र कहते हैं कि यह हमारे पापों का दुष्परिणाम है। अगर हमारे मित्र वास्तव में इन पापों को दूर करना चाहते हैं तो मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वे इस दुख में हमें सहयोग दें और हमें सुझाव दें कि हम किस प्रकार से अपनी गलतियों को दूर करें । यह सरकार तो चल ही रही है और चलेगी भी । बगैर हमें सहयोग दिये आपकी भी गति नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम उसी प्रकार से कार्य करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

बंगला देश को मान्यता न देने के लिये इनकी सरकार कटिबद्ध है और ये मुजीब के लिये आंसू बहा रहे हैं ।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के नहीं है ।

डाक्टर श्याम किशोर—

दुर्भाग्यवश मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र का नाम सीतापुर है । वहां पर भटपुरवा और नीमसार नामक 2 स्थान हैं, जिनके नाम आप लगातार 8 दिन से अखबारों में पढ़ रहे हैं । मैं उसी कीचड़ और गन्दगी से आता हूं । जब वह कीचड़ और गन्दगी गऊघाट में आ गयी तब उसने रक्त बन कर आपके जीवन में झंझट खड़ा कर दिया । जो पानी राजधानी में आया वह सब सीतापुर से ही आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, आप आसन ग्रहण करें ।

डाक्टर श्याम किशोर—

मैंने थोड़ा सा मनोरन्जन भी कर दिया है, थोड़े से सुझाव दे देने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो समय नहीं है । श्री सूबेदार प्रसाद.....

डाक्टर श्याम किशोर—

मेरा एक सुझाव तो यह है कि जिन-जिन जगहों पर पानी रुक गया है वहां पर टेस्ट वर्क्स तुरन्त शुरू कर दिये जाने चाहिये और वहीं के मजदूरों को काम दिया जाये । दूसरा सुझाव यह है कि छप्पर की जगह टीन की व्यवस्था कर दी जाये और तीसरा सुझाव यह है कि लोगों को टीलों पर बसाने की व्यवस्था कर दी जाये ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बाढ़ के संबंध में विभिन्न जिलों के माननीय सदस्यों ने बाढ़ की स्थिति आपके समक्ष रखी है ।

मान्यवर, मैं अपने जिले मिर्जापुर की बात रखना चाहता हूं । यह जिला भी बाढ़ की समस्या से पीड़ित रहता है और इस जिले की तरफ अधिकारियों का ध्यान गया है। मैं भी इस बाढ़ की समस्या को महान समस्या मान कर अपनी सरकार के सामने रख रहा हूं।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

मिर्जापुर जिला आज से नहीं बल्कि पिछले 8 वर्षों से अनावृष्टि से पीड़ित रहा है । इस अनावृष्टि के कारण वहां की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां के लोगों के पास भरपेट भोजन का सामान भी नहीं रह गया है । न दूसरा कोई कारोबार ही उनके पास रह गया है । इस साल जो वर्षा हुई है वह इतनी हुई कि उससे हमारे यहां जो सोन और गंगा नदी है उन दोनों में बाढ आ गई है । इन दोनों की बाढ़ से मिर्जापुर जिला त्रस्त हो गया है। इस तरह से गंगा के तट पर जो गांव स्थित हैं वह भाग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा । इस गंगा की बाढ़ से मिर्जापुर शहर का आधा भाग जलमग्न हो जायगा क्योंकि मिर्जापुर शहर गंगा के किनारे पर बसा हुआ है । वहां पर आये दिन मकान गिर रहे हैं । वहां पर एक इंटरमीडिएट कालेज था वह इससे ध्वस्त हो गया है । इसी प्रकार के मिर्जापुर जिले के चुनार ब्लाक, छानवे ब्लाक, कोन ब्लाक, मझवा ब्लाक, चोपन ब्लाक पानी से पीड़ित हो गये हैं । वहां की सड़क कटने के कारण वहां पर चारा भी पहुंचना कठिन हो गया है और न उसकी कोई व्यवस्था ही की गई है । अधिकारी वहां पर कोई सुविधा भी जनता को प्रदान नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे जिले के लोग लाभान्वित हो सकें । वहां पर एक जिलाधिकारी बहुत वर्षों से रह रहे हैं । हमारे माननीय सदस्य ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जिलाधिकारी वहां पर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं । जो पैसा उनको दिया गया है उसका वह दुरुपयोग कर रहे हैं । मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज के परगनाधिकारी वहां पर 3,4 साल से बैठे हुये हैं । इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

सोन की बाढ से चोपन बाजार के 300 गांव बह गये हैं और जो गांव उस नदी के किनारे पर थे अगोरी, महतपुर, बीजोरा, चांची और चतुरिया ये सब बह गये हैं लेकिन उनको कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है और न कोई सुविधा दी गई । मैंने जाकर देखा है कि परगनाधिकारी वहां पर गये और नमक और चना घुना हुआ वहां पर बांटा लेकिन वह भी नाम मात्र के लिये ही । राहत के नाम पर 2,3 रुपया वहां पर बांटा गया है इस बात की जांच की जा सकती है । मैंने राजस्व मंत्री जी को लिखकर भेजा है कि इस तरह से यह 2,3 रुपया बांटा गया है । इसमें लिखा गया है कि 300 रुपया पक्के मकानों के लिये और 200 रुपया कच्चे मकानों के लिये दिया गया है लेकिन वहां पर इस तरह से कुछ नहीं दिया गया है। मिर्जापुर में चोपन बाजार बह गया है । आज भी वहां पर पानी भरा हुआ है । उस पानी को निकालने के रिये पंपिंग सेट का भी इन्तजाम नहीं किया गया है केवल जाकर वहां पर 2,3 रु० दे दिया गया । इसलिये यह जिला सोन और गंगा की बाढ़ से बहुत पीड़ित है ।

मिर्जापुर शहर गंगा के किनारे पर स्थित है । आये दिन यह कटता रहता है । सूचना मंत्री जी वहां पर गये थे । उन्होंने इस में कुछ ध्यान दिया है । मुझे इस की प्रसन्नता है कि सरकार की ओर से जो वक्तव्य आया है उसमें जनता की तकलीफ का जिक्र किया गया है । यह जिला पहले से अनावृष्टि से पीड़ित तो था ही लेकिन इस साल बाढ से भी प्रभावित हो गया जिसके कारण वहां पर बहुत हानि लोगों की हुई है । जो सहायता पहले दी गई थी उसकी वसूली की जा रही है । अगर सरकार मिर्जापुर जिले की सहायता करना चाहती है तो मैं निवेदन करूंगा कि जो 1967–69 में तकावी तथा राहत के नाम पर जो सहायता दी गई थी उसको माफ कर दे तो उस जिले की बड़ी भारी सहायता होगी । वहां पर सड़कों की समस्या भी भारी समस्या बनी हुई है । राबर्ट्सगंज से पीपरी की ओर जो सड़क जाती है वह दो फरलांग तक खराब हो गई है उसको बनवा दिया जाय । वह चोपन बाजार के नीचे की ओर पड़ती है। और वह बह गया है। माननीय राजबिहारी सिंह जी से भी निवेदन किया था कि उस सड़क को बनवा दिया जाय, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया । उसे तुरन्त बनवाया जाय ।

मेढ़ीबन्दी का जो काम चल रहा है उसे टेस्ट वर्क में परिणत किया जाय ताकि लोगों को काम मिल सके ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पशुओं की बीमारी इतनी फैली हुई है कि उससे तमाम पशुओं के मरने की नौबत आ गयी है । गलाघोट बीमारी से अनेक पशु मर गये हैं । मैंने बी० डी० ओ० वगैरह से भी निवेदन किया है । इस ओर भी सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये तथा पशुओं के चारे के लिये भी प्रबन्ध करना चाहिये ।

लखनऊ में जब बाढ़ आयी तो हिन्डालको के लोगों ने भी आकर सहायता की, मगर चोपन में जो इतनी भयंकर बाढ़ आयी, जहां हरिजनों के 300 मकान बह गये, कई ध्वस्त हो गये, वहां कोई सहायता नहीं दी गयी। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां अधिक सहायता दी जाय । मिर्जापुर जिले में 1967-69 के बीच सूखे के समय जो सहायता दी गयी थी वह वसूल की जा रही है। उसे भी माफ किया जाय । यही मुझे निवेदन करना था ।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर्वप्रथम मैं बलिया जनपद में आयी बाढ़ की विभीषिका के बारे में निवेदन करूंगा । मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि हमारे यहां का जो श्रीनगर-तूतीपार बांध था वह 1 हजार फुट के करीब टूट गया है। वह बांध जहां से टूटा है, नदी का पानी वहां पर 20 फुट ऊंचाई पर है। इससे हजारों मकान ध्वस्त हो गये हैं । उसके पास के सारे गांव बरबाद हो गये हैं । मैंने पहले भी कहा था कि यह बांध बहुत कमजोर होता जा रहा है । मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह टूट गया । जब माननीय राजस्व मंत्री ने मेरे यहां का दौरा किया था मैंने इस चीज से उनको अवगत कराया था । मैंने चीफ इंजीनियर से भी कहा कि इसकी मरम्मत होना चाहिये ।

मैं जब लखनऊ आ रहा था तभी मुझे स्टेशन पर मेरे एक गांव के आदमी ने यह आकर बताया कि बंधा टूटने जा रहा है। मैंने गाड़ी छोड़ दी और तुरन्त जिलाधीश के पास गया। मैंने जिलाधीश से कहा कि बंधा टूटने जा रहा है। उसी समय हमारे हाकिम परगना भी जिलाधीश के पास आ गये और उन्होंने भी सूचना दी कि बांध टूटने जा रहा है । उसी दिन फौरन एक्जीयूटिव इंजीनियर को फोन किया गया, वह हनोई में थे, उन्होंने बताया कि सहायक अभियन्ता उनके वहां गये थे और वहां पर खतरा नहीं है। इस पर जिलाधीश ने कहा वह तो नये आदमी हैं, और तुम पुराने आदमी हो, इसलिये तुम स्वयं उस बांध पर जाओ और देखो कि वस्तुस्थिति क्या है । उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। जैसी मुझे आशंका थी वही हुआ मेरे लखनऊ आने के बाद वह टूट गया। लेकिन सिंचाई विभाग वालों ने ध्यान नहीं दिया। उसका क्या बुरा असर हमारे जनपद पर पड़ा है यह वहां जाकर ही देखा जा सकता है ।

सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस प्रकार की लापरवाही न किये होते तो वह टूटता नहीं । इसके परिणामस्वरूप लाखों मकान ध्वस्त हो रहे हैं और हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है । यह छितौनी बांध टूटा अधिकारियों ने बिलकुल परवाह नहीं की उन्हीं की अकर्मण्यता से वह हुआ, उसी तरह से यह श्रीनगर-तुर्तीपार का भी बांध टूटा है । हमारे राजस्व मंत्री जी भी वहां गये थे उन्होंने देखा था कि बंधे के इस तरफ पानी आ रहा है । लेकिन आज तक इंजीनियर के कान नहीं खड़े हुए कि वह पानी को रोके । यह सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता का जीता जागता उदाहरण है । हमारा क्षेत्र आज पानी से भर गया है, यह अधिकारियों की नालायकी का परिणाम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बच्चा पाठक]

हमारा पूरा जनपद पानी से भर गया है। जिले के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी नदियां जो गंगा और घाघरा में मिलती हैं, हमारे जिले से होकर जाती हैं। लोगों के ध्वस्त मकान वहां पर शमशान की तरह दिखाई पड़ते हैं, लोग कराह रहे हैं, अपनी जान बचाकर किसी तरह से ऊंची जमीन पर जा रहे हैं। यह गंगा और घाघरा की विभीषिका है। सरकारी सहायता पहुंच रही है, लेकिन जिस मात्रा में वहां पर विनाश हुआ उस मात्रा में सहायता नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे जनपद को ज्यादा गल्ला दिया जाये, जानवरों की प्राण रक्षा के लिये भूसे की मदद करें। वहां पर जो बंधों का निर्माण कार्य होना था, जिससे हमारे जनपद को राहत मिलती, वह कार्य बिहार सरकार के हस्तक्षेप करने के कारण रुक गया। उसका परिणाम यह है कि गंगा और घाघरा की विकराल बाढ़ से हमारा बलिया जिला पानी से भर गया है। मेरा निवेदन है कि उस बांध को जल्दी से जल्दी बनाया जाय। वहां पर जो बड़े-बड़े खतरनाक नाले हैं उनसे भी बड़ी तबाही होती है। वहां पर महराजपुर पहले ही कट चुका है, कमालपुर कटने जा रहा है, जमालपुर भी कट गया है।

हमारे जिले में कई जगह पर बुरी तरह से पानी का भी भराव है। कोलनाला रेगुलेटर और पर्वतपुर रेगुलेटर पानी से भरा हुआ है, लेकिन इस पानी के निकासी के लिये कोई साधन नहीं अपनाया गया है। मेरा सुझाव यह है कि रेलवे पुल को पर मानेन्ट रिलीफ देने के लिये और पानी निकासी की कोई न कोई योजना सरकार की तरफ से बनाई जाए। हमारे क्षेत्र में जो मवेशी मर रहे हैं, उनके लिये भूसा की व्यवस्था की जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय। जो सड़कें टूट गई हैं, उनकी पुख्ता मरम्मत की जाय। साथ ही साथ जो नाले हैं जिनमें पानी भरा रहता है उस पानी की निकासी की योजना बनायी जाय। अगर सरकार जल्द से जल्द इन स्थानों के पानी के निकास की व्यवस्था करेगी तो हमारे जनपद का बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्रीनगर-तुरतीपार बांध के कट जाने से जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें युद्ध स्तर पर मदद की जाय और हमारे क्षेत्र में जो सरकारी नौकायें नहीं मिल रही हैं, दूसरे जनपद से नौकाएं मंगा कर भेज दी जायं ताकि जो गांव पानी के अन्दर आ गये हैं वहां से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि जो अभी-अभी घटना हुई है, बांध टूटने की, उसके ऊपर जांच करें और जिसकी वजह से बांध टूटा है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि जनता को इस बात का आभास हो सके कि हमारी सरकार जो अधिकारी गलत कार्य करता है जिसकी वजह से लाखों का जन जीवन संकट में पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो जनता के बीच में इस बात का आभास होगा कि जो अधिकारी इस प्रकार का गलत कार्य करता है उसको भी सरकार प्रोत्साहन देने जा रही है। जल्द से जल्द उस अधिकारी को, जो दोषी है, जिसकी वजह से बांध टूटा है, उसको मुअत्तल करके बाहर कर दें। अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे तो जनता के अन्दर अच्छी मनोभावना पैदा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हमारे जनपद को बचाने के लिये अधिक से अधिक मात्रा में सहायता की जाय, हमारे जिले को अकालग्रस्त, बाढ़ग्रस्त घोषित करें, हमारे जिले के लिये अलग से फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना कर फ्लड डिवीजन कायम करें। जिले का सर्वे करें और जो बाढ़ की विभीषिका है उससे परमानेंट रूप से बचाने के लिये कोई योजना बनायें।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, बाढ़ किस जिले में नहीं आयी और किस जिले में आयी, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया तीन-चार जिलों को छोड़ कर सारे उत्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में बाढ़ आयी। कहीं पहले आयी कहीं बाद को आयी। कहीं चली गयी और कहीं महीने डेढ़ महीने से कायम है। सब जगह बाढ़ आयी। माननीय राजस्व मंत्री की ओर से तीन बार बाढ़ पर वक्तव्य आया। यह अरण्य रोदन है, विलाप है। इस पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये न उन पर ध्यान रखा जाता है न उनकी रोशनी में सदन के सामने कोई वक्त दिया जाता है। यह मेरा आरोप है। मैं संबंधित मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब भी माननीय सदस्यों ने, इधर के और उधर के, भाषण किया तो उसमें जोर दिया कि सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय से पहले बचत की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसलिये छितौनी बांध से लेकर बटलर बांध, जितने बांध टूटे सब का परिणाम यही हुआ, चाहे बलिया में हुआ, चाहे गाजीपुर में हुआ, चाहे आजमगढ़ में हुआ। मुझे अफसोस है कि इस विधान सभा में रह कर हम अपने मनोभावनाओं को सरकार से मनवा नहीं सकते। सरकार की यह प्रवृत्ति हो गयी है कि वह भागते हैं कि समस्याओं को सामने रखने के लिये। आखिर सदन के सामने बाढ़ की समस्या पर विचार हो रहा है। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदार अगर कोई विभाग है तो सिंचाई विभाग है। लेकिन सिंचाई विभाग का यहां कोई आदमी नहीं है। लगता है कि उनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

छितौनी बांध टूटने के बाद बैक डेट में छुट्टी ले कर भाग गये, यह इतिहास दोहराया जायगा, लखनऊ में, जौनपुर में, आजमगढ़ में। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने 7 जुलाई को एक पत्र लिखा वहां के जिलाधीश को। उसके मैं दो-तीन अंश पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है "महोदय, गत 20 दिनों से लगातार वर्षा होने के कारण टौंस नदी बढ़ती जा रही है। बाढ़ में जो प्रगति है उसे तथा इस वर्षा के क्रम एवं भीषणता को देखते हुये यही आभास होता है कि इस वर्ष भी 1955 का दृश्य, नगर की जनता को देखने को मिलेगा। इससे बचत के लिये नगरपालिका, आजमगढ़ के पास सीमित साधन हैं, ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है :

1—इस जनपद स्थित अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निदेश देने का कष्ट करें कि वे इस नगर को घेरने वाले बांध की मरम्मत इत्यादि एवं देखरेख का समुचित प्रबन्ध अभी से करें जिससे नगर की जनता को सन् 1955 की बाढ़ से हुए कांड को पुनः देखना न पड़े।

2—इस नगर की सीमा में जहां कहीं भी नीची भूमि होने के कारण वर्षा का जल एकत्र हो कर, वहां के निवासियों के लिये कष्ट दायक हो गया है, उसे उपयुक्त साधन द्वारा शीघ्र बांध के बाहर निकलवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। ऐसा न होने से कच्चे मकानों के ध्वस्त होने और विभिन्न रोगों के फैलने की पूरी आशंका है। आशा है इधर समुचित ध्यान देकर हमें कृतार्थ करेंगे। भवदीय, कन्हैया सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, आजमगढ़।" यह चिट्ठी जुलाई तक प्रथम सप्ताह में वहां की नगरपालिका अध्यक्ष ने जिलाधीश को लिखी। जो सरकार की ओर से विवरण दिया गया उससे इस बातपर कोई रोशनी नहीं पड़ती कि आखिर इस चिट्ठी पर वहां के जिलाधीश, सिंचाई अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? आजमगढ़ की आज यह हालत है कि वह डूब रहा है और उसे बचाने में सरकार असमर्थ हो रही है।

यही स्थिति जौनपुर की है। वह सारे प्रदेश से अलग हो गया है और कुछ दिनों तक यही स्थिति कायम रही तो हालत बद से बदतर हो जायगी। सरकारी अधिकारियों की कारगुजारी के कारण यह सब हुआ है। सरकारी जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ नहीं होता। इतिहास में इतने लम्बे पैमाने पर सारे सूबे में कभी बाढ़ नहीं आई लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी अधिकारी को नहीं छुआ गया। उनकी हर ज्यादती तथा उनकी हर ढिलाई के लिये पूरी-पूरी छूट है। जवाब यह दिया जाता है कि राजस्व मंत्री ने इतने लंगड़ खोल दिये, यह

[श्री रामधारी शास्त्री]

यह बटवा दिया। मालूम होता है कि जनता भिखभंगी है और वह भीख मांगने के लिये निकल पड़ी है? सरकार उसके सामने कुछ अनाज के दाने, थोड़े से टुकड़े फेंक देती है, इससे क्या बाढ़ की समस्या हल हो जायगी ? यह हालत बड़ी शर्मनाक है। मैंने सदन के माध्यम से सिंचाई मंत्री से अनुरोध किया था कि मैं छितौनी बांध के सम्बन्ध में तीन बातें जानना चाहता था कि दो जुलाई के पहले सिंचाई विभाग के कौन-कौन अधिकारी छितौनी बांध पर थे और उन्होंने बचाव के लिये क्या व्यवस्था की ? उस दौरान वहां किन-किन कर्मचारियों को छुट्टी दी गयी और क्यों ? लेकिन रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यही हालत लखनऊ शहर की है।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहूंगा। वह यह कि जो सहायता बांटी गयी इसके बांटने में मेरे मित्र बसन्त लाल शर्मा ने काफी प्रकाश डाला। मैं उसके कुछ उदाहरण मात्र देना चाहता हूं। दवरिया जिले में 3,800 गांव हैं 3,600 चिरागी तथा 200 लाचिरागी। उनमें 2,754 बाढ़ पीड़ित हुए। हमीरपुर में 94 गांव हैं जो बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित हैं। फैजाबाद में 1,389, बस्ती में 2,485 गांव, बाढ़ से पीड़ित हैं। ये चार जिले आपके सामने में रखता हूं। अब दवरिया में 34,288 घर नष्ट हुये। निःशुल्क सहायता 12 लाख रुपये मिली लेकिन मकानों क लिये 10 लाख रुपय दिय गये। हमीरपुर में केवल 94 गांव अफेक्टेड थे। वहां 2 लाख 65 हजार निःशुल्क सहायता मिली। अब 2,754 और 94 का मिलान किया जाय लेकिन वहां मकानों की सहायता के लिये 2 लाख 35 हजार रुपये दिये गये जो बहुत ज्यादा हैं। यही हाल बस्ती का है। वहां 14 लाख रुपये मकान सहायता के लिये दिये गये लेकिन देवरिया में मकान सहायता के लिये केवल 10 लाख रुपये दिये गये।

मेरा कहना यह नहीं है कि बस्ती में ज्यादा है या कम है, सवाल सिर्फ यह है कि सरकार का कोई मापदंड नहीं है। अगर उस जिले के मंत्री हैं तो उसको सहायता मिल जायेगी। उस निर्वाचन क्षेत्र के मंत्री होते तो वहां पर खूब अन्न बांटा जाता हजारों क्विंटल अनाज बांटा गया होता किन्तु उस जिले का कोई मंत्री नहीं है इसलिये उस पर कोई विचार नहीं होता। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी के जिले को रख देना चाहता हूं। दूसरे, राजस्व मंत्री जी का जिला बस्ती है उसे वे ध्यान में रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिए। सभी जिलों में सरकार की सम दृष्टि होनी चाहिये। देवरिया जिले के दो तीन इलाके हैं। वहां पर रुद्रपुर और दुधई ब्लाक हैं जहां कि पिछली तीन फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इस समय भी खरीफ की फसल तो नष्ट हो ही गई किन्तु सरकार की रिपोर्ट में इन इलाकों का नाम तक नहीं है। सारे इलाकों के साथ वे इलाके भी जोड़ दिये गये हैं जो कि लगातार तीन साल से बरबाद होते जा रहे हैं।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस साल राजधानी भी डूब गई और यहां पर हाय तोबा मच गई। यह स्वाभाविक है कि यहां पर पहले दृष्टि रखी जानी चाहिये क्योंकि यहां पर सभी मिनिस्टर साहेबान हैं, सभी बड़े-बड़े अफसरान हैं। पहले तो यहां पर राजधानी में नजर जानी चाहिये किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जो जिले महीनों से बाढ़ से डूबे हुये हैं उनको देखने वाला आज कोई नहीं है कि उनकी आज क्या हालत हो गई है। कल मेरे एक मित्र ने यहां पर सदन में कहा था कि इस साल जो सरकार ने सहायता कार्य दिया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। वे लखनऊ के ही शायद माननीय सदस्य थे।

मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े लखनऊ शहर और जिले के दिये गये हैं उनमें 6 लाख 90 हजार लोग 11 सितम्बर तक पीड़ित थे और शहर के 2 लाख 25 हजार लोग पीड़ित थे। आपके ही आंकड़ों के अनुसार 1,400 बोरी आटे की 11 सितम्बर तक लखनऊ शहर और जिले में बांटी गई। अगर इन आंकड़ों को सही मान लिया जाय तो लखनऊ जिले में 11 सितम्बर तक प्रति आदमी को दो ग्राम आटा मिला और अगर लखनऊ शहर में मान लिया जाय तो प्रति आदमी

को एक छटांक आटा मिला। तो क्या इसी से यह सरकार बधाई की पात्र है ? मैं कहना चाहता हूं कि जो सहायता आपको पहुंचानी चाहिये थी वह नहीं दी गई। जब लखनऊ शहर में ही नाक के नीच अंधेरा है तो इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि गांवों के लोगों की क्या दुर्गति हुई होगी। इसलिये इन सब बातों के रहते हुये मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई मुकाबला नहीं हो सकता है।

देवरिया जिले में 3,600 गांव हैं जिसमें से 27,547 गांव बाढ़ पीड़ित हैं किन्तु आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इस जिले को बाढ़ ग्रस्त घोषित कर दें। केन्द्रीय सरकार से आपको सहायता नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर तथा बस्ती का जो सारा इलाका है उसे आप तत्काल अकाल पीड़ित घोषित और फेमिन कोड के मुताबिक उसमें सहायता कार्य चालू किये जांय। सारे विद्यार्थियों की चाहे वे गरीब हों या अमीर, पूरे साल भर तक निःशुल्क पढ़ाई की इजाजत होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं कई बार इसी सदन में कहता आया हूं कि चारों तरफ से चाहे वे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर की तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य हों सभी यह कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से इस बाढ़ से बचाव का इन्तजाम समय से नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तो बहुत ही डेमोक्रेट हैं क्यों नहीं आप एक सदन की कमेटी बैठाते हैं जो इस विषय में जांच करे कि किन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। सरकारी अधिकारियों के ऊपर अंकुश कौन रखेगा। माननीय राजस्व मंत्री ने पिछली बार कहा था कि हम विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायेंगे। क्यों आप उसे नहीं बनाते हैं। मेरा इस सदन को यह सुझाव है कि वह इसकी जांच हेतु एक कमेटी बनाये ताकि आगे ऐसा न हो।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री शिव कुमार का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो मेरे दल की तरफ से आपके पास नाम गये हैं उनमें पहला नम्बर मेरा है और.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने शिव कुमार मिश्र जी को समय दिया है। आप कृपया बैठ जांय।

(श्री भाभी यादव के बोलते रहने पर) मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आपका नाम है तो क्या इस तरह से खड़ा होना चाहिये ? मैंने पहले माननीय रामधारी शास्त्री को समय दिया था। मैं आपको इजाजत नहीं देता। (फिर भी श्री भाभी के बोलते रहने पर) मैं आपको समय नहीं देता हूं आप सदन से निकल जाइये।

श्री भाभी यादव—

मैं कहता हूं कि आप हमारे हक की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप बार-बार यही रवैया अख्तियार करते हैं। यह सदन है। इसकी गरिमा का आपको ध्यान रखना चाहियें। इस तरह से आपको समय नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री भाभी यादव—

मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। आपको नियमों का पालन करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से आपको इजाजत नहीं दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिये कि आपका नेता जब खड़ा हो तो आप इस तरह की आपत्ति करते हैं। आप में अनुशासनहीनता है।

*श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस बाढ़ के अवसर पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

श्री भाभी यादव—

मुझे दुख है कि मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप निकल जाइये। आप निकलने लायक हैं।

(श्री भाभी यादव सदन त्याग करके चले गये।)

श्री शिवकुमार—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ ने सारे प्रदेश को प्रभावित किया है और अपार क्षति हुई है। लेकिन शाहजहांपुर जिला बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शाहजहांपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां गंगा और रामगंगा बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ आती है जो हजारों एकड़ भूमि को क्षतिग्रस्त कर देती है। लेकिन जब से नानक सागर से पानी छोड़ने की पद्धति शुरू हुई है तब से शाहजहांपुर और गर्रा नदी में सैलाब आता है। इस साल ऊपर से पानी की वर्षा हो रही थी और दूसरी ओर नानकसागर से 32 हजार क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया जिसने सारे नगर को और गर्रा नदी के आस-पास क गांवों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। अभी यह पानी नहीं निकल पाया था कि फिर से सूचना आई कि 50 हजार क्यूबिक फीट पानी नानकसागर बांध से छोड़ा जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि बुरी तरह से बरबादी हुई और शाहजहांपुर शहर दो नदियों के बीच में है। एक तरफ, गर्रा और दूसरी तरफ खन्नोत। इन नदियों में बाढ़ आई और नालों में पानी गया और सारे शहर के नाले उफन गये और मुहल्लों तथा घरों में पानी भर गया। हमारे जिले की हर तहसील और हर क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हुआ है। हमारे जिले के खुटार और मैनाली जहां रोडवेज की बस चलती थी, कठना नदी पर पुल था वह टूट गया है। इसलिये सारा यातायात बन्द हो गया है तथा बसें चलनी बन्द हो गई हैं। सरकार को शीघ्र इस पुल का निर्माण कराना चाहिये वरना महीनों और वर्षों के लिये यह रास्ता बन्द हो जायेगा। इसलिये जनता को बड़ी असुविधा होगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में जलालाबाद तहसील सब से ज्यादा प्रभावित हुई है और बरौर, कलां और मिर्जापुर इन तीन थानों से शाहजहांपुर का सम्पर्क टूट गया है। बहुत से गांव पानी में डूबे हुये हैं जिनसे सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता है। अगर वहां पहुंचने की कोशिश की जाय तो शाहजहांपुर से बरेली और बदायूं होकर वहां जाया जा सकता है।

जरूरत इस बात की है और मैं यह समझता हूं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

जो माननीय सदस्य यहां आते हैं और उनमें से जो लोग बोल चुके हैं, उन्हें यहां बार बार आकर परेशान नहीं करना चाहिये। माननीय शिव कुमार पांडेय और श्री त्रिवेणी राय उस दिन बोल चुके हैं। यह बहस उसी दिन से चालू है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मेरा नाम लिया, इसलिये मुझे खड़ा होना पड़ा। हमारे यहां घाघरा की जबरदस्त बाढ़ आयी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका नाम तो मैंने लिया नहीं।

श्री शिव कुमार---

हमारे यहां जिन गांवों में हमेशा बाढ़ आती है उन गांवों के लिये नाव की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो गांव सभायें अपनी नाव बनाना चाहें उनको 60 प्रतिशत अनुदान दिया जायगा। मेरा सुझाव है कि 80 प्रतिशत या 75 प्रतिशत अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिये। इसके अलावा जब एक बार नाव बन जाती है तो उसके रखरखाव पर बहुत लापरवाही बरती जाती है। जिसकी वजह से वह दूसरे साल ही खराब हो जाती है और केवल ईंधन के काम ही उसकी लकड़ी आती है। इसके लिये यह मुनासिब होगा कि ग्राम सेवक या बी०डी०ओ० को यह जिम्मेदारी दी जाय कि वह बरसात के बाद उसकी उचित देख-रेख करे। सहायता में कमी करके भी नाव बनवाई जाय।

तत्कालिक जो सहायता दी जा रही है, यह तो ठीक ही है। हमारे यहां पर गंगा, राम गंगा और गर्रा तीन नदियों से बाढ़ आती है लेकिन वहां पर कोई मोटर बोट नहीं है। एक मोटर बोट की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये।

हमारे यहां पर माननीय धर्म दत्त वैद्य और माननीय गोपीनाथ दीक्षित ने हम लोगों के साथ साथ बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा किया था। उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि गर्रा नदी अपनी धारा को शाहजहांपुर पर बदल रही है। उसी के कारण हर मोहल्ले में इस बार पानी पहुंच गया। अगर उसकी धारा बदल गयी तो सारा शहर ही खत्म हो जायगा। कई उद्योग धंधे और एक डिग्री कालेज ही खत्म नहीं हो जायगा बल्कि गर्रा पर जो एक पुल शाहजहांपुर में बना हुआ है वह भी बेकार हो जायगा और बरेली मुरादाबाद और दिल्ली जाने में बाधा पैदा हो जायगी। पुल सूखी जगह में हो जायगा और नया पुल लाखों रुपया खर्च करके बनाना पड़ेगा। जरुरत इस बात की है कि वहां पर एक पुख्ता बांध बनवा दिया जाय ताकि गर्रा की धारा बदलने न पाये।

हमारे यहां से जिला अधिकारियों के भी सुझाव आये होंगे। मेरा सुझाव है कि बाढ़ निकल जाने के बाद इन बातों को हमें भूल नहीं जाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हर एक जिले के विधायकों और जिला मजिस्ट्रेट को बुलायें और इस समय जब कि वहां की तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, उस समय दीर्घकालिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाय और उसके बारे में निर्णय लिये जाकर कार्यवाही की जानी चाहिये।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बाढ़ निकल जाने के बाद इस बात का डर है कि चेचक और हैजा जैसी बीमारियां फैलें। उनकी रोकथाम के लिये

[श्री शिव कुमार]

चेचक के टीके, डी०डी० टी०वगैरह का इन्तजाम होना चाहिये और कुओं में पोटाश परमागनेट वगैरह डलवाना चाहिये और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क करना चाहिये। काम बहुत बड़ा है, बड़ी बरबादी हुई है। मनुष्य भी मरे हैं, पशुओं की भी मौतें हुई हैं, फसलों की भी बड़ी बरबादी हुई है। वैसे मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी जल्दी आवश्यक आदेश दिये और जो रिलीफ वर्क शुरू करवाया और जिला मैजिस्ट्रेटों को जो आदेश प्रसारित किये, यह सब काम जिस फुर्ती से सरकार ने किया उतना काम संभवतः पुराने वक्तों में नहीं हो सका। इसलिये यह सरकार वास्तव में हमारी बधाई की पात्र है।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस बाढ़ बहस पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि इस सदन में कहा गया, प्रदेश के 51 जिलों में बाढ़ है।

श्री उपाध्यक्ष---

दस मिनट का समय है। अगर सुविधानुसार 5--5 मिनट माननीय सदस्य बोलें तो वैसा किया जा सकता है।

श्री रामलखन सिंह---

मान्यवर, मेरे बोलने पर ही यह समय की कमी न करें। मुझे तो पूरा बोलने का मौका दें। हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल में तो हर जिले से ज्यादा बाढ़ है। और पूर्वी जिलों में बस्ती जिला सबसे बड़ा जिला है। बार-बार कहा जाता है कि बस्ती जिला पिछड़ा हुआ है, वहां गरीबी है। आजादी के बाद भी कोई ऐसा काम बस्ती में नहीं हो पाया है जिससे वहां की गरीबी दूर हो। वहां 17 नदियों का जाल बिछा हुआ है। नदियां तथा उनके नालों से पूरा जिला प्रभावित है। जो सहायता सरकार ने दी है मैं पंडित जी को धन्यवाद दूंगा कि जब मैं जिलाधीश के पास गया उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश आये हैं कि हर प्रकार की सहायता दी जाय। लेकिन जो सहायता आज तक वहां मिली है वह नगण्य है। अपने क्षेत्र में दौरा करने के बाद मैं हरैया तहसील पहुंचा।

मैं अपने क्षेत्र बहादुरपुर की बात बताऊं जिसकी जानकारी मुझे है। ऐसे-ऐसे किसान मुझे मिले मैं एक गांव पारा में गया। वहां किसानों ने मुझे बताया कि हमें एक किलो चना,एक लीटर मिट्टी का तेल और एक दियासलाई मिली है। जब मैंने जा कर इन्क्वायरी की तो पता चला कि दस रुपये और पांच-पांच किलो चना दिये गये हैं। किसानों ने जब दरख्वास्त दी तो मैं तहसील-दार के पास गया। उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मैं जिलाधीश के पास गया। उन्होंने तुरन्त आदेश दिया कि और सहायता दे। लेकिन सरकार और जिलाधीश के आदेशों के बावजूद भी किसानों के पास वह सहायता नहीं पहुंच पाती जो सरकार देती है। मैं अपने राज्य मंत्री से शिकायत करूंगा कि मैंने उनसे बार बार कहा कि मेरा पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है 10--12 गांवों को छोड़ कर। उन्होंने मुझ से वादा किया था वहां चलने का। एक दिन वह गये भी। लेकिन कलवारी से आगे जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई।

हमारे डाक्टर साहब जो मंत्री भी हैं जा चुके हैं। मेरे बहादुरपुर क्षेत्र में 75 फी सदी लोग गरीब हैं जिनके पास खेती नहीं है, मजदूरी कर के अपना जीवन बसर करते हैं। वे कैसे जिन्दा रहेंगे। इसलिये विशेष तरीके से उस क्षेत्र की गरीब जनता के लिये कोई प्रोग्राम बनायें। अगर मंत्री जी कलवारी से आगे जाने की हिम्मत करते तो मैं उन्हें दिखाता कि रामजान की रोड पर कितना-कितना पानी भरा है। किसान खाने के बगर मर रहे हैं। एक दियासलाई और एक किलो चने से उनका लाभ नहीं हो सकता है। यह जरूर हुआ कि माननीय मंत्री जी वहां पर गये तो गांव में कुछ रुपया बांट

दिया गया लेकिन उनको सही हालात मालूम होते अगर वह मेरे क्षेत्र का दौरा करते। मैं यह नहीं कहता कि गरीबों की कोई सहायता नहीं दी गई लेकिन उन किसानों को राहत पहुंचना जरूरी है जिनके पास खेती बाड़ी नहीं रह गई है और जो छोटे किसान हैं। सरकार उनके लिये हर तरह का इन्तजाम करे। उनके पास चारा भी नहीं रह गया है तो किस तरह से जानवर जिन्दा रह सकते हैं।

मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है और अभी भी गांव पानी से भरे हुये हैं। धान के खेत में लोग मिट्टी खोद कर पानी रोक रहे हैं लेकिन फिर भी बाढ़ का पानी रुक नहीं रहा है। घाघरा और सरयू एक हो गई हैं और वह पानी इकट्ठा होकर बस्ती, आजमगढ़ और फैजाबाद होकर गोरखपुर गया है तो वहां पर बाढ़ का रूप भयंकर हो गया है। बहुत से गांव हमारे यहां पानी के अन्दर आज भी खड़े हैं। सेमरा, पारा, तिकारपुर गांवों में आज भी पानी भरा है। उन लोगों के बच्चे बिना खाने के मर रहे हैं। उनको चारा भी नहीं मिल रहा है। इसीलये मेरा निवेदन है कि कुवानों का पानी जो बह जाता है अगर उसको बैलास ताल के बीच में बन्धा डाल दिया जाय तो इससे बहुत लाभ उस क्षेत्र को हो सकता है। यह 1 1/2 लाख की योजना है। इसको ब्लाक की तरफ से यहां पर भेजा गया और उसका निरीक्षण भी हो गया लेकिन पता नहीं उसका फिर क्या हुआ। अगर यह 1 1/2 लाख रुपया खर्च करके इस योजना को कार्यान्वित किया जाय तो इससे 40 गांव के लोग इस बाढ़ की मुसीबत से बच सकते हैं और हजारों एकड़ जमीन भी बच सकती है और बहुत राहत उस क्षेत्र के लोगों को मिल जाय।

इसी तरह से रामजानकी से आगे पीपरपाती के पास के बन्धे में अगर एक रेगुलेटर बना दिया जाय तो उससे बहुत हद तक 20, 25 गांवों को राहत मिल जाय। वे 20, 25 गांव जलमग्न हो जाते हैं। उनमें चार महीने तक पानी भरा रहता है। इसके लिये हमने डी० एम० से कहा और उसकी जांच भी हुई लेकिन यह 10 हजार रुपया खर्च नहीं किया गया। अगर यह योजना बन जाय तो इससे बहुत से गांवों में बाढ़ का पानी नहीं जा सकता है। गरीबों को राहत मिल जाय। यह ऐसा काम है कि इससे बहुत गरीब लोगों को राहत मिल सकती है। मुख्य मंत्री जी की भावना अच्छी है लेकिन अब भेदभाव वह बरतने लगे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें और जो यह भेदभाव हो रहा है इसको खतम किया जाय।

यह जो रिपोर्ट बटी है उस में बताया गया है कि बस्ती जिले में 5,401 मकान गिर गये हैं। यह बिल्कुल ही असत्य है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि करीब 1,500, 2,000 के लगभग मकान वहां पर बहादुरपुर क्षेत्र में गिरे हैं। इस विषय में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव हमारा यह है जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने कहा है कि यह गिरे हुये मकानों को बनाने के विषय में जो रिपोर्ट तैयार की जाय और जो आदेश दिये जायं वह उस क्षेत्र के विधायक के पास भी भेजे जायं और उसके द्वारा तसदीक कराई जाय कि जो नुकसान और सहायता जिसे दी जा रही है वह सच्चाई पर निर्भर है या फर्जी है।

लड़कों की फीस की माफी की जाय, बस्ती भी और जिलों की तरह पानी से डूबा हुआ है उसको भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय, वहां पर भी मालगुजारी और लड़कों की फीस की माफी की जाय। साथ ही जो परीक्षा की फीस दाखिल होने वाली है उससे भी छात्रों को मुक्त किया जाय। किसानों को निःशुल्क खाद दिया जाय और जो बीज बांटा गया ह उसकी छूट हो। खाद का पैसा किसानों को वापस किया जाय। इसके अलावा हमारे यहां हरया तहसील में रामजानकी रोड कट गई ह वहां सैकड़ों में ट्रकें फंसी रहती हैं वह रास्ता जल्दी से बनवाया जाये एक हफ्ता से सड़क पर आवागमन रोक कर बनवाया जाय।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आप को बधाई देता हूं कि आपने हमें बाढ़ के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया। जितने अन्य माननीय सदस्य बाढ़ के विषय पर बोले हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने यहां की जनता की विपत्ति को सदन के सम्मुख रखा है। यह बाढ़ कई चीजों को सामने लाई है एक तो अमीरी को और दूसरी गरीबी को। एक तरफ तो राजधानी लखनऊ में बाढ़ आई और जितने पूंजीपति थे, सरकारी अहलकार थे, जितने सेक्रेटेरियट के बाबू थे, क्लर्क और अफसर थे वह सब बहुत बुरी तरह से गोमती की बाढ़ से प्रभावित हुये और वह बरबाद हुये। हमारे राष्ट्रपति जो मजदूर लीडर थे और जिनको भगवान ने राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने भी लखनऊ शहर की बाढ़ पर घड़ियाली आंसू बहाये हैं और उन्होंने एक तार द्वारा मुख्य मंत्री जी से सहानुभूति दिखाई...

श्री उपाध्यक्ष—

राष्ट्रपति के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते....

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

वह हम कह सकते हैं क्योंकि यहां जनतंत्र है, जनतंत्र में उनके विचारों पर हम टीका कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी मंत्री के लिये कह सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति के लिये ऐसा नहीं कह सकते ...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

वह राष्ट्रपति के लिये नहीं कह रहे हैं वह वी० वी० गिरि के लिये कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से सन्देश मुख्य मंत्री जी को भेजा है।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

ठीक है, मैं राष्ट्रपति जी के लिये कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन आज यहां समाजवादी सरकार है, इन्दिरा जी की सरकार है उन्होंने तय किया है मुख्य मंत्री जी कमलापति जी हैं उन्होंने तय किया है कि हम यहां समाजवाद लायेंगे और जब समाजवादी विचारधारा की सरकार हो गई तो उस सरकार पर हमारा आरोप है कि जो यहां के अमीर लोग बाढ़ से प्रभावित हुये उनको तो खाने को पूड़ी और कचौड़ी मिलीं और जो देहात के गरीब किसान पांच-पांच और 6—6 दिन तक पानी से घिरे पड़े रहे उनको चने और सत्तू तक नहीं मिले, यह कहां का समाजवाद और न्याय है? हमारे जिले गोंडा, बहराइच, बस्ती और गोरखपुर के पूर्वी जिले जो बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वहां पर खाने का कोई बन्दोबस्त नहीं रह गया है लेकिन जिस तरह से भूतपूर्व मुख्य मंत्री पन्त जी, सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था उसी तरह से अब माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि एक आदमी भी भूख से नहीं मरने दिया जायगा और सबको खाना मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम से कहा है कि उनके मकानों की व्यवस्था की जायगी और दिल्ली की सरकार से सहायता के लिये कहा जा रहा है और वह अगर नहीं देंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। मुझे आशा है कि यहां की साढ़े 8 करोड़ जनता के जीवन की रक्षा होगी। और इस तरह से समाजवाद यहां आ सकेगा।

एक बात मैं राजस्व मंत्री जी से और कहना चाहता हूं हमारे जिले में जितने भी अधिकारी थे वे सब जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ एक अधिकारी ने झूठी रिपोर्ट की है और वह हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी। जब हमारे यहां पानी भर गया था तो वे कहते हैं कि उन्होंने कुओं में दवाई छोड़ी है। कितनी झूठी रिपोर्ट है। आज नहीं पता है कि कितने जानवरों को झूठी सुइयां लगाई गई हैं और कितने जानवर मरे हैं। हमारे पास चारा नहीं है। जितनी गलत रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है उतनी झूठी रिपोर्ट आज तक किसी जिले में किसी भी अधिकारी ने नहीं दी है।

जहां तक और चीजों का ताल्लुक है मुझे कहना नहीं है। हर मंत्री अपने जिले की रक्षा करना चाहता है। भाई रामलखन सिंह बोल रहे थे उससे मुझे दुःख हुआ है कि चालीस लाख रुपये से ऊपर राज्य मंत्री ले गये बस्ती के लिये। तब भी उनका पेट नहीं भरा। केवल एक स्थान को राहत नहीं पहुंचानी चाहिये, मेरे कहने का यह मतलब है सारे प्रदेश को एक निगाह से देखना चाहिये। मुझे आपसे यह भी कहना है कि अक्तूबर के महीने में टेस्ट वर्क और कैश प्रोग्राम दोनों चालू करें जिससे वहां के लोगों को भोजन मिल सके।

हमारा जिला तीन हिस्सों में बंटा हुआ है--तराई, तरहर और उपहर। तराई में धान होता है, उपहर में गेहूं और अरहर, तरहर में मक्का पैदा होता है। वहां ये फसलें नहीं पैदा हुई हैं। इसलिये वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिये हमारे जिले पर विशेष ध्यान दिया जाय और वहां पर खाने, पानी का और बीज का सारा प्रबन्ध किया जाय। टैस्ट वर्क कैश प्रोग्राम शीघ्र चालू किये जायं जिससे वहां की जनता को रोजी मिल सके। टिकरी रैन्ड खोल दिया जाय। जानवरों का चरागाहों के अभाव में चारे का प्रबन्ध नहीं हुआ है। सिर्फ एक गन्ना की फसल बची है। इसी प्रकार जरवल और नवाबगंज की चीनी मिलों पर जो किसानों का बकाया पैसा है उसको शीघ्रातिशीघ्र पैसा किसानों को दिलाने की कृपा करें जिससे वे अपने बच्चों को कपड़ा और खाने का प्रबन्ध कर सकें। एक बात मुझे और कहनी है कि जो पैसा बाढ़ पीड़ितों को बटे, वह एक कमेटी के द्वारा बटे और उसकी लिस्ट पहले ही बन जाय कि इतना-इतना फलां फलां को मकान आदि के लिये मिलेगा वरना हमारे यहां पिछले साल पांच लाख रुपये गये थे जनता को उसमें एक पाई भी नहीं मिली। सबके सब अधिकारियों के पेट में चला गया। इतना ही मुझे कहना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अप्रैल से लेकर सितम्बर की इस तारीख तक प्रदेश में जो अभूतपूर्व बाढ़, फसलों, जानवरों व माल की क्षति के रूप में आई है उस पर प्रदेश की सारी जनता और यहां का प्रशासन चिन्तित है। माननीय माल मंत्री जी ने अप्रैल, मई, जून के महीने में क्षति दो सौ करोड़ रुपये के करीब आंकी थी और उनका कल का जो वक्तव्य है उससे यह जाहिर है, ईश्वर न करे लेकिन शायद इस मास के अंत तक कहीं हमारे प्रदेश को इस प्रलयकारी बाढ़ से 200 करोड़ रुपये की क्षति और न उठानी पड़े। असामयिक वर्षा और प्रलयकारी बाढ़ से इस प्रदेश को यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 400 करोड़ रुपये की क्षति पहुंच जावेगी। भारत सरकार की प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के इस गम के साथ अपने आप को बावस्ता किया है और सहायता का आश्वासन दिया है। 400 करोड़ की क्षति में भारत सरकार उत्तर प्रदेश को, जो बहुसंख्यक प्रदेश है, कितनी सहायता दे सकेगी। इसका दसांश या 20 प्रतिशत भी दे सकेगी या नहीं यह देखने की बात है।

गत वर्ष 33 करोड़ रुपये का नुकसान बाढ़ से हुआ था, तब भी भारत सरकार से प्रदेशीय सरकार ने सहायता की मांग की थी और संभवतः 2 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला था। यह एक चिन्ता का विषय है। मुझे यह विश्वास है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री और यह सारा सदन चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो इसमें सभी को दिलचस्पी है कि हमारे साधन बहुत महदूद हैं, हमारी इस कठिनाई में भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा हमारी सहायता करे। जिस प्रकार की सहायता प्रदेश सरकार ने जिलों में भेजी है उसके बारे में अभी श्री बसन्तलाल शर्मा ने कुछ जिलों की चर्चा की है।

मैं आपकी आज्ञा से कुछ और जिलों की चर्चा करना चाहूंगा। मेरठ जिले में 129 गांव प्रभावित हुए हैं, 31 हजार एकड़ फसल का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और सरकार ने 135 लाख की हानि बताई है लेकिन सहायता 1 लाख रुपये की दी है और हमीरपुर में जो माल मंत्री का जिला है वहां 94 गांव प्रभावित हुए हैं 24,000 एकड़ फसल

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

प्रभावित हुई है किन्तु 1 करोड़ रुपये की हानि बतलाई गई है और 2 लाख 65 हजार की सहायता दी गई है। तकावी में मेरठ को 1 लाख 55 हजार दिये गये हैं जब कि हमीरपुर को 1 लाख 85 हजार दिये गये हैं। गृह निर्माण में मेरठ को केवल 25,000 रु० और हमीरपुर को 2 लाख 19 हजार रुपये दिये गये हैं। मेरी मंशा किसी का विरोध करने की नहीं है। जाहिर है कि बाढ़ से फसल और मकानों की बड़ी हानि हुई है लेकिन जो सहायता माल विभाग करे वह क्षति के अनुसार होनी चाहिये। आंकड़े जो दिये गये हैं उनके अनुसार बस्ती में बहुत नुकसान हुआ है क्षति-ग्रस्त मकान 5,401 और 88 लाख की फसल का नुकसान हुआ है वहां 14 लाख 50 हजार की गृह निर्माण सहायता की गई है। फैजाबाद में क्षतिग्रस्त मकान 42,523 और फसल को 85 लाख की हानि हुई है लेकिन गृह निर्माण के लिये सात लाख रुपया दिया है। बुलन्दशहर में 125 गांव प्रभावित दिखलाये गये हैं और कानपुर में 81 दिखलाये गये हैं। बुलन्दशहर में 23 हजार क्षेत्रफल प्रभावित है और कानपुर में 12 हजार है जब कि सहायता बुलन्दशहर को 55 हजार दी गई है और कानपुर को 80 हजार दिखलाई गई है।

गृह-निर्माण के लिये बुलन्दशहर को जीरो सहायता है और कानपुर को 1 लाख 30 हजार रुपया दिया गया है। अगर प्रदेश के सारे आंकड़ों को देखें तो आपको मामलूम होगा कि कितने मकानों की क्षति हुई है, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है अगर उस दृष्टि से इसको देखा जाय और सहायता की जाय तो सरकार की शान शाया होगी। इस वर्ष प्रदेश में वर्षा ने कहर ढा दिया है। पिछले वर्ष से इस वर्ष दुगुनी से 5 गुनी ज्यादा वर्षा हुई है। मुजफ्फरनगर के बारे में एक सदस्य ने कह दिया कि उसको सहायता की क्या जरूरत है। जो आंकड़े आपने दिये हैं उनसे जाहिर है कि मुजफ्फरनगर को 2 करोड़ 15 लाख रुपये की क्षति पहुंची है। अकेले गोवरधनपुर परगना में 54 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। 20,442 एकड़ का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है तथा 51 लाख 8 हजार और 900 रु० की क्षति हुई है। यह आंकड़े तो 15 दिन पहले के हैं और उसके बाद में कितनी क्षति और हुई है यह अन्दाजा अलग से लगाया जा सकता है। उस सारे इलाके में कोई आ-जा नहीं सकता है। पुल, सड़कें तथा आने-जाने के सभी साधन नष्ट हो चुके हैं। बिना नावों के कोई सहायता भी नहीं पहुंच सकती है। लोगों को खाना तक बनाने का कोई स्थान नहीं है, जानवरों के लिये चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है, वे भूखों मर रहे हैं, आदमी भी बीमार हैं और दवाओं का कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है।

मुजफ्फरनगर और मेरठ का जिला एक तरफ तो यमुना से और दूसरी तरफ गंगा से घिरा है। तहसील जानसठ के पांच गांव जो बिल्कुल ही उजड़ चुके हैं, गांव के गांव ही साफ हो गये हैं। मेरठ जिले में 1 करोड़ 35 लाख रुपये की हानि आंकी गई है। मान्यवर वहां पर जो सहायता दी गई है वह एक लाख की है। गृह निर्माण में 25 हजार, तकावी में 1 लाख 55 हजार हैं। दूसरे जिलों से मुकाबिला करें। मुरादाबाद में 2 करोड़ 55 लाख की क्षति हुई है। बरेली में 1,335 गांव प्रभावित हुये हैं। यह ख्याल करना कि पश्चिमी जिलों में कोई नुकसान ही नहीं हुआ यह भ्रम है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं वे सहारनपुर के हैं। उनके यहां 209 गांव प्रभावित हुये हैं, बड़ी भारी क्षति हुई है। मैं माल मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरठ डिवीजन को भी इसी प्रदेश का एक हिस्सा समझे। वहां पर भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। पिछली मर्तबा जब खलिहानों में फसल सड़ रही थी उस समय भी सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर जिलों का जो नुकसान हुआ उस पर भी विचार नहीं किया गया। यह उचित नहीं है। जहां तक कि लखनऊ के नुकसान का प्रश्न है कल भी माननीय सदस्यों ने कहा और लखनऊ बाढ़ की चर्चा हुई, अखबारों में निकला कि बी० के० डी० के जब श्री शिवराज सिंह मिनिस्टर थे तो उन्होंने बांध के निर्माण पर रोक लगा दी। उन्होंने यह कहा कि सिंचाई मंत्री मैं नहीं था बल्कि वीरेन्द्र वर्मा जी थे। इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि सिंचाई मंत्री ने नहीं बल्कि पी० डब्ल्यू० डी० ने उसका निर्माण करवाया था।

मान्यवर, सन् 67 की मुझे एक जानकारी है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री रामस्वरूप वर्मा जी के सामने जब बटलर बंध के निर्माण की फाइल पहुंची तो उस समय उन्होंने कहा था कि भैंसाकुंड पर जो वीयर वाल बनायी जा रही है, उसकी शायद आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रकार के गेट्स बनाए जाने चाहिएं जिससे कि बरसात में वह खुले रहें और बरसात के बाद उन्हें बन्द किया जा सके। मुझे यह जानकारी हुई है, और अखबार में भी मैंने पढ़ा कि डा० के० एल० राव ने वक्तव्य दिया है कि गोमती नदी का सिल्टिंग हुआ है और वीयर वाल भी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की भैंसाकुंड पर बनी हुई है। मेरी अपनी राय यह है कि अगर ऐसी नदियों में इस प्रकार की वीयर वाल बनने से नुकसान पहुंच सकता है तो सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस पर विचार करना चाहिए।

मान्यवर, माल विभाग के जरिए से थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा दी जाती है। कुछ गृह निर्माण के लिए दे दिया, कुछ दियासलाई बांट दी, चना बांट दिया, बीज बांट दिया। लेकिन जो बाढ़ से क्षति पहुंचती है, जो तबाही होती है, उसका कोई स्थायी हल होना चाहिए। जो 200 करोड़ का इस साल नुकसान हुआ है, पिछले वर्ष 33 करोड़ का नुकसान हुआ था और उससे पहले भी तबाही होती रही है, तो प्रदेश की सरकार ने कौन से स्थायी निर्माण-कार्य ऐसे किये हैं जिनसे प्रदेश में इस प्रकार की तबाही न हो।

सन् 48 में माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में एक फ्लड कमेटी का निर्माण हुआ था। सन् 53 तक वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। फिर सन् 53 में दूसरी कमेटी चौधरी चरण सिंह जी की अध्यक्षता में बनायी गयी। सन् 54 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ सुझाव भी उन्होंने दिये लेकिन मुझे मालूम नहीं कि सन् 54 में प्राप्त उस रिपोर्ट पर इन 17 सालों में कौन ठोस कार्यवाही की गयी और अगर की गयी तो स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं, वह अपने मंत्री महोदय को बता दें कि वह यहां बताएं कि इन 17 सालों में क्या ठोस कार्यवाही सन् 54 की फ्लड कमेटी की सिफारिशों पर की गयी। मान्यवर, केवल इससे ही हमारी तसल्ली होने वाली नहीं है कि इतनी तकावी दे दी, इतना कर्जा बांट दिया। यह भी बताया जाय कि कौन सी स्थायी स्कीमें आपके पास ऐसी हैं जिनसे प्रदेश को आप इस प्रकार की तबाही से बचा सकते हैं।

मकान तबाह होते हैं। मेरी पूरी सहानुभूति लखनऊ के लोगों से है। लेकिन इससे भी ज्यादा सहानुभूति उन गरीब आदमियों से है जो गांवों में कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके मकान भी नष्ट हो जाते हैं, फसल भी चौपट हो जाती है, जानवर भी मरते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। इसलिए उनके लिए विचार करें कि कौन सी स्थायी योजना हो जिससे इस प्रदेश को तबाही से बचाया जा सके। आप कृपा कर बताएं कि अगले पांच वर्ष के लिए आपके पास कौन सी ठोस योजनाएं हैं जिससे प्रदेश को इस प्रकार की प्रलयकारी बाढ़ से बचाने की स्थायी व्यवस्था हो सकती है। कितना रुपया आप अपनी तरफ से लगाएंगे और कितना रुपया भारत सरकार देगी? किस प्रकर के स्थायी बांध आप बनाएंगे?

मुझे तो यह भी जानकारी है कि गोरखपुर जिले में और दूसरी जगहों पर भी, एक दफा अगर बांध बन गया, 10–15 साल का बना पड़ा है, अगर बीच में टूट गया तो मरम्मत की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गयी। मुजफ्फरनगर जिले के परगना गोवर्द्धनपुर में सोलनी नदी पर एक बांध बना था अंग्रेजों के जमाने में। आजतक उसकी मरम्मत का किसी ने विचार नहीं किया। नतीजा उसका यह हुआ कि तमाम का तमाम परगना तबाह और बर्बाद हो गया। मान्यवर, परगना–बिठौली के कैराना में यमुना नदी अब कोकरी और काठा नदियों के से 200 फीट और 250 फीट के फासले पर ही रह गई है। वहां का 40 वर्गमील का क्षेत्र तो पहले ही हरियाणा प्रान्त में जा चुका है। यदि यमुना इन नदियों में मिलेगी तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र, करीब

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पचासों गांव हरियाणा में पहुंच जायेंगे। हरियाणा प्रान्त वाले तो यमुना नदी के किनारे बान्ध बनाते जा रहे हैं और हमारी प्रदेशीय सरकार इसकी तुलना में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं एक बात और कहकर बैठ जाना चाहता हूं।

नैनीताल जिले में तराई का एक बड़ा क्षेत्र है। नैनीताल जिले की तो इसमें चर्चा ही नहीं की गयी है। पता नहीं, कहीं इस जिले को भूल तो नहीं गये। नैनीताल के जितने भी डेम्स और जलाशय हैं वे सबके सब ओवरफ्लडेड हो गये हैं और वहां की तमाम सड़कें, फसलें और मकानात बर्बाद हो गये हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अधिक समय न लेते हुये मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह सारा कार्य राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। यह काम है सिंचाई विभाग का। बान्ध कहां बनेंगे, नालियां कहां बनेंगी और कहां से पानी निकाला जायेगा, ये सब काम सिंचाई विभाग के हैं जबकि बाढ़ का सारा कार्य राजस्व विभाग को दे रखा है। यह बात मैं प्रदेशीय सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह उचित होगा कि बाढ़ का मामला सिंचाई विभाग को दे दिया जाये और सहायता का काम माल विभाग करता रहे।

श्री राम लखन सिंह---

बोलने का समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष---

10 मिनट निश्चित है।

*श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आयी हुई बाढ़ से हुई अप्रत्याशित हानि पर हम विचार कर रहे हैं दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस भयावह स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति बड़ी ही भयावह हो गयी है। इस ओर सरकार को और हम लोगों को यथेष्ट ध्यान देना चाहिये। उन सब बातों को दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि बाढ़ के लिये यह सरकार जिम्मेदार है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। कोई भी सरकार हो, चाहे इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो, यह नहीं कर सकती है कि अगर वह चाहती है कि बाढ़ न आये तो बाढ़ न आये। हम यह भी नहीं कर सकते हैं कि जब हम चाहें कि बाढ़ चली जाये तो वह चली जाये। यह बात दूसरी है कि बाढ़ को रोकने के लिये या बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के बचाव के लिये जो हमें करना चाहिये वह शीघ्रता से करना चाहिये। यह बात देखने की है कि उसको करने में हम कहां तक सफल हुए हैं और कहां तक असफल हुए हैं। मैं यह बात जरूर मानता हूं कि कुछ असफलता हुयी है और उस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिये।

हमारे प्रदेश में बाढ़ से बहुत बड़ी तबाही हुयी है। इस प्रकार की योजना बननी चाहिये ताकि वह तबाही फिर आगे न आने पाये। इस समस्या के समाधान की ओर हमें सतत् प्रयास करना चाहिये। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस से भी कोई लाभ नहीं होगा कि अगर हम कहें कि किसी सरकारी कर्मचारी की वजह से बाढ़ आ गयी या किसी विशेष गवर्नमेन्ट की वजह से बाढ़ आ गयी। अगर इस समस्या पर हम ज्यादा ध्यान दें तो अधिक अच्छा होगा। अगर हम इस प्रकार का निष्कर्ष निकालेंगे तो प्रदेश की जनता भी सक्रिय योगदान कर सकेगी।

हमें अब आगे क्या करना चाहिये, इस पर अपनी निश्चित राय देना चाहिये। इससे कुछ फायदा हो सकता है। जो बीत गया उस पर विचार करने से लाभ नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा यह निश्चित मत है कि शहरों में जितना नुकसान हुआ है उससे 10 गुना अधिक नुकसान दहातों में हुआ है। शहरों के नुकसान के बारे में तो अखबारों तथा रेडियों आदि में आ जाता है मगर देहात के नुकसान के बारे में नहीं आ पाता। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि कहीं बीमारी से दो आदमी मरते हैं तो पहले वहां इलाज की व्यवस्था करना है या वहां पर पहले करना चाहिये जहां कि 10 आदमी मरे हों और हैजे आदि का प्रकोप हो। आप सभी स्वीकार करते हैं देहातों में शहरों के अपेक्षाकृत इस दैवी प्रकोप से कहीं अधिक नुकसान हुआ है। हम केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के लिये जनसंख्या का आधार लेते हैं। यहां पर चर्चा भी हुई कि जनसंख्या के आधार पर केन्द्र ने हमको सहायता नहीं दी। आज 87 फीसदी जनता देहात में रहती है। इसलिये मै यह मांग करता हूं कि केन्द्र से राहत के लिये जो भी धन हमें प्राप्त हो वह यदि 87 फीसदी नहीं तो कम से कम 75 फीसदी वह देहात में खर्च किया जाय। इस तरह की घोषणा सरकार की ओर से होना चाहिये। (व्यवधान) आप सुनिये कृपया। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक तबाही हुई है तो इस तबाही के वक्त उन लोगों को इन्साफ मिलना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि ग्रामीण जनता के साथ ज्यादती न हो। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दें।

अधिकारियों के रुख के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई। यह सही है कि ऐसे अवसर पर अधिकारियों का रुख गड़बड़ रहा है। मैं अपने जिले की ही मिसाल दूंगा। जिस समय मेरे क्षेत्र में पानी भर गया, तो यह मान लेना चाहिये था कि वहां बीमारी फैलेगी। हमारे जिले के मोहाना ग्राम के एक मजरे में हैजा फैला। 7 तारीख को मुझे सूचना मिली। मैंने उसकी सूचना डी०एम०ओ०एच० को टेलीफोन पर दी कि एक आदमी मर चुका है हैजे से और 3-4 बीमार हैं, तुरन्त व्यवस्था की जाय। 12 तारीख तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी। 12 को सूचना मिली की ३ आदमी मर गये और कई बीमार हैं। छुट्टी का दिन था। मैंने ए०डी०एम० तथा जिलाधीश व नियोजन अधिकारी आदि से मिलकर प्रयास किया, मगर उस दिन कहीं डी० एम० ओ० एच० का पता नहीं चला। (व्यवधान) शायद वे मेम साहब के साथ कहीं गये थे। उनकी मेम साहब भी डाक्टर हैं। वह फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी में गयी हुई थीं। डी०एम०ओ० साहब इलाज के सिलसिले में गये हुए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी ड्यूटी कहां लगी थी कि दिन भर उनका पता नहीं चला। उस गांव में उपचार की कमी से दो आदमी और मर गये। मंत्री महोदय अपने उत्तर में कम से कम यह बतलायेंगे कि दो आदमी जो बिना इलाज के मर गये उसकी जिम्मेदारी किसकी है। हमारे प्रदेश में पानी भरा हुआ है। पानी के कारण महामारियां फैल सकती हैं। लिहाजा इस तरह की घटना आगे नहीं होनी चाहिये।

(श्री अमरनाथ दुबे का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

इसके बाद तो जनसंघ का नम्बर आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

अवसर मिलेगा।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। सारे प्रदेश का पानी बलिया में चला गया है और मैनेजर सिंह को मौका नहीं मिल रहा है। आप मैनेजर सिंह जी को मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया? इस तरह का अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य आप न करें। आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरे के लिये कहें।

श्री अमरनाथ दूबे (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है मेरा ऐसा जिला है ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोल चुके हैं।

श्री सुखपाल पांडेय--

आप सुन तो लें। मेरे जिले में लोग घाघरा के कटान से पीड़ित हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता। मैंने अमरनाथ दूबे को बुलाया है। आप पहले बोल चुके हैं।

श्री सुखपाल पांडेय--

पहले बाढ़ थी तब मैं बोला था। अब फिर बाढ़ आई है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। मैं आपके इस तरह के व्यवहार के लिये चेतावनी देता हूं। मैं इस तरह दो दफा बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

(श्री सुखपाल पांडेय द्वारा खड़े रहने पर तथा कुछ बोलते रहने पर)।

मैं यह सदन का अपमान समझता हूं। बार-बार आप इसी तरह से अपमान करते हैं। आप निकल जाइये, आज आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय--

आपके कहने से नहीं जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सदन में व्यवहार करना सीखें। इस तरह का व्यवहार आप बराबर करते हैं। मैं सारे सदन का ध्यान आपकी उद्दंता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बार-बार अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपके विरुद्ध मुझे कार्यवाही करनी होगी।

(इस पर श्री सुखपाल पांडेय बैठ गये)

श्री अमरनाथ दूबे--

उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ की विभीषिका पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मुझे तो बोलते समय समझ में नहीं आता कि अन्जाम गुलिस्तां क्या होगा जब कि दोनों सदनों में और यहां पर रियासत हुसैन साहब ने यहां तक कहा कि जो बजट मिला है उस पर यह धन्यवाद देते हैं। लेकिन अन्दरूनी उनके धन्यबाद का मतलब यह रहा कि यहां का बुजुर्ग बिल्कुल कल्पित और गलत है। यहां जब जब बजट आते हैं चाहे बाढ़ का आए वे सेक्रेटेरिएट से बनकर आते हैं। यह सेक्रेटेरिएट एक खिलौना है, और उसको मंत्री लोग खेलने वाले हैं। कभी मंत्रीगण यह नहीं देखते हैं कि उसमें क्या है। वे कभी इसकी आवश्यकता नहीं समझते कि उसे अपनी निगाह से देखें और उसे तर्कसंगत करें। जहां तक मेरा ख्याल है हमारा बनारस बड़ा भाग्यशाली जिला है और उसका गौरव है, अब तक बस्ती जिल का गौरव रहा, बड़ा रुपया बाढ़ में गया। हमारे मुख्य मंत्री बनारस के हैं ,सिंचा

मंत्री बनारस के और सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बनारस के। तीनों मंत्रियों की इस बात की बड़ी अथक कोशिश रही है कि बनारस के कारण उन पर कोई बदनामी नहीं आनी चाहिए। लेकिन तीनों मंत्रियों के होते हुए बनारस की जनता की उपेक्षा की गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

बोलने वाले बनारस के, उनके बगल में बैठने वाले जो हैं वह भी बनारस के हैं।

श्री अमर नाथ दूबे––

हमारा क्षेत्र पूरा मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, यह उनका इलाका रहा है और हमेशा यहां का अन्न दाना मुख्य मंत्री जी के यहां जाता था। वैसे तो इलाके बहुत थे, लेकिन सबकी उपेक्षा सरकार द्वारा हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री का भी इलाका रहा है। पूरा पूर्वी इलाका डूब रहा है, चकिया की भी वही हालत है। जौनपुर में आप घूम आए। इस पुस्तिका में एक नदी का नाम लिखा है नांद नदी। इस में हर जगह की तो भयावह स्थिति बताई गई, लेकिन पता नहीं इसकी भयावह स्थिति को क्यों भुला दिया गया। यह शायद गाजीपुर में जाकर मिलती है। इस नदी की बाढ़ के कारण सौल असली क्षेत्र की चार हजार एकड़ भूमि जलमग्न है। इस नदी से बिरहाताल, नेवा बरहीनेवाहा दकरई और काला मछहा ताज के नाले हैं, उनकी सफाई नहीं हुई और उसके कारण से 8 हजार भूमि जलमग्न है। उस रास्ते से सिंचाई मंत्री, राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सम्भवत मुख्य मंत्री भी जौनपुर गये होंगे। इन लोगों ने प्रयत्न किया है कि बनारस को कम से कम सहयोग देंगे। इसलिये बनारस का प्रश्न रखना हम लोगों का भी कर्तव्य है।

सेक्रेटेरियेट को भी इस बात का ख्याल करना चाहिये कि जितने यहां हमारे दोनों सदन के लोग हैं उन्होंने सेक्रेटेरियेट पर जो आवाज कसी है उसका क्या कारण है? 'बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो जमाने खल्क नक्कारे खुदा समझो' इन लोगों के मनगढ़न्त जो आंकड़े हैं ये दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को गलत रास्ते पर रख देने वाले हैं और सारी चीजें पास करा लेंगे, यही उनका काम है। सेक्रेटेरिएट पर जब हम लोग निर्भर रहेंगे तो हमारी योजना का काम कैसे चलेगा यह सोचने की बात है। ये लोग पक्के माकानों में रहने वाले लोग हैं। कच्चे मकानों का इन्होंने अंदाजा लगाया है कि मकानों का अनुमानित मूल्यांकन 35,60,644 रुपया होगा और जबकि वहां पर क्षतिग्रस्त मकान 13,397 हैं। इस हिसाब से एक मकान की कीमत ढाई सौ रुपया आंकी गई है। ढाई सौ रुपये में तो अधिकारियों का बाथरूम भी नहीं बनता है। एक कच्चा माकन मामूली सा भी कम से कम 5–7 सौ में बनता है। उसके अमले बांस बल्ली और लकड़ी की ही ढाई सौ रुपये कीमत हो जाती है। जब इन्होंने एक मकान की क्षति ढाई सौ रुपया लगाई है तो कितनी सहायता देंगे, यह देखने की बात है।

इस तरह की कल्पित योजनायें जो बनायी जा रही हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की आदत है कि विरोधाग्नि को मधुर भाषण से बुझा देते हैं, यह इस चीज के कायल हैं––फितरत को नापसन्द है सख्ती की जबान की, पैदा हुई न इसलिये हड्डी जबान में। यह इस चीज से विजय पाते हैं। लेकिन इनको सख्त हो जाना चाहिए अपने सेक्रेटरियट पर। वह उनके आंकड़ों को दुरुस्त करवायें। उतनी सहायता नेदी चाहिये जितनी जनता को जरूरत हो। हमारे यहां स्कूल के बच्चों की फीस टोटली माफ होनी चाहिये। प्राइमरी स्कूल गिर चुके हैं। उधर गेहूं पानी से खराब हुआ उधर बाढ़ की विभीषिका ने चौपट किया। आज तक किसान के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कल उन्हें खाद नहीं मिलेगी, बीज की व्यवस्था करनी होगी। जिन किसानों ने पम्पिंग सेट लगाय हैं, अप्रैल से ले कर दिसम्बर तक उनके पम्पिंग सेट बेकार रहेंगे। बिजली मंत्री भी कहेंगे कि सौ रुपये प्रति हार्स पावर देना है। लिहाजा बिजली मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना

[श्री अमरनाथ दूबे]

चाहता हूं कि पम्पिंग सेट्स पर दिसम्बर तक रेट्स माफ करने की कृपा करें। इतना कहने के बाद कम से कम हमारे बनारस का और विशेषकर हमारे क्षेत्र का खयाल करें तो बड़ी महती कृपा होगी। कम से कम तीन नाले हैं, एक मछहा नाला वाया पिडरा, दूसरा बरही नेवादा का नाला जो मछहा में जा कर मिल जाता है और तीसरा मलहथ से नाद नदी तक नया नाला निकालने की जरूरत है। तीन सौ मकान हरिजनों के मेरे क्षेत्र में गिरे हुये हैं, दो हजार एकड़ भूमि जलमग्न है। अलग से लिख कर मैंने माननीय मुख्य मंत्री को दे दिया है। इससे ज्यादा क्या कहूं? इंसाफ उनके हाथ में है, कहना हम लोगों का है। चेरियां तेरी शादी होगी, हजरत कोई काबू है। धन्यवाद।

श्री रामसेवक (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने सदन में बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का का अवसर दिया। मैं सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूं। हमारे जिले में चार तहसीलें हैं। गोमती नदी हमारे जिले से होकर गयी है, यह नदी तीन तहसीलों से, मुसाफिर-खाना, सदर, कादीपुर, होकर बहती है। हमारी तहसील में तीन परगने हैं, जगदीशपुर, इसौली और जामो। जगदीशपुर और इसौली परगने के बीच से हो कर गोमती नदी गयी है। 1955 से ज्यादा जब कि बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी इस बाढ़ का रेकार्ड हो गया है। हमने अपने क्षेत्र का दौरा किया। सुकुल बाजार बाराबंकी की सरहद पर है। यहां से रसूलाबाद तक हमारा क्षेत्र है। सुकुल बाजार ऐसा मुकाम है जो तहसील हेडक्वार्टर से तीस मील पर है। यहां तीन सड़के हैं तीनों कच्ची हैं। लोगों को जाने में बड़ी परेशानी होती है। ये सड़कें पक्की बनायी जानी चाहिये। उसके बाद संसारपुर, खेमामऊ, पाली, किसनी, शेखपुर, भंडरा, सत्थिन, मटियारी कलां, किछूती, आमघाट थौरी, मूलीनगर, गोसाई का पुरवा, पूरे झुरहू आदि गांव बाढ़ में बह गये। यहां जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है साथ में और लोगों की भी हानि हुई है। उसके बाद में जगदीशपुर में पहुंचा। वहां की आबादी के 14 आने मकान गिर गये जिनमें अधिकांश गरीबों के थे। हमने डी० एस० को फोन किया। वह दौड़े परन्तु आये और उन्होंने यह दृश्य देखा। एक-एक टेन्ट में 15—15, 20—20 आदमी जानवर की भांति गुजर कर रहे थे। यह बड़े दुख की बात है। सरकार सहायता नहीं कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार जितना हो सके अधिक से अधिक सहातया करे।

परगना जामों में एक मसियां का तालाब है जो कि 3 मील लम्बा है। बाढ़ की वजह से इसमें पानी भर गया है और इससे वहां पर बहुत नुकसान हो गया है। अतः इस पानी को रोकने के लिये एक सायफून बना दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मेरे क्षेत्र में पिंडारा के पास प्रेमसाह के पास एक सायफून बना दिया जाय तथा रुदौली के पास भी एक सायफून बना दिया जाय तो इससे वहां के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक नाला पलिया खानजदन के पास बना दिया जाय। इसके साथ ही साथ नाराअढ़नपुर, गाजनपुर, देवरिया, चन्द्रीपुर, भदौर, निजामुद्दीनपुर, कोंणरी और हाजीपट्टी में जितने भी गांव हैं वे सब धराशायी हो गये हैं। इन क्षेत्रों में सरकार को विशेष सहायता देनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर मालगुजारी माफ कर दी जाय, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाय, खाद तथा बीज किसानों को मुफ्त मुहैय्या किया जाय और अधिक से अधिक सहायता दी जाय। इस समय लोग बहुत परेशान हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस क्षेत्र में विशेषरूप से सहायता करें।

*श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमन्, आज जौनपुर की स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है। पिछली बार मैंने जौनपुर का दौरा किया और जो चित्र मैंने वहां पर देखा। आपने भी वहां का दौरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था और उस सम्बन्ध में आपने रिपोर्ट भी शासन को भेज दी थी। किन्तु बड़े दुख की बात है कि अभी तक उस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हुई। जौनपुर वह जिला है जैसा कि माननीय दुबे जी ने बनारस के सम्बन्ध में कहा कि माननीय मुख्य मंत्री भी वहां से आये हैं उनको उन्होंने याद दिलाई कि वहां की परिस्थिति को विशेषरूप से देखें उसी प्रकार मैं भी पंडित जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे जौनपुर के भी प्रतिनिधि रह चुके हैं और वहां की सारी स्थिति से परिचित हैं।

इस साल जौनपुर में जो बाढ़ आई है वह सन् 55 में आई हुई बाढ़ से भी भयंकर बाढ़ है। वहां पर नदियों का पानी 39 फीट से भी ऊपर हो गया है इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि नगर और देहाती क्षेत्र वहां की गोमती और सई नदियों में आई हुई बाढ़ से क्या दुर्दशा हुई होगी। मेरे क्षेत्र राजेपुर में इन दोनों नदियों का संगम है। इससे कल्पना की जा सकती है कि वहां की क्या स्थिति होगी। मैंने उस क्षेत्र का भ्रमण किया था। वहां के चित्र को देखते हुये मैं वहां की स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकता हूं। तमाम आवागमन के साधन अवरुद्ध हो गये हैं। चारों तरफ पानी भर गया है। लोगों के घर गिर गये हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। लोगों को निकालने के लिये नावों का समुचित प्रबन्ध नहीं है। मैंने पंडित जी से वहां पर और नावें भेजने का अनुरोध किया। जिस प्रकार कि लखनऊ में गोमती में बाढ़ आने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है उससे भी बद्तर स्थिति वहां की हो गई है।

मैं शासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा कि जौनपुर में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। वहां पर एक सायीपुल बनाया था किन्तु अभी तक सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया उस पर इन्जीनियर्स ने रिपोर्ट दी कि उसमें दरारें पड़ गई हैं। वहां से बनारस के रास्ते में जलालपुर के बाजार में एक पुल के ऊपर 5–6 फिट ऊपर से पानी चल रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां जाकर उस पुल की हालत को देखें और सदन में आश्वासन दें। माननीय मंत्री जी ने जौनपुर का भ्रमण किया था और उन्होंने उस समय कहा था कि वहां पर एक दूसरे पुल का निर्माण कराया जाय। मैं समझता हूं कि पंडित जी उस बात को भूल रहे हैं। मुझे आशा है कि वे वहां पर दूसरे पुल का निर्माण करायेंगे। हमारे माननीय राजबिहारी सिंह जी मेरे पड़ोसी क्षेत्र के हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी के अनुयायी रहे हैं। वहां पर नालों ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया है। वहां पर प्रति वर्ष बिना बाढ़ के ही लोगों की जानें जाती हैं बाढ़ हो न हो। छोटे-छोटे नाले भी नदियों का रूप ले लेते हैं।

राजेपुर में हैदरपुर एक ग्राम है जो कि पूरा पानी में डूबा हुआ है। मैं जब वहां दौरे पर गया तो मैंने देखा कि लोगों के घर डूब गये हैं और पानी भरा पड़ा है। जिलाधिकारी से कहा कि ऊंचे टीले पर इसे बसाया जाय लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारे जिलाधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में उन्होंने काम किया है कि कोई आदमी मरा नहीं है। अन्य अधिकारियों की बात और है। अभी मैं अपने यहां के जलालपुर क्षेत्र में गया और वहां तीन दिन तक रहा। मैंने वहां तहसीलदार से कहा कि गांवों में गल्ला बांटा जाय। लेकिन पता नहीं क्या बात है उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वह लेखपाल की बात तो मान लेते हैं लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे विरोधी दल के सदस्य हों या सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों, सबकी बात पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह लखनऊ में न रहें और सदन समाप्त होते ही जौनपुर चलने का कार्यक्रम बनायें। मैं कहना चाहता हूं कि वहां वे अधिकारियों की फौज को लेकर न जायं और अकेले वहां जाकर निरीक्षण करें तब उनको मालूम होगा कि वहां की क्या स्थिति है। वे वहां के निवासी रहे हैं। जिन चीजों की वहां आवश्यकता है उनको पहुंचायें।

[श्री उमानाथ सिंह]

मैं चाहता हूं कि तत्काल कोई व्यवस्था की जाय । हमारे जिले में भूसे की बड़ी भारी आवश्यकता है । हमको सूचित किया गया है कि हमारे यहां आठ वैगन भूसे के पहुंच रहे हैं । लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं । सदन के सभी माननीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि लगान की माफी की जाय और लड़कों की फीस माफ की जाय क्योंकि एक भी लड़का ऐसी स्थिति में नहीं होगा जो फीस दे सके ।

हमारे जिले जौनपुर की नगरपालिका ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है और अन्य लोगों ने भी कार्य किया है जिसकी सराहना की जानी चाहिये । उनको और सहायता दी जानी चाहिये । जैसी व्यवस्था नगरों में होती है वैसी देहात में नहीं होती है । नगरों में डाक्टर घूम रहे हैं लेकिन वे देहातों में नहीं जाते हैं । डाक्टर लोग घरों में न बैठे रहें । उनको घूम-घूम कर देहात में दवा देनी चाहिये । बहुत से हमारे ऐसे अधिकारी हैं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि वे बाढ़ की विभीषिका देखने के लिये मनोरंजन का कार्यक्रम बना लेते हैं । एक अधिकारी पानी में घूम रहे थे । मैंने कहा कि यह क्या बात है । इसका उनके पास उत्तर नहीं था । ऐसे अधिकारियों को कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जौनपुर की बाढ़ के लिये कुछ नहीं किया गया है । वहां 50 में बाढ़ आई, 55 में आई और 60 में आई और अब आई है । बाढ़ को रोकने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? इस तरह से दियासलाई और नमक बांटने से समस्या हल नहीं होगी । इसके लिये कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये । आज सब जगह बाढ़ खत्म हो गई है लेकिन जौनपुर में बढ़ रही है । इसलिये तत्काल व्यवस्था होनी चाहिये । जौनपुर की बाढ़ की परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुये मैं कामेश्वरनाथ मंदिर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसके बचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । एक हमारे माननीय सदस्य सन्तूराम जी जिनको समय नहीं मिल सका उनका कहना था कि जिला बस्ती में छपरा से बहराडाडी तक जनता द्वारा जो श्रमदान से रामपुर बन्धा बनाया गया है उसको सरकार पूरा करने की कृपा करेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक सैकेंड चाहता हूं हम जानते हैं कि अगर हम दो घंटे भी बोलें तो इस सरकार पर कुछ असर होने वाला नहीं है । मेरे पास अभी तक 36 टेलीग्राम आ चुके हैं लेकिन उनमें से केवल एक टेलीग्राम पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है —

"Gahmar adjoining villages badly flood stricken life in danger cattles dying no proper Government help immediate action solicited visit with ministers."

Balmukund Singh.

यह 25 हजार की आबादी का गांव है। हमारे पास क्या है जो उनको दे सकें । हम तो यह तार माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये दिये देते हैं । वह इसमें कुछ कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

लखनऊ, गाजीपुर के बारे में कल एक घंटे की बहस माननीय अध्यक्ष ने स्वीकर की है । अतः यह कल लिया जायगा ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह सही है कि कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं और सभी को अवसर नहीं दिया जा सकता लेकिन जो बोल नहीं पाए हैं वे सरकार के सामने अपनी बात को कैसे रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन मजबूरी है। मुख्य मंत्री जी भी तो कुछ जवाब देंगे। उसके लिये भी समय चाहिए। आपने पहले से तो कुछ कहा नहीं। जब समय समाप्त होने जा रहा है, तब आप कह रहे हैं इस बारे में आप लिखकर दे दीजिये।

*श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ केवल शहरों के आस-पास ही आ रही है क्योंकि वहां का प्रबन्ध किया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद तहसील मेरा क्षेत्र है। वहां गंगा, राप्ती गंगा और तहबुल तीन नदियां बाढ़ से विनाश कर रही है। 250 में से 178 गांव पानी के अन्दर हैं। कोई समाचार वहां के लोगों का नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं कि वहां के अधिकारी अपने काम में पूर्णतया लगे हुए हैं। एस० डी० एम० और कलेक्टर बराबर दौड़ रहे हैं। लेकिन न हमारे पास और न उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे उन गांवों में पहुंचा जा सके। थोड़े से सरकारी आफीसर हैं जो आस-पास के 4-5 गांवों में सामान वितरण कर पाते हैं। भीतर के इलाके तक जा सकना कठिन ही नहीं असंभव है। वहां की कोई हलचल मालूम ही नहीं पड़ती। इन तीनों नदियों का पानी का स्तर इतना ऊंचा हो गया है जो आज तक कभी नहीं हुआ। सरकार हमारे इस क्षेत्र की ओर ध्यान दे इसकी अभी तक कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पायी है। वहां के लोग बहुत ही मुसीबत में है। हम किसी प्रकार की सरकार से भिक्षा नहीं मांगते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप हमें 15-16 नाव दे दें जिनके द्वारा हम दूर देहात से संपर्क स्थापित कर सकें।

इसके साथ ही एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि एक स्टीमर जलालाबाद के लिये और एक स्टीमर शाहजहांपुर के लिये हमेशा को दे दिया जाय और जिन इलाकों में से पानी उतर रहा है वहां जाने के लिये साधन उपलब्ध हो जायेंगे। वहां के लोगों के लिये खाने पीने का प्रबन्ध किया जाय, मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध किया जाय। दवाओं का भी इन्तजाम किया जाय।

हमारे क्षेत्र में 178 गांव पानी में डूबे हुए हैं भला वे विद्यार्थियों की फीस किस प्रकार से देंगे। अभी तक सरकार के जो आदेश हैं वे वहां पहुंच नहीं पाये हैं। आज खबर मिली है कि 15 तारीख को लड़कों से फीस मांगी जा रही है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आदेश दे दिया जाय कि फीस न मांगी जाय।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

जो फार्म भरे जा रहे हैं विद्यार्थियों के उनके लिये 20-25 रु० जुर्माना उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये जहां सौ फीसदी नुकसान हो गया है नाजायज है। जब यहां पैंट पतलूनों में रहने-वालों को परेशानियां हो जाती हैं उनके घर कटने से या गिरने से नहीं, सिर्फ पानी भर जाने से तो उन इलाकों की कल्पना कीजिये जहां सारे घर गिर गये हैं, सौ फीसदी नुकसान हो गया है।

एक निवेदन और करना है। जलालाबाद-अल्लागंज की जो सरकारी सड़क है वह बिल्कुल नष्ट हो गयी। उसके जल्द से जल्द निर्माण के लिये सरकार को इन्तजाम करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अधिष्ठाता]

मेरी बात सुन लें। दो दिन की बहस में लगभग 72 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और 6 घंटे की बहस हो चुकी है।

(घोर व्यवधान)

कोई चार रोज तक इस विषय के ऊपर बहस हो चुकी है और सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी जब पूरा उत्तर देंगे तो उन्हें काफी समय उसके लिये चाहिये ताकि सभी बातों का वह उत्तर दे सकें।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुख्य मंत्री से प्रार्थना की जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरा निवेदन आप सुन लें। आप यह उम्मीद करेंगे कि मैं इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूं। क्या सरकार करना चाहती है और क्या उसकी दिक्कतें हैं यह सब सदन के सम्मुख रखूं। क्या आप चाहते हैं कि न रखूं। बजट पर वोटिंग कितने बजे होने वाली है, मान्यवर ?

श्री अधिष्ठाता—

5 बजे के बाद बजट पर वोटिंग होगी।

श्री भाभी यादव—

हम लोगों की बात तो आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विरोधी दल के हमारे माननीय सदस्य यह बता दें कि मैं कितने बजे बोलने के लिये खड़ा होऊं। मैं उसी समय खड़ा होऊंगा, तब तक आप बोलें।

श्री अधिष्ठाता—

5 बजे बजट प्रारंभ होगा। उसके ऊपर वोटिंग होगी। अब से लेकर 45 मिनट उनके पास हैं। सारी बहस का उत्तर देने के लिए 45 मिनट वैसे कम हैं, संक्षेप में ही कहना होगा। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री बोलेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे साढ़े 4 बजे समय दे दें। मैं 15–20 मिनट में खत्म कर दूंगा।

नोमानी साहब बड़े उत्सुक मालूम होते हैं। आप इनको 2, 2 और 3, 3 मिनट का समय दे दें। मुझे 4 1/2 बजे से समय दे दें।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री हबीबुर्रहमान को पुकारे जाने पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी तो सारी उनकी है लेकिन इधर के लोगों की बात तो कृपया सुन लें और सुनकर वह जो कुछ उत्तर देना हो दे दें तो अच्छा है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बाढ़ के संबंध में यह निवेदन करना है कि.....

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उसको आप कृपया सुन लें। हम लोगों को सूचना मिली है कि बलिया जिले में घाघरा नदी की बाढ़ से श्रीनगर तुरतीपार बान्ध टूट गया है जिससे सारा बलिया तबाह हो गया है इसलिये आप हमको भी मौका दें। अभी तक हमको मौका नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनको बोलने दें तो आपको भी मौका मिल जायगा।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं यह कह रहा था कि इस बाढ़ पर काफी चर्चा हुई है। मुझे अपने जिले में एक खास चीज देखने को आई है जिसकी तरफ मैंने माल मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट किया था जबानी बात करके। वह यह है कि गाजीपुर और आजमगढ़ जिले से लगे हुए बहादुरगंज मुबारकपुर में टोंस की बाढ़ से हजारों बुनकर परिवार प्रभावित हुए है लेकिन ऐसा लगता है कि जो सहायता दी गई है उसको यह समझा जाता है कि शायद वह उन लोगों के बीच में बांटी जाय जो बुनकर नहीं है। इसलिए बावजूद तवज्जह दिलाने के अभी तक किसी बुनकर को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बड़ी बेइन्साफी है कि मऊनाथ भंजन, मुबारकपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, वलीपुर मीरा और बहादुरगंज यह पूरी लाइन है कि जहां पर हजारों की तादाद में बुनकरों के मकान गिरे हैं, उनके करघों की बरबादी हुई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनको सहायता दी जाय मकान बनाने के लिये और मकान गिरने से जो उनके करघे टूट गये हैं उसके लिये भी उनको सहायता दी जाय। उनके करघे इस काबिल नहीं रह गये हैं कि जिनसे वह अब कपड़ा तैयार कर सकें। मैं चाहता हूं कि उनको सहायता मिलनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी इस पर भी जब जवाब दें तो रोशनी डालने की कृपा करें और इस तरफ अपनी तवज्जह करने की मेहरबानी करें।

*श्री जगरनाथ—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों के संबंध में चर्चा करने का और अपने सुझाव देने का मौका दिया। मान्यवर, यह बात सही है कि आज इस भीषण वर्षा से पूरा प्रदेश नदियों की बाढ़ और अतिवृष्टि से तबाह हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार भी यथाशक्ति सहायता करने में जुटी हुई है लेकिन प्रदेश जितना आज प्रभावित है उतनी मात्रा में सहायता प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही है। खासतौर से बलिया के बारे में बतलाऊं कि बलिया जिला के उत्तरी छोर में घाघरा बहती है और दक्षिणी छोर में गंगा बहती है। पूरा बलिया जिला गंगा और घाघरा के बीच में बसा है। प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। बीच में छोटी-छोटी 5, 7 नदियां और हैं। इन सारी नदियों में भीषण बाढ़ आयी है। पूरा बलिया जिला गंगा और घाघरा तथा छोटी-छोटी नदियों की चपेट में डूब गया है। उत्तरी छोर में श्रीनगर तुरतीपार से और दक्खिनी छोर में बलिया-बेरिया बान्ध से बलिया जिले की एक इंच जमीन भी पानी से खाली नहीं है जहां पर कोई पहुंच सके हमारे मंत्री लोग वहां गये हैं, वहां का दौरा किये हैं और वहां देखे हैं कि बांध के दोनों ओर लोग छप्पर डालकर सड़क पर पड़े हुए हैं और समय काट रहे हैं। हमारा पूरा जिला आज बाढ़ से तबाह हो चुका है और जिस कदर वहां पर तबाही हुई है उसके अनुसार पर्याप्त सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगरनाथ]

वहां नहीं पहुंचाई गई है। हमारी आज की सूचना है कि घाघरा ने श्रीनगर तुर्तीपार बांध को तोड़ दिया है और बलिया जिले की जनता की अपार क्षति हुई है। सारा इलाका पानी से भरा है, सारी सड़कें पानी के नीचे हैं और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां अतिवृष्टि के कारण सौ पचास घर नष्ट न हुए हो। सारे जूनियर और प्राइमरी स्कूलों के भवन गिर गये हैं। सरकारी अधिकारी जानते हैं और हमारा अनुरोध है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वहां सरकारी वसूली बन्द की जायेगी, वह हर गरीब को 2–4 किलो अन्न पहुंचायेंगे इतने से काम नहीं चलेगा। हमारा अनुरोध है कि वह विशेष रूप से बलिया जनपद की स्थिति अध्ययन कराएं और उचित मात्रा में आवश्यकतानुसार वहां की जनता की सहायता करें ताकि वहां की जनता अपने दुख के दिन काट सके वर्ना वहां भुखमरी की हालत हो जायेगी। सरकार भी उसको न संभाल सकी तो उससे सरकार की बहुत बदनामी होगी।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे बाराबंकी जिले में जो बाढ़ का प्रकोप हुआ है, वहां की जो हालत है, जो वहां के खौफनाक दृश्य हैं उनकी तरफ दृष्टि नहीं की जा सकती और देखा नहीं जाता। मैंने बाराबंकी जिले की हर तहसील का दौरा किया और तमाम ब्लाकों का और दरियाबाद विधान सभा क्षेत्र का भी मैंने दौरा किया। मैंने वहां की परिस्थिति को देखा, वहां के पूरे गांव वीरान हो गये हैं, 90 प्रतिशत घर उनके गिर चुके हैं, चार-चार, पांच-पांच दिन से बच्चों को खाना नहीं मिला है, उनका ईंधन खत्म हो गया है और गांवों में 3-4 फुट पानी बह रहा है। घाघरा के किनारे के जो गांव है वह कट रहे हैं पानी से और जो फ्लड पोस्ट हैं भी वहां किसी सरकारी अधिकारी ने जाकर नहीं देखा कि वहां पर सहायता किन लोगों को कैसे दी जा रही है।

इधर घाघरा के पानी से गांव कट रहे हैं उधर महीनों हो गये घाघरा का पानी गांवों में घुसा है और अधिक वर्षा के कारण पूरे गांव के गांव वीरान हो गये हैं। गांवों में तरह-तरह की बीमारी फैल रही है और जानवरों में भी खुरहा और फुकनी की बीमारी फैल रही है और तरह-तरह की छूत की बीमारी उन गांवों में व्याप्त हैं। चारे के अभाव में जानवर भूख से मर रहे हैं। सरकार की तरफ से आज तक कोई सहायता कार्य वहां के फ्लड पोस्ट के द्वारा नहीं किया गया है। कभी हमारी मंत्री जी श्रीमती बेगम हबीबुल्ला जी भी वहां नहीं गयीं और नहीं पूछा कि क्या सहायता किसको दी गई। जब आपका सरकार का हुक्मनामा पहुंचा तो दस बारह मील की दूरी में 4–5 किलो अनाज वहां के किसानों को दिया गया। वह भी केवल 10–15 आदमियों को ही मिल सका। यह हालत हमारे बाराबंकी जिले की है लेकिन अधिकारी लोग चुपचाप कान में तेल डाले बैठे हैं।

लखनऊ का इन्तजाम तो किया जाता है लेकिन हमारे यहां नाव तक का कोई प्रबन्ध नहीं है और वहां के लोगों से नाव का पैसा वसूल किया जाता है, कोई नाव की भी सुविधा नहीं पहुंचाई गई है दवा की बात तो जाने दीजिए। जो गांव उजड़ गये हैं वहां के लोगों की तो जमीन, जायदाद सब चली गई उनके लिये यह सरकार पीने के पानी तक का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है, मीलों दूर से यह गरीब पानी लेकर जाते हैं। मैंने यह दशा अपनी आंख से देखी है और इसकी शिकायत बेगम साहब से की कि वहां के लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। जो सरकार पानी की तकलीफ को भी दूर नहीं कर सकती। जो सरकार गांव के लोगों को पानी नहीं दे सकती उससे क्या उम्मीद की जाय ऐसी आपत्तिकाल में क्या सहायता करेंगे। मैंने दराजपुर गांव के लिये 51 दफा में नोटिस दी थी कि छत के गिरने से लोग मर गये। अगर वहां साधन होते तो वहां के लोगों को बचाया जा सकता था। मगर साधन न होने की वजह से वहां के आदमी मारे गये, यह किस का दोष है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ की समस्या पर बोलने का समय दिया। इस बार की बाढ़ तो समस्त प्रदेश में प्रलयंकारी बाढ़ के रूप में रही है। इसका मुकाबिला जिस तरह से हमारी सरकार ने किया वह बहादुरी की बात रही है। न इतनी बड़ी वृष्टि और बाढ़ हुई थी और न ही इतनी सहायता ही पहले प्राप्त हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीतापुर जिले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा सीतापुर, जिला बाढ़ग्रस्त जिला है। यद्यपि उसे बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि इस जिले को भी बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करने की कृपा करें। मैंने बाढ़ के संबंध में शासन की रिपोर्ट देखी है। सीतापुर में जहां गोमती और सरायन नदियां दिखाई गई हैं वहां शारदा, घाघरा और बहावर को छोटी नदियां दिखलायी गई हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि यहां की सिधौली और बिसवां तहसीलें इन नदियों से प्रभावित होती ही हैं। छः सौ से अधिक गांव इन नदियों के भराव से प्रभावित हो गये हैं। हालत यह रही है कि सभी प्रकार की सहायता केवल शहरों तक ही सीमित रही है। अधिकारी उन क्षेत्रों तक नहीं जा सके हैं और वे क्षेत्र सहायता से वंचित रहे हैं। घाघरा और शारदा नदियों वाले क्षेत्र में वहां बेशुमार नालों से भी वह क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहा है। दो तारीख से ग्यारह तारीख तक मुतवातिर वह क्षेत्र जलमग्न रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना दुष्वार रहा है। वहां के साठ प्रतिशत लोगों के भूखों मरने के समाचार मिले हैं। पूरी जानकारी तो उस समय हो सकेगी जब कि बाढ़ का पानी समाप्त हो जायेगा। क्योंकि जिले के अधिकारी साधन न होने के कारण उस क्षेत्र में नहीं जा सके थे। वहां यातायात के कोई साधन नहीं है। वहां टेलीफोन एवं तार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं स्वयं दो तारीख से 11 तारीख तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसा रहा। 11 तारीख को निकल कर आया हूं। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय श्री मैनेजर सिंह के बुलाये जाने पर श्री चन्द्रपाल सिंह आजाद द्वारा भाषण प्रारंभ करने का उपक्रम करना तथा तदुपरान्त अनेक सदस्यों का एक साथ ही खड़े होकर बोलने का उपक्रम होना।)

(व्यवधान)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारने तथा उसी क्षण अनेक सदस्यों द्वारा भाषण के लिये समय की मांग करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट के अन्दर एक या दो ही व्यक्ति बोल सकते हैं सभी सदस्य नहीं बोल सकेंगे।

(श्री भाभी यादव द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मेरी बात तो सुन लीजिये। मैंने श्री मैनेजर सिंह को बुलाया है। वे बोल लें, सभी सदस्य तो नहीं बोल सकेंगे।

*श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ के संबंध में जो विवरण माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत किया है वह बिल्कुल ही तथ्यहीन है। जहां तक बलिया का सवाल है आज बलिया जिले का तीन चौथाई भाग बाढ़ से प्रभावित है। मेरा क्षेत्र तो सौ फीसदी बाढ़ से प्रभावित है। अगर मैं गलत हूं तो माननीय राजस्व मंत्री उसे अपने भाषण में स्पष्ट कर देंगे। पूरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

एक छपरा ब्लाक 55 दिन से बाढ़ में डूबा हुआ है। मंत्री जी ने कहा कि 5 किलो प्रति परिवार के हिसाब से गल्ला दिया जा रहा है लेकिन बलिया जिले में जो गल्ला दिया जा रहा है वह इसके अनुपात में बहुत कम है। वहां के जल स्तर तक का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वहां चलिये या किसी अधिकारी से जांच करा लीजिये। आपके आदमी जो सहायता कर रहे हैं वह बुरा रहे हैं। हमारे कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर आपके दिये हुए रुपये पर डाका डाल रहे हैं। आप इसकी जांच कराएं। यह आंकड़े जो यहां दिये गये हैं वह फर्जी हैं। सारे रुपये का आधा हिस्सा भी बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंचता है। इतनी भयंकर बाढ़ है कि वहां के जिले मुख्य मंत्री ने सेना की सहायता ली है। आप किसी मंत्री को भी भेजें जो स्वयं देखकर विचार करे।

*श्री भाभी यादव—

आज मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसके बारे में मुझे दुख है। मैंने सिर्फ दो मिनट मांगे थे कि अपनी मांग बतला दूं कि जिले में क्या हालत है।

श्री अधिष्ठाता—

आप मुख्य मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यदि आपकी आज्ञा हो तो यह माननीय सदस्य बहुत बार खड़े हुए हैं, उनको इतना समय दे दें कि अपनी बात बतला दें।

श्री अधिष्ठाता—

काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आधा घंटा मुख्य मंत्री जी के लिये है। तो माननीय भाभी यादव अपनी बात बतला दें लेकिन इसके बाद कोई बोलना चाहेगा तो कठिनाई होगी।

श्री भाभी यादव—

बाढ़ से भयंकर स्थिति मेरे जिले में हो गई है। घाघरा और टोंस नदी आजमगढ़ में हैं उनके कारण वहां भयंकर स्थिति हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र का दौरा किया है। जो गांव पानी में डूबे हुए हैं उनके नाम हैं नीबी, बम्ठौर, हाजीपुर, ढकवा, पिपरापुर, सिकन्दरपुर, गुजरपार, सोनावर, मुबारकपुर, डिलिया, सरैया, रसूलपुर, टीजा पाटी, जमीन पाटी, लाड़पुर, मुइनाबाद, ओभौली, इब्राहीमपुर, पिचरी, गोछा, निजामपुर, मुहम्मदाबाद, मीरा आदि। सरकार की ओर से इनके खाने की व्यवस्था नहीं की गई है और न मकान की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय दिया। आजमगढ़ जिले को बाढ़ पीड़ित जिला घोषित करके सहायता की जाय और हर पंचायत क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाएं और उन पर सरकारी पैसे की वसूली माफ की जाय। गरीबों को काम देने के लिये टेस्ट वर्क खोले जाएं और उनके भोजन का प्रबन्ध किया जाय। किसानों के लिए बीज का प्रबन्ध किया जाय और वसूली से मुक्ति दी जाय और विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय। जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाय। बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों का प्रबन्ध किया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस जिले पर विशेष दया दृष्टि रक्खें क्योंकि इसकी 22, 23 साल से उपेक्षा की गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मुख्य मंत्री जी अब उत्तर देंगे।

(इस अवसर पर कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं केवल 10, 15 मिनट में ही उत्तर दे दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके बाद आप लोग बजट को पास हो जाने दीजिये। यदि फिर भी सदस्यगण चाहते हैं तो मैं रात्रि में 12 बजे तक बैठने के लिये तैयार हूं और आप लोग जो कहना चाहते हैं कहें। मुझे खेद है कि बहुत सा समय वाद विवाद में नष्ट हो गया। इस बीच आप लोगों के विचारों से सरकार जो भी प्रकाश मिलता और आगे के लिये काम करने में हमको सहायता मिलती परन्तु माननीय सदन का बहुत सा समय खो गया। दो दिनों से बाढ़ पर बहस हो रही है।

मान्यवर, मैं सरकार की वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। यह जो प्रश्न है वह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। प्रदेश पर एक अभूतपूर्व संकट आया है जिससे करोड़ों आदमी प्रभावित हुए हैं, लाखों गांव तबाह हो गये हैं। यह कहा जाता है कि इस प्रदेश के 51 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं परन्तु मैं तो यह मानता हूं कि हमारे प्रदेश के पूरे 54 जिले ही इससे प्रभावित हुए हैं। कोई थोड़ा प्रभावित हुआ है और कोई बहुत अधिक। पहाड़ों के जिले भी बाढ़ से प्रभावित हुए। दो तीन माह पूर्व वहां पर बाढ़ आयी। भीषण वर्षा से गांव धंस गये, जन धन की बहुत अधिक हानि हुई। अलकनन्दा नदी में भीषण बाढ़ आई और उससे अभूतपूर्व हानि हुई। बाढ़ प्रदेश के हर कोने में आयी।

मान्यवर, यह जो बहस हुई उसमें हम लोग दूसरी तरफ बह गये। हमारे बहुत से साथी यह भी चाहते थे कि असेम्बली की बैठक न हो क्योंकि वे लोग अपने-अपने क्षेत्रों में फंसे थे। मैंने ही आग्रह किया कि यह होनी चाहिये। यदि हम दो तीन दिन के लिये बैठ जायेंगे तो हमको भी सदस्यों के बहुत से मूल्यवान सुझाव मिल जायेंगे और जो अभूतपूर्व संकट हमारे प्रदेश पर आया है उससे बिना सभी के सहयोग के पार नहीं पाया जा सकता है। सभी का सहयोग प्राप्त होगा तब काम चलेगा। तो हमने आग्रह किया कि बैठक हो जाय। लेकिन यहां जो बहस चल पड़ी, माननीय कृष्णानन्द जी क्षमा करेंगे, कुछ इस दिशा में नहीं कही गयी कि इस संकट से हम कैसे निकल सकते हैं, बल्कि सरकार पर दोषारोपण की बात हुई। यहां तक कह दिया गया कि सारी बाढ़ मैन मेड है, सरकार इसके लिये जिम्मेदार है, कुदरत या भगवान निर्दोष है। किसी ने कह दिया कि हमारे पापों का फल है। हमारे बसन्तलाल जी ने कहा तो खाली मेरे ही पाप का फल नहीं होगा, उनके भी पाप का फल होगा। (व्यवधान) गांधी जी के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया बड़ी ऊंचाई से। (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा था कि कुछ सुझाव आने चाहिये थे। अभूतपूर्व बाढ़ आयी। यह केवल बाढ़ नहीं है, यह अतिवृष्टि से आयी है और किसी ने यह कल्पना नहीं की थी इतनी बड़ी बाढ़ आयेगी। अब तक की बाढ़ की जो हमारी कल्पना रही है उन सबसे यह बाढ़ बढ़ गयी। अभी मंटेरियालाजीकल डिपार्टमेन्ट के अफसर से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि जितनी अतिवृष्टि उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई है इतनी अधिक वृष्टि और इतने लम्बे समय तक 80 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में हुई है।

मान्यवर, यह बाढ़ शुरू हुई, मार्च-अप्रैल से, अत्यधिक जल की वर्षा आरंभ हुई। फसल को नुकसान हुआ, लाखों गांव तबाह हुए। न जाने कितने टन गेहूं सड़ गया। इसी सदन में उस पर बहस हुई। पानी बरसता चला गया। पिछले अगस्त में जब बहस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हुई थी तो मैंने कहा था कि अभी तो अगस्त की बात कर रहे हैं, सितम्बर की बाढ़ पड़ी है, उसका हमको बहुत बड़ा खतरा है। तो पानी बरसता गया। ऐसे जिलों में जहां 35, 36, 40, 42 इंच नार्मल रेन्स रहे हैं वहां कहीं 60, कहीं 72 और कहीं 80 इंच पानी बरसा। रिहन्द डैम जिसके लिये हम रोते रहे कि भरता ही नहीं है और यहां तक कहा गया कि जिन लोगों ने डिजाइन किया और बनाया शायद अच्छी तरह से उन्होंने नापतौल नहीं की थी, वह रिहन्द डैम 880 फीट तक भर गया और 10 फीट पानी स्पिल ओवर हुआ और यह पन्द्रहियों चलता रहा। अभी हमारे शिवकुमार जी कह रहे थे कि नानक सागर का पानी छोड़ा है। मैं तो डरता रहा कि कच्चा बांध हमारा कोई टूट न जाय जैसे गत वर्ष नानक सागर या इस वर्ष छितौनी बांध या अभी पता चला कि टुर्तीपर का टूटा है। तो अगर यह बांध जिनमें लाखों क्यूसेक्स पानी भरा है और उसके बाद 10–10 और 12–12 फीट स्केप चला 15–15 और 10–10 दिन तक, कहीं उनमें कोई दरार हो जाती तब तो जल प्रलय ही हो जाती। अत्यधिक वर्षा के कारण स्पिल ओवर करना पड़ा और अगर न करते तो बांधों के पेट फट जाते तो इस अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आयी। जो बाढ़ में दुर्दशा हुई उसमें किसका विरोध है? माननीय सदस्यों ने हमारे जिले में यह, इसका वर्णन किया उसमें किसी को विरोध नहीं है और न ही हमारा यह दावा है कि जितने आंकड़े हैं वे सब सही हैं। सब आंकड़े सही हो भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी बरसात और बाढ़ हुयी है जिसमें मनुष्य के लिए सही आंकड़े प्रदान कर देना असम्भव है। न जाने कितने गांव हैं अनेकों जिलों में जहां आदमी नहीं पहुंच सके हैं। यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि वहां पर किस प्रकार से आदमियों को पहुंचाया जाये।

(इस समय 4 बज कर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के जिसके प्राण गये हैं उसके आंकड़े एकत्रित करना, उन व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करना जो कि बह गये हैं, प्रत्येक खेत में जो हानि हुयी है उसके आंकड़े प्राप्त करना और प्रत्येक मकान जो गिर गया है उसके आंकड़े प्राप्त करना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं हो सकता है। उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि इन सबके ठीक-ठीक आंकड़े हमारे सामने उपस्थित कर सके। न जाने कितने रुपये का नुकसान हुआ है और कितनी बर्बादी हुयी है। मार्ग नहीं निकल रहे हैं।

अभी भाई कृष्णानन्द राय जी ने लखीमपुर खीरी में अन्न गिराये जाने का जिक्र किया। मैं कहता हूं कि 3 दिन तक मैं उसको रोकता रहा। बराबर वहां से सुबह से शाम तक टेलीफोन आते रहे कि बहुत से गांवों में अन्न नहीं पहुंच रहा है। 6–7 दिन हो गये हैं और वहां जाने का रास्ता नहीं है। नावें भी नहीं जा सकती हैं, इसलिए मिलिटरी बोट्स भेजो। वे भी नहीं जा सकीं। यह कहा गया कि पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि हम क्रास नहीं कर पाते हैं और वहां पर गल्ला भेजिये। कलेक्टर ने 2–3 बार टेलीफोन किया और एक दिन उन्होंने रात के 2 बजे भी टेलीफोन किया कि एयर ड्रापिंग करा दीजिये। उन्होंने कहा कि एयर ड्रापिंग में खतरा है और मरने की बात भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि पानी में गल्ला चला जाये। तो इतना नुकसान हो जायेगा और काम भी नहीं चलेगा। इसलिए नाव का ही रास्ता निकालो। एयर ड्रापिंग हुई और 3–4 जगहों पर हुयी। 2,000 क्विंटल गल्ला गिराया गया। बावजूद पुलिस के कार्डन करने के तमाम लोग दौड़ पड़े और 5 आदमी दब गये। जिस वक्त एयर ड्रापिंग हुयी उस समय श्री जगन्नाथ प्रसाद, उप मंत्री राजस्व वहां पर उपस्थित थे।

श्री कृष्णानन्द राय—

नहीं, जाने नहीं गयी थीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपका आशीर्वाद था कि बच गये, नहीं तो बचना मुश्किल था। इस स्थिति में आप इस बात को अंगीकार करेंगे कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस बात का दावा करना मेरा दम्भ होगा कि हमने प्रत्येक गांव में और प्रत्येक व्यक्ति के पास सहायता पहुंचा दी है। यह दावा झूठा होगा। मैं जानता हूं कि न जाने कितने गांव और कितने इन्सान हैं जिन तक सहायता नहीं पहुंच पायी है, परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सहायता पहुंचाने में मनुष्य के लिए जो कुछ भी सम्भव है वह करने से मैं चूक नहीं रहा हूं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपकी इतनी बड़ी सरकार है, इसमें बहुत से लोग बहुत भले होंगे, बहुत से लोगों ने गलती की होगी, बहुत से लोगों ने लापरवाही की होगी और बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आप कर्मचारी कहते हैं जो कि इस तबाही व बर्बादी से लाभ उठाने की कोशिश करते हों, परन्तु कोई भी सरकार मुर्दे के ऊपर शासन करना पसन्द नहीं करेगी और किसी भी शासन को ध्वस्त नगर के ऊपर शासन करने में सुख नहीं मिलेगा। हमारी चेष्टा यह है कि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें और अधिक से अधिक लोगों के संकट को दूर करने में सफलता प्राप्त करें। हमें इस बात की प्रसन्नता होगी कि जो बात नहीं हुयी है उसको आप हमें बतायें। जितना हुआ है उसके लिए कम से कम 2 शब्द भी कह दें ताकि काम करने वालों का दिल भी न टूटे। सरकार में कलेक्टर हैं और नीचे के कर्मचारी हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि सब जगह वे गंगा के जल से धोये हुए हैं। कहीं-कहीं पर गलती भी हुयी होगी, बहुत सी भूलें भी हुयी होंगी और बहुत सी बातों का हमें ज्ञान भी न रहा होगा। बहुत सी बातें हमने नहीं की होंगी जिनका हमें तजुर्बा नहीं था। सरकारी कर्मचारी हमारा साथ दे रहे हैं और इसके लिए उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

(मेजें थपथपायी गयीं)

तो ये बातें तो हो गयीं। अब प्रश्न यह है कि आगे हम क्या करें। आजमगढ़ का जिला तबाह हो गया है। आजमगढ़ क्या गाजीपुर वाले भी तबाह हो गये हैं। पिछले 5–7 दिन में, मान्यवर, वहां पर बड़ी बाढ़ आयी। 6 सितम्बर तक वहां पर सहायता पहुंचायी गयी और पिछले 7–8 दिन में वहां पर फिर सहायता पहुंचायी गयी। बहुत सी जगहों पर जहां पर जरूरत थी सहायता भेजी गयी। और तमाम जिले बुरी तरह से बरबाद हो गये हैं। यह जो आंकड़े आपके सामने दिये गये हैं इसमें बहुत सी तब्दीली करनी पड़ेगी। कन्टिन्जेन्सी फंड से 5–6 करोड़ रुपया निकालना पड़ेगा।

आज प्रदेश में जितने मकान गिरे हैं क्या आप समझते हैं कि सरकार के बूते की यह बात है कि वह सभी मकानों को बनवा दे? भाई अमरनाथ जी कह गये कि 250 रुपये मकान बनाने के लिये दिया, उसमें तो एक बाथरूम भी नहीं बनेगा। बाथ रूम में तो ढाई हजार भी लग सकते हैं। आप जरा सोचें, जहां 10 लाख मकान गिरे हों, उन सबको क्या कोई सरकार बनवा सकती है? अगर सारा सेक्रेटेरियट नीलाम कर दिया जाय तब भी सारे मकानों को नहीं बनवाया जा सकेगा। माननीय रामधारी शास्त्री जी ने कहा कि सारे कर्मचारी सब खा गये अरे भाई, खाने वाला कोई होगा, आप उसे बतलाइये, उसका इन्तजाम किया जायेगा। लेकिन सारा ही सब खा गये, इस तरह की बात कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता।

हमारे एक भाई कहने लगे कि यह कल्पित बजट है। आपने देखा, यह अकल्पित बाढ़ आयी, कौन कल्पना कर सकता था कि ऐसी बाढ़ आयेगी। जितना भी हम कर सकते हैं हम करेंगे और इसके लिये अगर हमको पुनरीक्षित बजट भी लाना पड़ा तो हम लायेंगे। बहुत सी चीजों को जिन्हें हम रोक सकते हैं रोकेंगे। जरूरी कार्यों के लिये हम पैसा जहां से भी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

निकाल सकते हैं, निकालेंगे। हमने उसके लिये दिल्ली से मांग की है, उसके लिये लड़ाई लड़ी है कि हमको पैसा मिलना चाहिये। 17-18 करोड़ मिल भी चुका है। दो ढाई करोड़ मिलने भी वाला है। और रुपये के लिये हम मांग भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की फीस अगली अप्रैल तक के लिये हमने माफ भी कर दी है। इसके आदेश जा चुके हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ सरकार पर आने वाला है। आखिर यह सारा बोझ आपको ही उठाना है। उठाने में हम चूकेंगे नहीं, अपनी प्लान को भी चलायेंगे। हमने आदेश दिये हैं कि टेस्ट वर्क चलाने की जगह अच्छा यह है कि प्लान की जितनी चीजें जो हमने मंजूर की हैं, जैसे सड़कें बनाना है, डाम बनाने हैं, नहरें बनानी हैं, ड्रेनेज बनाने हैं, जो भी काम करने हैं, उन्हें करने के लिये यदि हम जुट जायं तो इससे लाखों आदमियों को काम मिल सकता है और इससे उनको अच्छा पैसा भी मिल सकेगा।

टेस्ट वर्क में 12 आना या 14 आना देकर हम कोई लाभ नहीं कर सकेंगे। तो हमारे दिमाग में यह चीज भी आयी है जो हम करने जा रहे हैं। यह जो सुझाव दिया गया कि एक कमेटी बना दी जाय। यह भी हमारे दिमाग में है। हम चाहते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं की एक समिति बना देंगे। हम चाहते हैं कि वे कम से कम हमें यह सुझाव तो दें कि इस तरह से काम करो। हम उसे बनाने के लिये सोच रहे हैं और हम आपकी सलाह मानेंगे। अब यह तो एक प्रकृति का प्रकोप हो गया, युद्ध स्तर पर हमें आपको सब को मिल कर इससे निपटना है और एक होकर काम करना है।

हम तो चाहते हैं कि सारा बजट आप देख लीजिये, और उसे देख कर आप स्वयं कोई रास्ता निकाल कर बताइये, हमको सलाह दीजिये कि इस तरह हमको चलना चाहिये, हम चलेंगे। हमने भारत सरकार से भी रुपया मांगा है। हमें मिला भी है। 2-3 बार टीम भी यहां आयी है और उसने रिपोर्ट दी है। तीसरी टीम अभी आने वाली भी है। माननीय वित्त मंत्री जी भी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, 2-3 बार मैं स्वयं भी गया हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी मैंने इस चीज को रखा है। और आपको मालूम होगा कि उसके बाद ही माननीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य, उसके दूसरे ही दिन आया कि यू० पी० में बहुत भारी विपत्ति आयी है, भारत सरकार उनकी सहायता करेगी। मगर जितनी क्षति हुई है उस सब को पूरा कर देना भारत सरकार के भी बूते की बात नहीं है।

जो उनकी स्थिति है, उसमें क्या हम कभी सोच सकते हैं कि जिस पर इतनी जिम्मेदारी है क्या यह उसके बूते की बात है कि वह 56-75 करोड़ रुपये की सहायता हमें दें। जिनके सिर पर बंगला देश पड़ा हुआ है, जिनके सिर पर डिफेंस के प्रोग्राम की भारी जिम्मेदारी है जो होना ही चाहिए, जो यह निश्चय किये बैठे हैं कि प्लान चलावेंगे, उसमें कटौती किसी तरह की नहीं करेंगे, उनके बूते की यह बात कैसे हो सकती है? हमको एक वास्तविक टीका करनी चाहिए और अवास्तविक टीका अथवा अवास्तविक बात करने से कोई लाभ नहीं है। सदन को हमें कान्फिडेंस में लेना है, आपकी राय, मशविरा और कंसल्टेशन से हमें काम करना है। जो सरकार यहां आएगी उसको इसका बोझ उठाना ही पड़ेगा। इसमें किसी दल या किसी व्यक्ति की बात नहीं है। इसलिए हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उनसे हमें सहायता मिलेगी, रुपया मिलेगा, लेकिन किस सीमा तक वह हमको देते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है। 75 करोड़ की तो हमने मांग की है, जहां से हम पैसा निकाल सकेंगे, निकाल कर लाएंगे और खर्च करेंगे।

पशुओं के लिए हम दिल्ली और हरियाणा से भूसा मंगा रहे हैं। लोगों के पास पहुंच रहा है। लेकिन हमारे पास ओर से सेक्रेटेरियट में भूसा नहीं रखा है कि हम रखे हैं और नहीं भेजवा रहे हैं। अब हम पोड़ियों में बंटवा रहे हैं, जिलों में पूरा इन्तजाम किया गया है।

आधा किलो अनाज पर यूनिट देने का प्रबन्ध किया गया है। इस सबकी एक सीमा है, बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है। अकेले लखनऊ में 50 हजार यूनिट्स आदमी रिफ्यूजी कैम्प में हैं। हमने तकावी की वसूली रोक दी है, लगान की वसूली रुकी हुई है, इरीगेशन में रिबेट दिया गया है, लड़कों की फीस माफ की गई है। गल्ला जहां चाहे वहां जाए यह सुविधा दे दी है। यह सब कुछ अपना प्रयास सरकार ने किया है। 8 सितम्बर को जो समस्त सरकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में तार द्वारा आदेश दिया गया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो सन् 54 में कमेटी बनी थी, जिसमें आप और चौधरी चरण सिंह सदस्य थे, उसकी सिफारिशों में से क्या किसी पर भी कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देर नहीं हो इसलिए यहां से तार दिया गया—

Government desire all possible relief and rescue operations must be carried out in Flood affected areas without waiting for formal allotment of funds for Relief Work. Some members of Government will be touring Flood districts and instructions from them regarding relief operations may be carried out treating the as Government orders and intimation may be sent to Government orders and intimation may be sent to Government measures. taken.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अरे आपने यह अंग्रेजी में तार भेजा है। यह आपकी कैसी नीति है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं उसका ट्रांसलेशन किये देता हूं। भारत सरकार को भी इसकी नकल भेजी है।

Funds for Relief Totalling Rs. 6 Crores already placed at the disposal of District Magistrate by Revenue Department and districtwise allocation under various leads also communicated.

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी हिन्दी में पढ़कर दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

Seriously affected district must send situation report every twelve hours to Chief Secretary. Home Secretary. Revenue Secretary apart from other normal addresses.

इसका आशय यह है कि सरकार यह चाहती है कि जो भी सम्भव सहायता हो करें, सरकारी आदेशों के लिए उसे रोकिये मत। पैसा दे दिया गया है। पैसे की यदि कमी हुई हो तो भी उसके लिए सहायता कार्य न रोकिये, अपना काम कीजिए और सूचना दीजिए। मिनिस्टर्स यहां से जाते रहेंगे जो आपके यहां बैठेंगे। गवर्नमेंट की सेंक्शन लेने के लिए रेड टेपिज्म न चलाएं, जो भी आदेश मिलता है मिनिस्टर्स से उसे गवर्नमेंट का आदेश समझकर उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। ऐसा मैंने डी० ओ० लिखा है। इस प्रकार से हमें काम करना है जिससे हम अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें। मान्यवर, समय हो रहा है, 5 बजे के बाद हमें बोलना नहीं चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट कमेटी भी हम बठाएंगे, लेकिन फ्लड रिलीफ को मास्टर प्लान बना दें यह वाजिब बात

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नहीं है। श्री के० एल० राव साहब, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री भी आए थे उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं--जो सी० डब्लू० पी० सी० है, उसकी शाखा हर प्रदेश में हों, उनका प्लान बने, डिजाइन बने, कांस्ट्रक्शन हो और उसके प्रोटेक्शन के लिए यह सारी चीजें बनाएं। उसके लिए अलग से फण्ड का एलाटमेंट हो जो कि बराबर एक लांग टर्म होता जाए। रिलीफ का काम जारी है और जहां तक आपका सहयोग होगा करते भी रहेंगे।

यह आदेश भी दिए गये हैं कि एक प्रकार से यह एक सुअवसर आया है सारी चीजों का सर्वे करने के लिए। ड्रेनेज, कलवर्ट, नहरें आदि इन सबका एक सर्वे हो जाना चाहिए कि कहां कहां से पानी रुकता है और इससे बढ़ कर कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। जब पानी निकल जाएगा तो आपका सर्वे झूठा हो जाएगा। पी० डब्लू० डी०, इरीगेशन, एल० एस० जी० ई० डी० आदि सभी सम्बन्धित विभागों को आदेश दे दिया गया है कि वे इस तरह का सर्वे करके रिपोर्ट सरकार के सामने रखें ताकि हम उस पर कोई कारगर निर्णय ले सकें और पैसा जुटा सकें। ताकि हम पैसा लगा सकें, ड्रेनेज को ठीक करने में, बांधों को ठीक करने में, कलवर्टस को ठीक करने में, जो सड़कें और पुल टूटे हैं, उनको ठीक करने में। इसलिए हमने रुपया मांगा है। आशा है कि आप सबकी कृपा होगी हमसे जितना बन पड़ेगा आपके आदेश के पालन में करेंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। बिना आपके सहयोग के अकेले इस भार को उठाना किसी भी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं जानकारी चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी 15–20 बार दिल्ली गये और वित्त मंत्री जी भी दिल्ली गये। दो टीम्स केन्द्र से आ चुकीं और तीसरी टीम आने वाली है। श्रीमन्, यह सारा बाढ़ रिलीफ का काम है। इन्होंने 75 करोड़ का अनुदान मांगा है बाढ़ के काम के लिए। क्यों छिपाया जा रहा है? 75 हजार रुपया कहां से लाएंगे? इन्होंने लिख दिया होता कि केन्द्रीय सरकार से आशा है। भारत सरकार ने एक भी आश्वासन नहीं दिया है। 17 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं केन्द्रीय सरकार ने दिया है। उसमें 15 करोड़ रुपया कर्जा है, केवल डेढ़ करोड़ ग्रांट मिली है। इतना तो खर्चा हवाई जहाज से दिल्ली जाने में लग चुका है। 75 करोड़ कहां से पाएंगे। मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्या स्पष्ट आश्वासन मिल गया है केन्द्रीय सरकार से कि आप पाएंगे और क्या पाएंगे और कैसे पाएंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका, शायद कृष्णानन्द जी ने ध्यान नहीं दिया। जो हमें मिलेगा वह मिलेगा, हम अपने बजट का पुनरीक्षण कर सकते हैं। फिर आपके सामने आ सकते हैं। अपने पैसे को बचा सकते हैं। बहुत से काम अगर जरूरी हों तो अगले साल के लिए टाल सकते हैं। हम बाजार से कर्ज लेंगे। हमने एल० आई० सी० से कर्ज मांगा है। भारत सरकार ने 75 करोड़ का वादा नहीं किया है। उनका आश्वासन है कि अधिक से अधिक सहायता करेंगे। खाली उनकी सहायता या भिखमंगी पर हम आश्रित नहीं हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करेंगे आपके साथ।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

माननीय मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे, दोनों बार जो बाढ़ पर वक्तव्य दिया गया, 30 तारीख को और आज भी उसमें एक भी शब्द गर्मी के सम्बन्ध में नहीं है, क्या कारण है? जहां गरमी का प्रकोप है, जैसे मथुरा, एटा और अलीगढ़ जिलों में, वहां बाढ़ से भी ज्यादा भीषण हालत है, जो आठ महीने रहेगी। सैकड़ों गांव हैं, जहां कोई आदमी सूखे में नहीं जा

सकता। पानी पीने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की कमजोरी है जिसके कारण हरियाना का पानी जो प्राकृतिक रूप से राजस्थान में जाना चाहिए, वह राजस्थान में न जाकर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। यह सरकार कमजोर है। राजस्थान ने बांध बना दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका भी इलाज करेंगे।

1971–72 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–

अनुदान संख्या 26––नियोजन और समन्वय

श्री उपाध्यक्ष––

कार्य सूची 10।

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26––नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 1,68,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26––नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 1,68,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32––सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई उप मन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)––

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)––

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री उमादत्त शर्मा)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 8,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 8,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 23,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 23,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 14,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 14,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीरबहादुर सिंह—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 5,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 18,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 18,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1971–72 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–71 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ समय पश्चात्)

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैंने पहले भी यह बात उठाई थी कि बाढ़ का नाम लिया जाता है और सारे प्रदेश में कहा जायेगा कि 75 करोड़ रुपया इस सरकार ने बाढ़ में लगाने के लिये स्वीकार किया है। मान्यवर, आप देखें, इस शंका का भी समाधान सरकारी पक्ष की तरफ से नहीं किया गया। आखिर जो अनुदान संख्या 26 है नियोजन तथा समन्वय के अन्तर्गत उसमें 1,68,77,000 रु० रखा गया है केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, महंगाई और यात्रिक भत्ते के लिये। इसी प्रकार सिंचाई अधिष्ठान में अनुदान संख्या 32 जो है उसमें 25 करोड़ 50 लाख रुपया इन्हीं अधिकारियों, एवं कर्मचारियों के वेतन, महंगाई और यात्रिक भत्ते के लिये खर्च दिखाया गया है। इसी प्रकार अनुदान संख्या 46 में उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के माध्यम से पुस्तक संक्रमण (बुक ट्रांसफर) पर 6 करोड़ रुपया दिखाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर यह सब किस चीज का द्योतक है।

आप सिंचाई के दूसरे अनुदान में देखेंगे तो मिलेगा कि उसमें 25 लाख रुपया डाला गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर बाढ़ के नाम पर जो सारे अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति इस सदन द्वारा ली जा रही है वह क्यों? इसे बाढ़ के नाम पर नहीं करना चाहिये। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और मैं उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं और तारीफ करता हूं किन्तु सीधी बात यह है कि आखिर इस प्रकार की प्रक्रिया चालू होगी और बाढ़ के नाम पर ये सारे काम होते रहेंगे तो यह अच्छी परंपरा नहीं होगी। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और यह कह देना चाहता हूं कि जो भी बात हो वह साफ हो जानी चाहिये। मेरा यह निश्चित ख्याल है। केन्द्रीय सरकार से हम लोगों को जितनी सहायता अपेक्षित है वह नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो इसी प्रकार से दूसरी दैवी आपदाओं से घिरे हैं और निश्चयपूर्वक इस कार्यक्रम पर विचार करने पर इस प्रदेश में जैसे कि ननियोजन रुकें और आपातकालीन स्थिति में लोगों के मन के ऊपर कोई दूसरा असर न पड़ने पाए। मेरा एक निश्चित प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि जिन प्रश्नों की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी अथवा माननीय मुख्य मंत्री जी का मैंने ध्यान आकृष्ट किया है उन सभी का जवाब मिलना चाहिए और आखिर बाढ़ के नाम पर इस तरह के आइटम्स हमसे क्यों वोट कराये जा रहे हैं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, सरकार ने आज इस दुखद प्रसंग में जो मांग की है उसे इस सदन ने मंजूरी दे दी है। इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि इसका सदुपयोग किस तरह से किया जाय इस पर हमें विचार करना है। मान्यवर इस संदर्भ में एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विरोधी पक्ष ने कुछ हमारे ऊपर आरोप लगाये कि ये जो आज संकट हमारे सामने आये ये मैन मेड संकट हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता। विनियोग के ऊपर कहने की आवश्यकता नहीं किन्तु ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। यहां 1960 में जो घटना लखनऊ में घटित हुई थी उस समय जो स्कीम बनी, बनाते समय यह बताया गया कि इतने क्यूसेक वाटर बराबर डिस्चार्ज होता रहेगा अगर यह स्कीम पूरी हो जायगी। वह स्कीम शीत-गृह में पड़ गयी, पूरी नहीं हुई। केवल दो करोड़ रुपया खर्च करके रह गये। जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से गैप वहां रह गये और यह बड़ी दुर्घटना हो गयी। जब तक सारी बातों को डेवलप नहीं करेंगे लखनऊ की बात क्या करेंगे? कोई भी सरकार रही हो अगर वह ध्यान दिये होती और ये गैप जो रह गये हैं बाकी वह मूंद दिये गये होते और एक्सपर्ट लोगों की राय पर अमल किया गया होता तो इतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया खर्च न करना पड़ता। इसलिए कहा गया, आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिये कहा गया कि थोड़ा कि यह मन-मेड है, यह नहीं मतलब था कि यह कमलापति त्रिपाठी ने किया।

दूसरी बात यह है कि यह कृषि प्रधान देश है। इस प्रदेश से सरकार को 28 करोड़ रुपया कृषि स मिलता है। तब प्रायोरिटी किसान को देने की बात करते हैं, इरिगेशन और पावर की बात करते हैं। पर कभी सोचा कि ये इरिगेशन और पावर बेकार हैं अगर बाढ़ ने सब बहा दिया। 1950 से लकर 1970 तक 1320 करोड़ रुपये की हानि फसल की हुई है और इन्होंने केवल 185 करोड़ रुपया बांध पर खर्च किया। मैं कहता हूं कि आप दोषी हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि यह जनेऊ बन गया है सारे प्रान्त में नदियों का। आपने 15–20 वर्ष तक क्या किया। चाहे आप रहे या गुप्ता जी रहे या संपूर्णानन्द जी रहे, पर यहां लगातार कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी। इसलिए कहता हूं कि यह मैन-मेड है। इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये। आप एक्सपर्ट्स को लाइये।

तीसरी बात यह है कि आप कह गये यह राजनीति का प्रश्न नहीं है लेकिन आपके मंत्री राजनीतिक पद का दुरुपयोग हर जगह करते हैं। मुझे शंका है इस बात की और वास्तविक शंका है। इस संकट के समय में रुपय का दुरुपयोग न हो। दो क्षेत्रों में एक जैसी इमर-जेन्सी में एक जगह दो लाख लगाया जाय और दूसरी में 2 हजार, इस प्रकार से जैसा अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है यह मैं अपने हृदय की वेदना कह रहा हूं। अपोजीशन में होने के नाते मैं कहने पर मजबूर हूं कि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आपने तो बड़ा मीठा भाषण दे दिया, बड़े मधुर भाषी हैं लेकिन विरोधी पक्ष के नाते कटु शब्द का प्रयोग करने की मुझ अनुमति मिलनी चाहिए और म यही कहूंगा कि चीज दोहराई न जाय। सबको बराबर समझने का आपने वचन दिया है, यह नहीं कि इंडीकेट का अधिक खयाल किया जाय, दूसरों की ओर कुछ नहीं।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। मेरी बड़ी प्रार्थना है, मैं बहुत चौंका हुआ हूं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से। हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। आज "ऑब्सट्रेक्टिव" जिसको मैं कहता हूं, योजनाएं बनाना ताकि आसानी से समय पर पास न होने पायें। आपने एक संदर्भ में यह कहा कि हमारे आदेशों की आवश्यकता नहीं है, संकट का मुकाबला करो लेकिन क्या बड़ी-बड़ी योजनाए बनाना, 30–30 जगह फाइल चलती हैं और परिणामस्वरूप समय पर चीज खरीदी नहीं जाती हैं, बचाव का समय निकल जाता है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? आधी जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की रही है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्पेयर नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह है कि मशहूर हैं आपके इंजीनियर। मैं मानता हूं कि अपने अधिकारियों को डिमारेलाइज नहीं करना चाहिये यह कह करके कि सब खराब हैं। न तो ऐसा कहना चाहता हूं, न ऐसी नीयत है लेकिन अगर उनकी गलतियों से सीपेज हो जाय, बांध टूट जाय तो फिर क्या कहा जायगा। ऐसी जगह बंधे बनाये गये हैं कि वाटर-लागिंग हो गयी हैं। मेरे क्षेत्र में तड़िया सोनखर बांध इन लोगों ने बना दिया। मैं खड़ा था और दोनों इंजीनियर खड़े थे, उससे एक संकट सब जगह फैल गया वाटर लागिंग का। पी0 डब्ल्यू0 डी0 कहता था कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, इरिगेशन कहता था कि मेरी नहीं थी, दोनों डिस्ओन करते हैं। तो इंजीनियर को सतर्क करिये। वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे भी परामर्श करिये अगर कोई योजना किसी जिले में लागू करने जा रहे हैं।

अन्त में मैं एक बात कहूंगा कि माना कि आपके पास रुपया नहीं है। जो आपके पास रुपया है उसके आधार पर ही आप करेंगे। माननीय राय साहब ने बहुत सी बातें सदन के समक्ष रखीं। मेरी प्रार्थना है कि हमारी कमर टूट गई है क्योंकि जितनी आपकी इंक्वायरी

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कमेटियां हैं वह सब कहती हैं कि रूरल एरिया से ही धन मिलेगा। हम भी देहात के रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर का पेशा मेरे बाप दादों का था। मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने की नौबत न आये। आप इकोनोमी कीजिये, अपनी चीजों में कट कीजिये। आपका कोई बहाना नहीं चल सकता है। यह संविद सरकार है इसलिये रुपया नहीं मिल सकता है। अब तो आपको कम से कम ऐसे संकट के समय अवश्य रुपया मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करता हू।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की मधुर वाणी बहुत ही निराशाजनक रही क्योंकि वह अकर्मण्यता की द्योतक थी। मैं केवल उनसे एक इशारा करूंगा कि आपन जो कहा कि छात्रों की फीस माफ करने का आदेश दे दिया गया है। वह अभी तक जिलों में नहीं पहुंचा है और छात्रों को फीस देनी पड़ रही है। इसके लिये मुख्य मंत्री जी समुचित आदेश देंगे।

दूसरी बात यह है कि रबी की फसल मर गई। यह आशा थी कि खरीफ की फसल अच्छी होगी। इसलिये लगान स्थगित किया गया था। लेकिन अब चूंकि दोनों फसल खराब हो गई हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब खेती मर गई तो लगान भी मर गया। इसलिये आप लगान को स्थगित न करके माफ करने की घोषणा कर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हालांकि केन्द्रीय सरकार से कोई स्पष्ट आश्वासन राज्य सरकार को नहीं मिला है कि कितनी धनराशि मिलेगी। मान्यवर, राज्य सरकार के पास सिक्यूरिटी डिपाजिट में केवल 32 करोड़ रुपया है। ऐसी दशा में 75 करोड़ रुपये के लिये सरकार कौन से साधन जुटायेगी और प्रदेश की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इस बात के लिये आप हाउस को कांफीडेंस में लें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा मतलब यह है कि अगर केन्द्र से धनराशि न मिली तो क्या टैक्स के जरिये इस धनराशि को लेने की कोशिश कर रहे हैं?

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं सम्मानित सरकारी पक्ष तथा विरोधी दल के सदस्यों का आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने बिना किसी कटौती के प्रस्ताव पास किया। सवसम्मति से सब अनुदानों को स्वीकार किया और विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार किया। इसमें सम्मानित सदस्य बांसगांव और गोरखपुर ने कुछ शंकायें उठाईं (व्यवधान) जब आप मौजूद हैं तो कल्पना की क्या आवश्यकता है। मैं निवेदन कर रहा था कि उनको शंकायें हुई कि यह बजट बाढ़ के लिये नहीं है। इसमें दूसरे अनुदानों को भी शामिल किया गया है। अगर वे ध्यान से देखेंगे, अपने दिव्य चक्षुओं से देखेंगे, अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल के चक्षुओं को छोड़कर ज्ञान चक्षुओं से देखेंगे तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि जिस अनुदान का आपने उल्लेख किया है 1,68,75,000 रुपये में से 1.63 करोड़ रुपया तो निर्माण-कार्य के लिये रखा गया है। बाकी 5 लाख एस्टेब्लिशमेंट के लिये है। बिना एस्टेब्लिशमेंट के किस प्रकार से कार्य होगा। रोजगार देने के लिये क्रेश प्रोग्राम रखा गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह क्रैश प्रोग्राम और बाढ़ का प्रोग्राम, दो भिन्न-भिन्न चीजें आप एक साथ न लाइये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह इसलिये रखा गया है जिससे बेरोजगार लोगों को जल्दी रोजगार मिल सके इसके लिये कन्टिन्जेंसी फंड से रुपया निकाला गया है क्योंकि आकस्मिक निधि में तो केवल 10 करोड़ रुपया जमा है। दस करोड़ से बाढ़ का काम पूरा नहीं हो सकता था इसलिये यह सप्लीमटरी बजट लाना पड़ा। नहीं तो आप लोगों को यह शिकायत होती कि असम्बली बैठी हुई थी, सदन से मांग क्यों नहीं की गयी। इस प्रकार तो सरकार ने केवल अपने कर्त्तव्य का ही पालन किया है। इसमें कम से कम प्रशंसा नहीं तो निन्दा तो नहीं करनी चाहिय।

इसी प्रकार से 70 लाख रुपया सिंचाई अधिष्ठान के लिये रखा गया है वह भी आगे जो निर्माण-कार्य होंगे, उनके लिये अल्हदा रख दिया गया है। यह खाली एस्टेब्लिशमेंट का रुटीन बजट नहीं है। हमारे बजट में जो अलग-अलग मदें हैं उसके अनुसार रखा गया है एक कैपीटल हेड होता, एक रेवेन्यू हेड होता है, एक एस्टेब्लिशमेंट का हेड होता है। 20 लाख रुपया उचन्त में रखा गया है। यह ससपेंस एकाउन्ट भी रखा जाता है जो सामग्री पर खर्च होता है उसको इसमें रखा जाता है। यह भी बजट की पद्धति है। जनसंघ दल के माननीय नेता न कहा कि फाइनस विभाग रुकावट डालता है। फाइनेंस विभाग ने जो पद्धति अपनाई है उसका जीता-जागता प्रमाण तो यह बजट ही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह भी जो मैंने कहा है वह मैंने किसी अनुभव के आधार पर ही कहा है। मैं भी कभी किसी स्थान पर रह चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्त विभाग का भी एक कर्त्तव्य है। किसी योजना के खर्चे को जांच बिना वह किस प्रकार से वैसे ही सारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। अगर इस प्रकार से कर दे तो दिवाला ही निकल जाय। वह उस योजना और वित्तीय स्थिति को देखते हुये ही किसी कार्य को करता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि 75 करोड़ में से एक-एक पैसा सिर्फ बाढ़ पीड़ितों क लिये ही खर्च किया जायगा। माच 31 मार्च, 72 तक खर्च हो जायगा और किसी दूसरे काम म खच नहीं किया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं तो ऐसी अपेक्षा करता हूं कि अगर सदन का सहयोग रहा और जितनी हमारी आशायें ह सब पूरी हुईं तो 75 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होगा। लेकिन एक आंकड़े के आधार पर कोई वित्त मंत्री यह नहीं कह सकता कि इतना अवश्य खर्च हो जायगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां तक इसका सवाल है कि यह पैसा कहां से आयेगा, तो 75 करोड़ में से सवा 21 करोड़ का आश्वासन तो भारत सरकार से मिल चुका है और साढ़े 17 करोड़ रुपये मिल भी चुके हैं। यह पहली टीम के आधार पर मिला है। दूसरी टीम के आधार पर, ग्रांट की बात कौन कहे, हम तो इस समय ऋण भी लेने के लिये तैयार हैं। तीसरी टीम अभी आनी बाकी है। उसके सामने हम अपने सारे प्रस्ताव रखेंगे। तो हमें इस बात की आशा है कि जो प्रदेश की वस्तुस्थिति है उसको देखते हुये हमें भारत सरकार से पूरी सहायता मिलेगी, आश्वासन भी मिला है। यह आज हम नहीं कह सकते कि ठीक 75 करोड़ हमें पूरा मिल जायगा, लेकिन इस धनराशि को पूरा करने के लिये हम बचतें भी कर सकते ह, कुछ ऐसी योजनायें है जो अगले साल के लिये स्थगित भी कर सकते हैं, कुछ इस बजट के रुपये को पुनर्विनियोग कर के बाढ़ के कार्यों में लगा सकते हैं और सदन का भी सम्भवतः यह मन्तव्य है कि चाहे कुछ हो हम जिस अपरिहार्य स्थिति से गुजर रहे हैं, जो हमारा उत्तर-दायित्व है बाढ़ पीड़ितों के प्रति उसको पूरा करना आवश्यक है। इसलिये और मदों में से पुनर्विनियोग करने की इजाजत होगी मुझे इसका विश्वास है। इसलिये जो हमारे संसाधन हैं उनके अन्दर ही हम खर्च करने का प्रयास करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह कोई आश्वासन नहीं है।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

अनुदान संख्या 32 में देखे। इसके बारे में भी कुछ कह दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो जबाव हो चुका। यह आप पहले कहते।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971

31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1971-72 के लिए 76,98,75,000 रुपयों का दिया जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 76,98,75,000रु० (छिहत्तर करोड़ अठानवें लाख पचहत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

1	2	3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशि से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
26	नियोजन और समन्वय ..	1,68,75,000	..	1,68,75,000
32	सिंचाई अधिष्ठान ..	70,00,000	..	70,00,000
33	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं ..	1,50,00,000	..	1,50,00,000
36	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	8,00,00,000	..	8,00,00,000
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	23,00,00,000	..	23,00,00,000
46	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	14,50,00,000	..	14,50,00,000
49	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	3,30,00,000	..	3,30,00,000
50	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	5,50,00,000	..	5,50,00,000
54	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	18,80,00,000	..	18,80,00,000
	योग ..	76,98,75,000	..	76,98,75,000

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी हम लोगों पर नाराज हो रहे हैं कि हम लोग रचनात्मक सुझाव नहीं दे रहे हैं और माननीय वित्त मन्त्री जी हम लोगों को ऐसे ढंग से कनविन्स करना चाहते हैं जो समझ से बाहर है। ये कहते हैं कि बजट का पुनरीक्षण करके पैसा निकाल लेंगे। तो उसमें तो 48 करोड़ का पहले से ही घाटा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि वह बजट का पुनरीक्षण करेंगे। तो वे पुनरीक्षण क्या करेंगे जब वह यहां पर 48 करोड़ का घाटा पहले ही पेश कर चुके हैं। उस घाटे को कैसे पूरा किया जायगा। वह घाटा आप पूरा नहीं करा पायेंगे। यह 75 करोड़ बाढ़ के सम्बन्ध में अनुपूरक बजट में आपने मांगा है और इसका भी पता नहीं है कि आपको यह मिल पायेगा या नहीं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर उनको मालूम न हो तो वह इस बात का पता लगा लें कि अगस्त के महीने में जो भारत सरकार का लेटेस्ट इकानामी निकला है उसमें केवल 7 स्टेट को ही भारत सरकार ने स्पेशल इकानामी की स्टेट माना है। वे स्टेट हैं, आन्ध्र , आसाम, जम्मू और काश्मीर, कैराला, नागालैन्ड, तामिल नाड और वेस्ट बंगाल। अभी बाढ़ से पहले की यह बुलेटिन है जिसमें यह बताया गया है। इस उत्तर प्रदेश की स्टेट को उन्होंने शामिल नहीं किया है। मुख्य मन्त्री जी 20 मर्तबा दिल्ली जाते हैं पता नहीं क्या करते हैं लेकिन उनका नाम इस बुलेटिन में नहीं आया है फिर आपने 48 करोड़ रुपया का घाटा बताया है तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे। 75 करोड़ की बात आप बाढ़ सहायता के लिये करते हैं कैसे आपको वह मिल पायेगा जब उसमें नाम ही नहीं है। तो यह कहीं न कहीं गड़बड़ी है। मैं आपको सहयोग देने की यह बात करता हूं। और इस बात की अपील करता हूं कि यह 75 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की बाढ़ समस्या पर खर्च किया जायगा इससे मैं कनविंस्ड नहीं हूं। मुझे आशा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार आपको कोई सहायता देने जा रही है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्पेशल एकानामी सर्वे की रिपोर्ट को देखने के बाद 10, 12 करोड़ से अधिक आपको मिलने वाला नहीं है। यह 48 करोड़ का घाटा आप पूरा करने वाले नहीं हैं यह हमारी निश्चित फिलिंग है कि घपलेबाजी में आपको रुपया नहीं मिलने वाला है जितना आप कह रहे हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन, मैं कृष्णानन्द राय जी से कहता हूं कि अपना दिल इतना छोटा न करें। आप पहले से ही इस बात को मान लेते हैं कि यह विपत्ति हटने वाली नहीं है तो जो अनुदान मांगा गया है उसको क्या वापस कर दिया जाय। 48 करोड़ का घाटा है और 70, 75 करोड़ का खर्चा और बढ़ गया है तो यह सब प्रबन्ध करना है। भारत सरकार से जितना ले सकते हैं उनसे लेना है चाहे वह अनुदान में मिले या लोन में मिले। बाहर से भी लेना है। अपने यहां एकानामी भी करनी है। बजट में बहुत सी चीजें कम करना है। यह सब होते हुये भी इस समय प्रायोरिटी है इस वक्त बाढ़ वालों के लिये कि उनकी ज्यादा सहायता करें। इसमें घाटा रह जायगा तो फिर आपके सामने आयेगा और उस घाटे को पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक पम्फलेट चारों तरफ बटा है कि यह जो हमारे ग्राम सेवक हैं वह लोग एक दो दिन के बाद अपना आत्मदाह करने के लिये

निश्चय किये हैं इसलिये कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इस विषय में मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक मुख्य मन्त्री जी विचार कर लें और ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दे तो अच्छा है। आपने इस बात को माना है कि उनकी मांगें उचित हैं तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

नियम 51 की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

एक सूचना यह सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, फिरंगी प्रसाद विशारद, तिरमल सिंह और श्री चन्द्रपाल आजाद की है मथुरा में अध्यापकों की नसबन्दी के आधार पर नौकरी, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं का दिया जाना, विषय पर है। इसको 16 सितम्बर, 1971 के लिये वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक सूचना श्री वीपनारायणमणि त्रिपाठी की बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर देवरिया के श्री प्रभाकर तिवारी की हत्या के विषय में है, इस पर 17 तारीख को केवल वक्तव्य होगा।

एक सूचना श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांके लाल की है देवरिया के श्री दीप की थाने में पिटाई के कारण मृत्यु होने के विषय पर है। इस को भी 17 तारीख को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक सूचना हरिवंश सहाय का है, यह भी उसी विषय की है जिसमें प्रभाकर तिवारी की हत्या हुई है इसको भी उसी वक्तव्य में जोड़ दिया गया है।

एक सूचना सर्वश्री सियाराम, नेतराम सिंह, कल्याण सिंह और तिरमल सिंह की है : जिला एटा के सहावर टाउन एरिया के चेयरमैन का हरिजनों के प्रति अमानुषिक अत्याचार के बारे में है। इसमें कोई निश्चित घटना नहीं बताई गई है इसलिये यह उचित कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेजी जा रही है।

एक सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पांडेय, श्री राम बिलास पांडेय और श्री कृष्णानन्द राय का है, ग्राम भरतपुर, जिला पीलीभीत की निवासी कुमारी रामवती के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा बलात्कार के विषय में है इसको 16 तारीख को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

(व्यवधान)

एक सूचना श्री वीरेन्द्रवर्मा और श्री चन्द्रभान शर्मा की है मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस की अकर्मणता के विषय में। इसको 17 तारीख को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, एक हमारे नाम से सूचना बहुत महत्व की है जिस में 28 आदमियों को गोली लगी है और 2 की मृत्यु हुई है, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह अस्वीकार हुआ है, आप चाहे तो कार्यवाही के लिये भेज दें। छः सूचनाओं को स्वीकार किया गया है, सब के लिये अब समय नहीं मिल सकेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारा जो गाजीपुर के दिलदार नगर का था, उसके बारे में निर्णय आप का हम नहीं समझ पाये... ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सरकार की बात नहीं है, जनता के बीच की बात है कार्यवाही के लिये भेजे देते हैं इस पर बहस की जरूरत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

देहरादून वाले के लिये आप ने वक्तव्य के लिये कहा था...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा था कि विचार करेंगे लेकिन मैंने उसको देखा उसमें दम नहीं है, जो मजमून लिखा है उससे यह साबित है कि वह अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

यह मिनिस्टर लोग अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी लिये हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने आक्षेप कर के कहा है, जो आक्षेपात्मक प्रश्न होता है वह अस्वीकार हो जाता है।

(व्यवधान)

अब हम उठते हैं कल ग्यारह बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
15 सितम्बर, 1971।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 490 पर)

सामान्य प्रशासन [पुनस्संगठन] विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर वर्ष १९७०–७१ में कुल व्यय

पद	संख्या	व्यय	अभ्युक्ति
		रु०	
आयुक्त एवं सचिव रु० 2500-2700।	1	3,333	9 सितम्बर, 1970 से 18 अक्तूबर, 1970 तक
सहायक सचिव रु० 800–950 ..	1	10,716	पूरे वर्ष
विशेष कार्याधिकारी रु० 515–715।	1	9,096	पूरे वर्ष
संगठन एवं विधि अधिकारी रु० 350–550।	2	11,215	एक संगठन एवं विधि अधिकारी पूरे वर्ष तथा दूसरे 8 अक्तूबर, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक।
प्रवर वर्ग सहायक रु० 200–450	2	14,016	पूरे वर्ष
अवर वर्ग सहायक रु० 120–250	1	4,107	पूरे वर्ष
टंकक रु० 100–180 ..	1	1,944	पूरे वर्ष
पी०ए० रु० 200–450 ..	1	2,940	पूरे वर्ष
चपरासी 55–75 ..	2	3,288	पूरे वर्ष
पी०ए० रु० 200–450 } आयुक्त एवं सचिव के पद से संबद्ध	2	1,558	9 सितम्बर, 1970 से 18 अक्तूबर, 1970 तक
चपरासी रु० 55–75 } आयुक्त एवं सचिव के पद से संबद्ध	2	365	तदेव
		62,578	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 511 पर)

वर्ष 1970-71 में जिला फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण पुनर्निर्माण के लिये ली गई सड़कें

नई सड़कें

(क) आयोजनागतः

सड़क का नाम

1--जहांगीरगंज से राजे सुल्तानपुर मार्ग ।

2--अकबरपुर से इलतफातगंज मार्ग ।

3--रनेवा से भीती मार्ग ।

4--लखनऊ-फैजाबाद मार्ग से ड्यूड़ी तक वाया रेलवे स्टेशन देवराकोट मिसरौली और देवरापुर मार्ग ।

5--इलतफातगंज से टांडा मार्ग ।

(ख) आयोजनेतर :

1--बसखारी से जहांगीरागंज मार्ग ।

2--अकबरपुर- सिकन्दरपुर- जलालपुर मार्ग ।

3--अकबरपुर- महरवां मार्ग ।

आयोजनागत वर्तमान सड़कों का पुर्ननिर्माण एवं सुधार

1--बसखारी- जलालपुर मार्ग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 518 पर)

जिला एटा के विभिन्न ब्लाकों के सिंचित क्षेत्र का विवरण

नाम तहसील	नाम ब्लाक	ब्लाक का कुल कृषि योग्य क्षेत्र फल	कृषि योग्य क्षेत्रफल सीमान्तर्गत				शेष असिंचित क्षेत्र
			नलकूप	नहर	अन्य साधन	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
कासगंज ..	कासगंज	63,330	16,896	27,577	16,447	60,920	2,410
	सोरों ..	68,258	19,606	11,416	17,380	48,402	19,856
	सहावर ..	57,367	579	36,409	6,237	43,225	14,142
	सिढपुरा ..	65,998	..	48,978	6,920	55,898	60,100
अलीगंज ..	अलीगंज ..	1,01,095	23,851	11,850	16,890	52,591	48,504
	जैथरा ..	76,293	16,668	17,756	1,690	36,114	40,179
	गंजडुन्डवारा ..	91,071	..	28,575	13,671	42,246	48,825
एटा ..	शीतलपुर ..	76,809	20,300	3,321	20,034	51,655	25,154
	सकीट ..	51,677	1,999	2,672	26,218	30,889	25,288
	निघौली कलां ..	1,02,797	19,836	25,176	31,297	76,309	26,488
जलेसर ..	जलेसर ..	1,18,892	40,014	40,247	37,087	81,348	37,544
		8,73,587	1,23,749	2,53,977	2,01,871	5,79,597	2,98,490

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 174 एल० ए०—1972—845 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय